राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का १४वां दिवस [संख्या ६

बुधवार, दिनांक ८ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजनाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सिंचाई, पंचायत, राजस्थान कैनाल, कृषि, श्रम, सहकरी, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या २३५

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

राज्य कर्मचारियों व म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के अन्तर को मिटाना

२३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य सरकार के कर्मचारियों व म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की तनख्वाह, वेतन-भत्ता एवं महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाओं में क्या क्या अंतर है ? यदि अन्तर है, तो वह कब तक मिटाया जावेगा और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या इस अन्तर को मिटाने के लिये सरकार की ओर से पिछले अधिवेशनों में आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) राज्य की सेवाओं में म्युनिसिपल कमिश्नर, एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर आदि के पद नहीं हैं इसलिये तुलना नहीं की जा सकती है। अन्य म्युनिसिपल कर्मचारियों के वेतन-स्तर में ज्यादा अन्तर

Page No 2

(श्री सम्पतराम)

नहीं है तथा मंहगाई भत्ता भी जहां आर्थिक स्थिति ठीक है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही दी जाती है।

(ख) जी हां, परन्तु दिया गया आश्वासन सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नरों के बारे में ही था जिनकी नई ग्रेड सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है जो सर्विस रूल्स बनने पर लागू होगी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार म्युनिसिपल कमेटियों के ऑफिस में काम करने वाले जो लिपिक हैं उनकी तनख्वाह में अन्य सरकारी दफ्तरों के समान स्तर तक तब्दीली करने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : सरकार की मंशा यह निश्चित तौर से है कि समानता लाई जावे, पर हर एक म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति से इसका सम्बन्ध है, इसलिये इसको देखते हुए प्रयत्न किया जाय, जितनी एकरूपता लाई जा सके उस सीमा तक।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भाग (ख) में है और उत्तर दिया, "जी हां"। आपसे यह जाना गया था कि आप दोनों का अन्तर बताएं ?

श्री सम्पतराम : यही बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट है।

डॉ० चन्द्रकला : यही तो हम जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Shri Mool Chand Daga.

श्री मूलचन्द डागा : जी, अन्तर बतलाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अन्तर बताया जावे।

श्री सम्पतराम : इसकी लिस्ट दे दूंगा।

डॉ० चन्द्रकला : दे देने का क्या सवाल है, प्रश्न में पूछा यही गया था !

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर की विशालता ज्यादा है, माननीय सदस्य चैम्बर में बात कर लें।

डॉ० चन्द्रकला : इसका उत्तर फिर दुबारा दिया जावे।

श्री सम्पतराम : चाहेंगे तो सारी लिस्ट ही ?

डॉ० चन्द्रकला : चाहा तो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : List may be placed on the Table of House. That will satisfy the member.

कोटरी बांध का निर्माण कार्य

२३७. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटरी बांध का सर्वे कब से प्रारम्भ

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

हुआ एवं अब कब तक पूरा होने की आशा है ?

(२) सर्वे के बाद निर्माण कार्य कितने समय में प्रारम्भ होगा ?

उप मन्त्री, सिचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) कोटरी बांध का सर्वे २४—१०५६ को शुरू किया गया था और यह पूरा हो चुका है।

(२) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कलेक्टर के विचार मांगे गये हैं। उनके विचार आने के बाद तखमीना स्वीकृति के लिये भेजा और जावेगा और उसके पश्चात् स्वीकृत हो सकेगा ।

प्रश्न संख्या २३८

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ।

पंचायत समितियों को कुंओं के निर्माण हेतु दिये जाने वाले लोन का तरीका

२३९. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचायत समितियों में कुंओं के निर्माण के लिये जो लोन दिया जाता है उसका क्या तरीका है ?

(ख) इस प्रोसीजर को पूर्ण रूप से काम में लाने के लिये विकास अधिकारी को उस गांव विशेष में जहां कुंआं का निर्माण होने को है कितनी बार जाना पड़ता है और उसको किन किन बातों की जांच करनी पड़ती है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) प्रोसीजर राजस्थान पंचायत समिति (लोन) नियम, १९६० में दिया गया है।

(ख) विकास अधिकारी के लिये स्थानीय निरीक्षण अनिवार्य नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या यह माना जावे कि तकावी लेने या ऋण लेने के लिये कुंओं के लिये पहले बी० डी० ओ० के पास जाना जरूरी नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां। लेकिन अच्छा है कि बाद में जाया करें। पर यह जरूरी नियम में नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : लोन देने के पूर्व कौन जांच करता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : निर्धारित फॉर्म पर सब सूचनाएं भर कर देनी पड़ती हैं। पटवारी उस पर रिपोर्ट करता है, विकास अधिकारी सिफारिश करता है, पर उस स्थान पर उसका जाना जरूरी नहीं है। निर्धारित बौंड भी भरना पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : विकास अधिकारी फिर किस बात की सिफारिश करता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पटवारी रिपोर्ट देता है उसके आधार पर वह भी जांच

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

करता होगा और भी बहुत सी बातें करता होगा पर नियम में जरूरी नहीं है कि विकास अधिकारी जांच करे।

श्री मूलचन्द डागा : यह लोन एक साथ दिया जाता है या समय समय पर दिया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नियम के अनुसार दिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : एक विकास अधिकारी के पास कुंए के निर्माण के दौरान चार-पांच बार जाना पड़ता है और काम में देरी भी होती है और परेशानी भी। क्या आप इस प्रोसीजर में रद्दोबदल करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो ठीक ही प्रोसीजर है। जब तक उतना काम तस्दीक नहीं होगा उसके आगे के काम के लिये लोन नहीं दिया जावेगा। तस्दीक होने पर ही दिया जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तस्दीक ओवरसियर की राय पर कर देते हैं या पटवारी की राय पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जैसा नियमों में है उसके अनुसार किसी तरह से भी कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में सम्मिलित बीकानेर जिले के ग्राम

२४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री राजस्थान कैनाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में बीकानेर जिले के कुल कितने गांव शामिल हैं ? जो गांव उपरोक्त क्षेत्र में शामिल नहीं हैं क्या वहां के काश्तकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १६५५ की धारा १५ के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गांव सेरेरा, बड़ाबास, मालासर, नौरंगदेसर, गुसाईसर आदि तहसील बीकानेर एवं खिवेंरा, तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राजात किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो कब इन्द्राजात किये गये ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष : We have taken another question.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : What about question No. 240 ? २४० का जवाब नहीं मिला।

Page No 5

प्रश्न संख्या २४१

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

उनियारा कस्बे में गलवा बांध तक सड़क-निर्माण

२४२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [(उनियारा) [श्री तनसिंह (बाडमेर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गलवा बन्ध, उनियारा के लिये कस्बे से बन्ध तक सिंचाई विभाग द्वारा सड़क बनाने की योजना है ?

(ख) अगर हां, तो उपरोक्त सड़क किधर होकर बनाई जावेगी तथा इसका सर्वे होकर एस्टीमेट मन्जूर हो चुका है ?

यदि हां, तो क्या वह बांध आगामी वर्षा से पहले तैयार हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत समिति, रोहट द्वारा वितरित तकावी

२४३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या पंचायत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत समिति रोहट ने २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक किन किन लोगों को किस किस काम के लिये कितनी कितनी तकावी दी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) यह तकावी रोहट पंचायत समिति के निर्णयानुसार दी गई या किसी कमेटी के निर्णयानुसार ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) यह तकावी रोहट पंचायत समिति की स्थायी समिति (उत्पादन) के निर्णयानुसार दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : सूची में तो गांव का नाम दर्ज नहीं है कि कौन से गांव का रहने वाला है, न स्थान । लोन के लिये पूछना है कि क्या २००) रु० तकावी कुए बनाने के लिये जरूरी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो रकम दी गई है वह सूची में दर्ज है । अगली टर्म पर नाम भी मंगवा कर दे दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : नाम भी मंगवा कर दिये जावें ।

श्री उपाध्याय : नाम आपउपलब्ध करा दीजिये माननीय सदस्य को ।

तहसील उनियारा में किसानों को रहात कार्य

२४४. **रावराजा श्री सरदारसिंह**

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(उनियारा) [श्री तनसिंह (बाडमेर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सन् १९६०–६१ में गन्दुम और की फसल बोने के बाद कहीं तो उगी ही नहीं और कहीं उगी तो खेत में बगैर पके ही सूख गई ? अगर हां, तो किन कारणों से ?

(ख) क्या सरकार को इसकी सूचना हो गई थी ? अगर हां, तो सरकार ने तात्कालिक क्या प्रिकाशन लिए ?

(ग) तहसील उनियारा में कहां२ उपरोक्त नुकसान हुआ और सरकार द्वारा किसानों को क्या सहायता दी गई ?

उप–मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, जिला टोंक में गेहूँ और रबी की फसल ठीक तरह से नहीं उगी क्योंकि कम वर्षा होने के कारण कहीं कहीं आवश्यक नमी नहीं थी ।

(ख) जी हां, हर एक तहसील में पटवार सर्किल के तकरीबन ५० खेतों में परीक्षण कराया गया ।

(ग) तहसील की काश्त गिरदावरी का कार्य हो रहा है इसलिए नुक्सान का विवरण गिरदावरी पूर्ण होने पर ही मिलेगा । इस समय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि भूमि फसल की गिरदावरी अक्टूबर तक हो जानी चाहिये थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह रबी की फसल का सवाल है ।

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली में वेज बोर्ड के फैसले की क्रियान्विति

२४५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली में वेज बोर्ड का फैसला कब तक लागू हो जावेगा या उसमें देरी होने का क्या कारण है?

(ख) क्या मंहगाई भत्ता बीते हुए महीनों का मिलेगा ? यदि हां, तो कब से ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्री प्रसादगुप्ता) : (क) महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायालय के समक्ष वेतन मंहगाई भत्ता तथा वर्क लोड के विषयों पर विवाद–ग्रस्त प्रश्न विचाराधीन है । यद्यपि मिल व्यवस्थापक तथा श्रमिकों (जो इन्टक से सम्बन्धित हैं) के बीच केन्द्रीय वेतन बोर्ड का फैसला लागू करने के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है तथा इस सम्बन्ध में मालिक तथा इन्टक से सम्बन्धित यूनियन द्वारा न्यायालय के समक्ष उपरोक्त समझौते के आधार पर अन्तरिम एवार्ड दिये जाने का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु टैक्सटाइल लेबर यूनियन, पाली ने, जो इस मिल में कार्य कर रहा है, न्यायालय के समक्ष इन्जेकशन तथा समझौता लागू न किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किया है। अतः कानूनी कार्यवाही के दौरान में केन्द्रीय वेतन बोर्ड के फैसले का लागू किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता । साथ ही यह कानूनी दृष्टि से वैधानिक भी नहीं है। न्यायालय के फैसले के पश्चात् वेतन बोर्ड का फैसला लागू कराये जाने के बारे में आवश्यक कदम उठाये जावेंगे ।

(ख) मंहगाई भत्ता पहली अगस्त, सन् १६६० से दिये जाने की मंहगाई भत्ता कमेटी की सिफारिश है। अतएव मंहगाई भत्ता १-८-६० से लागू समझा जावेगा तथा मालिक कारखाना पिछले महीनों का भत्ता मजदूरों को चुकावेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक यह फैसला होने की सम्भावना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने है। ख्याल है कि जल्दी ही हो जाना चाहिये ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह कितते अर्से से विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रिब्यूनल के सामने ६ महीने से चल रहा है।

श्री शंकरलाल : इसकी कोई अवधि भी है कि कितने में पूरा हो जायेगा ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २४६

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

सहकारी संस्थाओं के प्रान्तीय स्तर पर निमित संघ

२४७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में प्रान्तीय स्तर पर किस प्रकार की कितनी कितनी सहकारी संस्थाओं के कब कब से कौन कौन से संघ बने हुए हैं ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) इन संघों के कौन कौन पदाधिकारी हैं ? कृपया नाम व पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) संघों की स्थापना किन किन नियमों के आधार पर हुई है ? कृपया उन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उद्योम मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) राजस्थान में प्रान्तीय स्तर पर सहकारिता संस्थाओं के ६ संघ बने हुए हैं जिनकी सूची परिशिष्ट (क) सम्बन्धित सूचनाओं सहित सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम ५ में सूचना उपलब्ध है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) इन संघों की स्थापना सम्बन्धी

Page No 8

(श्री खिवचन्द धारीवाल)

उपनियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में समुचित प्रसूतिगृहों का अभाव

२४८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर में इस समय कहां कहां पर कितने प्रसूति गृह हैं ? उनमें से प्रत्येक में कितने कितने पलंगों की व्यवस्था है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या इतनी बड़ी जन—संख्या के लिए ये प्रसूतिगृह पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इस कमी की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(ग) क्या प्रत्येक सरकारी औषधालय तथा डिस्पेन्सरी के साथ ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे प्रसूताओं को समुचित सेवा तथा सहायता मिल सके ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जयपुर शहर में इस समय ३ प्रसूतिगृह निम्न स्थानों पर हैं तथा उनमें नाम के सामने दिये गये बैड्स की व्यवस्था है :

१. प्रसूतिगृह रामगंज, चौपड़—२१

२. कमानी प्रसूति गृह जयलाल मुन्शी का रास्ता—१२

३. प्रसूति गृह, चौड़ा रास्ता—१६

(ख) बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये ही हाल ही में आदर्शनगर में एक डिस्पेन्सरी-कम—मेटर्निटी होम स्थापित किया गया है जिसमें १२ बैड्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जनाना अस्पताल, जयपुर में ६५ प्रसूति रोग बैड्स उपलब्ध हैं। सरकार की एक योजना के अनुसार राज्य में ३० मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र वित्तीय वर्ष ६१—६२ में खोलने की योजना है। यदि कोई दान—दाता जयपुर में केन्द्र के लिये भवन व स्टाफ के लिये क्वार्टर्स दान में दे तो केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(ग) राज्य की हर डिस्पेन्सरी में एक मिडवाइफ की स्वीकृति है जो डिस्पेन्सरियों में आने वाली प्रसूताओं को देखती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह स्वीकृति भी है या सचमुच हर डिस्पेन्सरी में एक मिडवाइफ रख दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितनी भी मिडवाइफ अवेलेबल थीं वे सब जगह रखी हुई हैं। आप और उपलब्ध करा देंगे तो उनको भी अपोइंटमेंट दे दिया जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला : हर डिस्पेन्सरी में मिडवाइफ उपलब्ध हो, इसके लिए क्या सरकार ने कदम उठाये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए राजस्थान में ७ ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल रखे हैं लेकिन लड़कियां नहीं मिलतीं। आप मदद करें तो अच्छा है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आपका मतलब यह है कि राजस्थान में लड़कियों का अभाव है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिये लड़कियां नहीं मिलतीं। अगर आप इसमें मदद करें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील की वाणियावास और एन्दला लघु सिंचाई योजनायें

२४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील की निम्न सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने में कितना कितना समय लगेगा :

(१) वाणियावास बांध (२) एन्दला का तालाब (३) नेहड़ा बांध (४) सिराणा और पाती के बीच का धोरा (५) राणा का तालाब ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वाणियावास और एन्दला के तालाब के सब का काम कभी का पूरा हो चुका था ? यदि हां, तो कब कब ? क्या दोनों लघु सिंचाईयो जनाओं का कार्य इस साल शुरू करने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) (१) (२) वाणियावास बांध एवं एन्दला योजनाओं के तखमीने अभी फाइनेलाइज़ नहीं हुए हैं। अगले द्वितीय वर्ष में उनका काम आरम्भ करने की आशा है।

(३) नाहेड़ा बांध—इसका सर्वे अभी जारी है।

(४) सिराणा और पाती के बीच का धोरा—यह बहुत छोटी योजना है, इसका सर्वे शुरू नहीं किया गया है।

(५) राणा का तालाब—यह तालाब १६५६ में सिंचाई विभाग को सौंपा गया था। इसकी मरम्मत व ऊंचाई बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू करते ही, जागीरदार मादराजन ने स्टे ऑर्डर लाकर काम बन्द करा दिया। अभी तक इनका फैसला नहीं हुआ है।

(ख) जी हां। १॥ साल पहले पूरा हो चुका है। जी नहीं, अन्य जांच पड़ताल अभी बाकी है।

श्री मूलचन्द डागा : अन्य जांच पड़ताल बाकी है तो वह कौन सी जांच पड़ताल बाकी है, वह भी बता दीजिए ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : हाईड्रॉलेकली डेटा कलेक्ट करती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ये टैक्निकल बातें तो मैं पूरी नहीं समझ सका, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि ५ साल बीत चुके हैं, मैं

Page No 10

(श्री मूलचन्द डागा)

जब से एसेम्बली में आया हूँ तब से प्रश्न रख रहा हूँ और यही उत्तर मिलता है कि सर्वे हो रहा है। तो यह वाणियावास और एन्दला का बन्ध और दूसरे बंध हैं उनको पूरा कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री भीखाभाई : यह तो अर्ज कर दिया कि जिस प्रकार की जैसी स्थिति थी। जिन जिन तालाबों और योजनाओं के लिए वह अर्ज कर चुके हैं। सिराणा और पाती के बीच का धोरा, राणा का तालाब, वाणियावास और जो नेहड़ा का बांध है वह एक मीडियम स्कीम हैं और उसकी जांच जारी है। उसकी मन्जूरी में बहुत समय लगेगा क्योंकि वह भारत सरकार के पास जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो केवल वाणियावास और एन्दला के तालाब के बारे में पूछ रहा हूँ। इसके काम को क्यों नहीं जल्दी से पूरा करा दिया जाता।

श्री भीखाभाई : मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जांच के अन्दर कई चीजें हैं। जब जांच की बात कहते हैं तो सर्वे कम्पलीट होने के बाद जांच होती है। जैसे हाल ही में जब केबिनेट गई थी तो जालोर के लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया कि जितना भी लूणी का लेवल है वह ऊपर है और दूसरे नीचे तो उसका पानी बन्द हो जायेगा। तो अब यह टेक्निकल सवाल है उसकी जांच जारी है।

श्री मूलचन्द डागा : इन योजनाओं को कोई नई बनाने का थोड़े ही है। उनकी तो मरम्मत की जरूरत हैं। अगर इस तरह से बात रखी गई तो पूरे चार साल तो बीत चुके हैं और न जाने कितना समय और बीत जाये।

श्री भीखाभाई : उत्तर दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या २५०

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५१

श्री मोतीबाबा चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति, बैराठ–साईवाड़

२५२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति बैराठ साईवाड़ में किसकी सलाह से कब खोला गया ?

(ख) क्या यह स्थान उन सब शर्तों को पूरा करता है जिनकी पूर्ति होने पर ही स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है ?

(ग) यदि हां, तो वे क्या शर्तें हैं ?

Page No 11

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) पंचायत समिति बैराठ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति बैराठ तथा खंड विकास की सलाह से १९५९ में साईवाड़ में खोला गया।

(ख) जी नहीं। परन्तु ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग दि० १०.९.५८, १०.१०.५८ व ८.११.५८ को हुई थी उसमें बड़ी आबादी के ग्रामों के सरपंच भी मौजूद थे; लेकिन वे लोग अपने यहां के स्थानों पर यह केन्द्र नहीं खुलवाना चाहते थे इसलिये साईवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से हस्ताक्षर कर दिये। इसके पश्चात् १०.९.५९ की खंड विकास की समिति की बैठक में भी साईवाड़ में केन्द्र खोलना तय किया गया।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि पंचायत समिति बैराठ के परामर्श से खोला गया था। क्या इस प्रकार की सूचना की, पंचायत समिति बैराठ ने जो प्रस्ताव पास करके गवर्नमेंट के पास भेजा था, जानकारी आपको है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शुरू में जब विकास खण्ड खोला गया तब तो ब्लॉक एडवाइज़री थी और ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी ने तय करके भेजा था। उसके बाद दुबारा पंचायत समिति को पूछा तो उसने राय दी कि यहीं रहना चाहिए।

श्री रामकरणसिंह : यदि इस प्रकार का निर्णय आपके पास एडवाइज़री बोर्ड से आया था तो आपने इसके लिए कोई स्टे भी दिया है कि साईवाड में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं चलाया जाये और उसका भवन भी निर्माण नहीं किया जाये। क्या आपने कोई स्टे भी दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विकास विभाग से स्टे हो गया था, लेकिन अब गवर्नमेन्ट ने सर्कुलर इश्यू किया कि जहां जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोले जा चुके हैं उनमें तब्दीली नहीं की जाये। इसलिए वहीं रखा गया।

श्री रामकरणसिंह : क्या आपको जानकारी में नहीं है कि विकास विभाग ने इसलिए स्टे दिया था कि पंचायत समिति या एडवाइज़री बोर्ड जो उस समय ब्लॉक में था उसकी राय थी कि नहीं खोला जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विकास विभाग ने स्टे दिया था और उसने व हैल्थ डिपार्टमेंट, दोनों, ने मिल कर एक सर्कुलर इश्यू किया है कि जहां जहां पंचायत समितियां बन गई हैं और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खुले हुए हैं वहां कोई तब्दीली नहीं की जाये क्योंकि अगर एक बार तब्दीली करेंगे तो दिक्कतें सामने आयेंगी; इसलिए वहीं पर रखने का फैसला किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

चित्तौड़ा वृहक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि०, चित्तौड़ा

२५३. श्री लादूराम सुलाणिया

Page No 12

(श्री लादूराम मुलाणिया)

(दूदू—सु०) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़ा वृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि०, चित्तौड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर की कब स्थापना हुई और उसकी सदस्य संख्या क्या है ?

(२) इस समिति का शेयर केपिटल क्या है और इस समिति को कब कब और कितना कितना ऋण दिया गया ?

(३) इस समिति ने प्रति वर्ष कितना धन ऋण के रूप में वितरित किया और कितना वसूल किया ? इस लेन-देन में इस समिति को क्या लाभ व हानि हुई ?

(४) क्या सहकारी विभाग ने इस समिति का नियमानुसार ऑडिट कराया ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाये ।

(५) क्या यह सही है कि इस समिति के पदाधिकारियों ने सदस्यों से नियम विरूद्ध अधिक धन वसूल किया है और सदस्यों में असन्तोष होने से अपने शेयर वापिस मांगे हैं ?

(६) क्या यह सत्य है कि अभी तक समिति के सदस्यों को शेयर का धन वापिस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार ने उनके शेयर वापिस करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(७) इस वर्ष समिति को क्या लाभ व हानि हुई है ? उसका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) दिनांक ३—३—५८ को और सदस्य संख्या ५०० है ।

(२) शेयर केपिटल २१,०४० रु० है और दिनांक ११—७—५८ को ८२,०००) रु० ऋण दिया गया ।

(३) निम्न प्रकार :—

(१)	(२)
वर्ष	ऋण वितरण
१९५८—५९	८७,१८० रु०
१९५९—६०	५,१००

(३)	(४)	(५)
वसूली	लाभ	हानि
७६,७८६	१२४ रु०	—
१४,६४०	—	२७३

(४) जी हां । ऑडिट रिपोर्ट, सन् १९५९—६० की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) जी नहीं ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(७) इस वर्ष १९५९—६० में समिति को २७३ रु० की हानि हुई है जिसका कारण समिति द्वारा बीज व स्टोर का कार्य करना और आय कम तथा व्यय अधिक होना है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 13

प्रश्न संख्या २५४

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५५

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

जयपुर व अलवर जिले की डिस्पेन्सरीज़ व हॉस्पिटल्स में समुचित स्टाफ का अभाव

२५६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर व अलवर जिलों में किन २ स्थानों की डिस्पेन्सरीज़ और अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्पाउन्डर्स, नर्सेज़, वैक्सीनेटर्स व डॉक्टर्स की कमी चली आ रही है और कब से ?

(ख) इनकी पूर्ति के लिए विभाग की ओर से क्या २ कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जयपुर व अलवर जिलों में जिन २ स्थानों की डिस्पेन्सरीज और अस्पतालों में स्टाफ की कमी चली आ रही है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कमी को पूरा करने के लिए समय समय पर जन—सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाले जाते रहे हैं, परन्तु उपयुक्त व्यक्ति न मिलने के कारण स्थानों की पूर्ती नहीं की जा सकी है । मिडवाइफ की पूर्ति के लिए शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं तथा डॉक्टरों की पूर्ति हेतु बीकानेर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

जयपुर नगर के सरकारी औषधालय

२५७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर में इस समय कुल कितने सरकारी औषधालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) औषधालय खोलने के बारे में क्या कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो कृपया प्रति सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(३) आवश्यकता को देखते हुए क्या और औषधालय खोलने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वे कब तक खोल दिये जावेंगे ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : जयपुर नगर में आयुर्वेद विभाग के निम्न औषधालय हैं :—

(१) सूरजमल बम्बईवाला औषधालय, (२) राजकीय प्रवास भवन, तोपखाना हजूरी (३) तोपखाना देश ।

(२) जी हां, उपयुक्त स्थानों का चुनाव

(श्री भीखाभाई)

निम्नांकित बातों को ध्यान में रखते हुये किया जाता है :—

(१) जहां की जन–संख्या एक हजार से तीन हजार तक हो।

(२) पक्का भवन जिसकी व्यवस्था गांव वालों की ओर से की जानी चाहिये।

(३) आस–पास में अन्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न हो। ऐसे स्थानों को प्राथमिकता मिलेगी जिन स्थानों के बारे में उपरोक्त बातें मौजूद हों।

उन स्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी जिनके बारे में जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास करके सिफारिश की है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्रीजी ने जो आधार बताया है वह गांवों के लिए है क्योंकि गांवों की आबादी का जिक्र किया है और जिला परिषद् की सिफारिश की बात कही है तो क्या नगरों के लिए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना नहीं है?

श्री भीखाभाई : गांवों के लिए 'ए' श्रेणी के औषधालयों की व्यवस्था है और वस्तुस्थिति को देख कर खोले जाते हैं। जहां अस्पतालों की सुविधा नहीं है वहां ग्रामीणों के लिए पहले खोले जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार की यह नीति है कि ग्रामीणों के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य लाभ सुलभ हों और नगरों के लिये न हों?

श्री भीखाभाई : सरकार की मन्शा ऐसी नहीं है। जहां जहां आवश्यकता है और सारे साधन उपलब्ध हैं वहाँ खोले जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : शहरों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है क्या जब कि आप कहते हैं कि गांवों के लिए जिला परिषद् के सिफारिश करने पर खोले जायेंगे, पर शहरों के लिए तो जिला परिषद सिफारिश करने वाली नहीं है।

श्री भीखाभाई : शहरों में कहां नहीं हैं? जयपुर में ५ आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं, जोधपुर में हैं, अजमेर में हैं, ब्यावर में हैं। शहरों में कहां नहीं चल रहे हैं? 'ए' श्रेणी के औषधालय उपलब्ध कर रहे हैं। लेकिन जहां भवन उपलब्ध नहीं है, आप जैसे दाता नहीं हैं तो दूसरों से दान लेकर भी भवन उपलब्ध करते हैं वहां पहले खुलने चाहिए।

पाली शहर में ढंड के पास रहनेवाले भांभी जाति के लोगों को पट्टे दिलवाना

२५८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली शहर के भांभी जाति के लोग जो ढंड के पास सैकड़ों वर्षों से रहते हैं व जो अपने मकानों पर कई वर्षों से काबिज हैं, क्या उनको नगरपालिका, पाली ने पट्टे दे दिये हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन भांभियों ने

श्री मूलचन्द डागा)

पट्टे की दरख्वास्तें आज से एक साल पहले दी थी ? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई व उनको आज तक पट्टे क्यों नहीं दिये गये ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उनकी दरख्वास्तें नगरपालिका कार्यालय पाली में पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या उन्हें अब पट्टे दे दिये जावेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जिन लोगों को जमीन रखने के अधिकार दे दिये हैं उनको यदि पट्टे नहीं मिले हैं तो शीघ्र मिल जायेंगे ।

(ख) जी हां, इन व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के टुकड़े होने के कारण आदर्श बस्ती नहीं बसाई जा सकती । इस सारे भूखंड को केटेगरी के आधार पर तय किया जावगा ।

(ग) जी हां, प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं । शीघ्र ही व्यवस्थित ढंग से बसाने के लिये जमीन का अलॉटमेंट किया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या २५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

सीकर नगरपालिका द्वारा ट्रेक्टर व ट्रोली की खरीद

२६०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका द्वारा एक ट्रेक्टर व ट्रॉली खरीदी गई है ? यदि हां, तो कब और किस २ कीमत में तथा किस काम के लिये ?

(ख) वह ट्रेक्टर व ट्रॉली कहां २ से खरीदी गई ? कृपया इसका पूरा विवरण (full description) सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जनता अथवा सरकारी अधिकारियों से शिकायत मिली है कि ट्रेक्टर पुराना खरीदा गया है तथा नये की कीमत दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इस ट्रेक्टर की ट्रॉली खराब हो गई है ?

(ङ) क्या इस ट्रेक्टर के खरीदने से पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के एडजोर्नमेन्ट की रिक्वेस्ट करूंगा ।

निर्विरोध चुनाव वाली पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें

२६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की

(श्री मुरलीधर व्यास)

कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान की समस्त पंचायतों में से कितनी पंचायतों तथा पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव निर्विरोध हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) जिला परिषदों में कितने व कहां २ प्रमुख पद के लिये संघर्ष हुआ तथा कौन २ कामयाब हुए ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): उपाध्यक्ष महोदय, इसके उत्तर की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये अगले टर्न पर ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर की सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये अगले टर्न के लिये पोस्टपोन किया जाय।

पाली जिले के डेरी फार्म

२६२. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जनवरी सन् १९५८ से आज तक पाली जिले में डेरी फार्म हेतु किन २ को कितनी २ रकम कब कब दी गई ? पंचायत-समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उपरोक्त प्रत्येक फार्म में कितनी कितनी गायें हैं और वे कब कब खरीदी गई ?

(ग) क्या उक्त गायें सब एप्रूव्ड नस्ल की हैं ?

(घ) क्या उक्त प्रत्येक डेरी फार्म के पास खुद की जमीन है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) डेरी फार्म के लिये किसी प्रकार की रकम देनें की योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोटपुतली में उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षित अस्पताल

२६३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटपुतली में जिला स्तर व उससे उच्च किन २ अधिकारियों ने अस्पतालों का गत दो वर्षों में निरीक्षण किया ? कृपया उनकी निरीक्षण रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(ख) उनके द्वारा की गई सिफारिशों में से किसको पूरा किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पिछले दो वर्षों में कोटपुतली हॉस्पिटल का दो बार निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 17

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) निर्माण सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त सभी सिफारिशों को पूरा किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : मैंने निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति मांगी थी वह नहीं दी गई। मैं सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करने वाला था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्सपेक्शन रिपोर्ट कॉन्फिडेन्शियल है, फिर भी सदन की मेज पर रखने की व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखने के बाद कॉन्फिडेन्शियल कैसे है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेक्रेटरी साहब ने कहा था, इसलिये रख दी है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखी जाती है तो it is open to all the Hon'ble Members.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कॉन्फिडेन्शियल होते हुए भी सदन की मेज पर रखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : That is so good of you.

नगरपालिकाओं को ट्रैक्टर खरीदने हेतु दिया गया ऋण

२३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग से राजस्थान की कुछ नगरपालिकाओं को ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किन २ नगरपालिकाओं को कितना २ और कब २ लोन दिया गया ?

(ख) क्या इन नगरपालिकाओं द्वारा ट्रैक्टर्स खरीद लिये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब? कृपया इन ट्रैक्टर्स का पूर्ण विवरण, मय कीमत के, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या ये ट्रैक्टर्स कृषि विभाग के रहन रख दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब कब किसके द्वारा की गई और नहीं, तो क्यों ?

(घ) यह ऋण नगरपालिकाओं को दिया गया या जिनसे ट्रैक्टर खरीदा गया उनको दिया गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन ऋणों के देने में तथा ट्रैक्टर आदि की खरीद में विभाग द्वारा ट्रैक्टर के लिये ऋण दिये जाने सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उप—मन्त्री, कृषि(श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां, तालिका (अ) संलग्न है।

(ख) जी हां । अधिकतर नगरपालिकाओं ने ट्रैक्टर खरीद लिये हैं, तालिका (ब) संलग्न है।

(ग) जी नहीं। ट्रैक्टर सरकार को रहन किये जाते हैं। यह कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाती है। जो ट्रैक्टर रहन हो चुके हैं तथा

Page No 18

(श्री दौलतराम सारण)

जो नहीं हुए हैं उनकी सूची (ग) संलग्न हैं।

(घ) यह ऋण नगरपालिकाओं को ही दिया गया।

(ङ) यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आपने बताया कि तालिका संलग्न है, लेकिन मेरे पास नहीं पहुंची।

श्री दौलतराम सारण : यहां से ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यहां से क्यों ? नोटिस ऑफिस में दीजिये, वहां से लूंगा। नहीं तो पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : यह बहुत बड़ी सूची है।

श्री भैरोंसिंह : आज इसको पोस्ट पोन कर दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : लिस्ट तैयार है, आप चाहें तो यहां ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यहां एक ही कॉपी भेजी गई है, दो नहीं भेजी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको जैसा बताया गया उसी तरह से हाउस में कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसे पोस्टपोन किया जा रहा है।

संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा नियुक्त अस्थाई वेटेरिनेरी असिस्टेन्ट सर्जन्स

२३८. **श्री भैरोंसिह** (श्रीमाधोपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५८, में संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा कितने वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स क्लॉस २ अस्थाई रूप से कब नियुक्त किये गये थे और कितने कितने समय के लिये ?

(ख) इन सर्जन्स के अस्थाई रूप के इस सेवा—काल में कब २ और किस २ की आज्ञा से कितनी २ वृद्धि की गई ?

(ग) इन सर्जन्स को अब तक किन किन माह का वेतन माहवारी नहीं दिया जाकर एक साथ दिया गया और कब २ और क्यों ?

(घ) इन सर्जन्स की अब कितने माह की तनख्वाह बाकी है और क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): २७ वेटरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स ६ माह के लिये नियुक्त किये गये। विवरण कॉलम ३ में दिये गये हैं।

७ वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स ४ मास के लिये नियुक्त किये गये।

(ख) २७ वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स की राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अजमेर की सम्मति के अनुसार दुबारा वृद्धि की गई और जब उनका सिलेक्शन कमीशन द्वारा ३१—३—५९ को हुआ तो शासन द्वारा दिसम्बर तक प्रोवीज़नल पेमेन्ट के लिये आज्ञा

Page No 19

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पत्र नम्बर डी० ६६४७–५६ एफ० २३ (सी) (१८) एस० सी० ए० । ५६ दिनांक, १२–६ ५६ को जारी की गई । तत्पश्चात् शासन द्वारा २८–२–६१ तक वेतन दिलाने के आदेश दिनांक ११–४–६० को हुए । ७ वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स की नियुक्ति ४–११–५८ को संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा की गई और इनकी वृद्धि राजस्थान सलेक्शन कमीशन की सहमति से ४–४ मास के लिये दो बार हुई । तत्पश्चात् सलेक्शन हो जाने पर प्रोवीज़नली पेमेन्ट दिसम्बर तक हुआ और फिर इनके २८–२–६१ तक ऑर्डर जारी किये गये ।

(ग) उक्त कर्मचारियों का वेतन जनवरी व दिसम्बर का फरवरी में उठाया गया । अप्रेल व मई का वेतन एक साथ उठा ।

(घ) उपरोक्त वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन्स वेतन नियमानुसार प्राप्त कर रहे हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इन सर्जन्स की नियुक्ति के पहले क्या सरकार की अनुमति प्राप्त करली गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ६ महीनों के लिये जो नियुक्ति की जाती है वह संचालक के अधिकारों के तहत की जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जो शिड्यूल ऑफ पॉवर्स तय किये गये हैं उनमें इस प्रकार के सर्जन्स की नियुक्ति के अधिकार संचालक को नहीं दिये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो कुछ निवेदन किया वह सही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस नियुक्ति से पहले पी० एस० सी० को रिक्विज़ीशन भेजा गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, मैंने कहा कि वृद्धि के बारे में रिक्विज़ीशन भेजा गया था ।

श्री भैरोंसिंह : मैं वृद्धि के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ६ माह के लिये जो अपॉइन्टमेंट्स किये गये उस समय पी० एस० सी० के पास रिक्वीज़िशन भेजा गया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नियमानुसार भेजना पड़ता है, भेजा जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : भेजा गया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नियम का पालन हरएक को करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ५६ तक सलेक्शन हो गये थे और सन् ६१ तक रिक्विज़ीशन नहीं किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अभी निवेदन किया कि ३१–३–५६ को पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में १२–६–५६ को यहां से ऑर्डर हो गया ।

Page No 20

श्री भैरोंसिंह : इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ऑर्डर होने की बात थी, उसके बाद में कोई बात हो गई होगी जिससे विलम्ब हुआ

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १२-६-५६ को अपोइन्टमेंट हुआ और कन्फर्मेशन हुआ है। इसके बाद ६१ तक प्रोवीज़नल पेमेंट किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने जवाब में निवेदन किया है कि १२-६-५६ को अपोइन्टमेंट हुआ और २८-२-६१ को वेतन दिलाने के आदेश इनको दे दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह आता है कि १२-६-५६ को कन्फर्मेशन हो गया, उसके बाद में रेगुलर सेलेरी मिलनी चाहिए। फिर प्रोवीज़नल पेमेंट की क्या आवश्यकता हो गई, १९६१ के फरवरी माह तक प्रोवीज़नल पेमेंट क्यों कराया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रोवीज़नल पेमेंट के लिए तो ३१-३-५६ को यहां से ऑर्डर हुए। ये ऑर्डर जारी कर दिये गये कि प्रोवीज़नल पेमेंट करा दिया जाय। उसके पश्चात् वेतन रेगुलर दिलाने के आदेश दे दिये गये।

श्री भैरोंसिंह : आपने फर्माया कि १२-६-५६ के अन्दर उनका कन्फर्मेशन हो गया था। उसके बाद आप यह कह रहे हैं कि फरवरी, १९६१ तक प्रोवीज़नल पेमेंट कराया गया। प्रश्न यह है कि कन्फर्मेशन हो गया, उसके बाद रेगुलर पेमेंट क्यों नहीं कराया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा, they were merely planned posts. पर्मानेन्ट पोस्ट्स नहीं थी, टेम्पोरेरी पोस्ट्स थीं इसलिए प्रोवीज़नल पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद सिलेक्शन होकर आ गया तो रेगुलर वेतन मिलता रहा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विज़ीशन भेजा गया था उसके अन्दर यह उल्लेख था कि ये पर्मानेन्ट पोस्ट्स है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया था कि यह सवाल उठाया....

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने कहा कोई रिक्विज़ीशन भेजा या नहीं, तो मैंने कहा कि नियमों के अनुसार रिक्विजीशन भेजना चाहिए। अब उसके अन्दर क्या दर्ज है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। आप अलग से सवाल पूछें तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह नियुक्ति की गई, यह प्लॉन के अन्दर न की जाकर, रेगुलर खर्च के अन्दर से की जाने की व्यवस्था थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कोई सवाल नहीं था। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इसके बारे में नोटिस नहीं दिया गया। फिर जवाब कैसे दे सकता हूँ ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ । इन लोगों का कन्फर्मेशन कब हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : अर्ज कर चुके हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी इनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्शन १९५९ में हो गया, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुआ है । क्या यह संकेत नहीं करता है कि डाइरेक्टर ने अनावश्यक रूप से नियुक्ति की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

प्रान्त में प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय

२५५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में कोई कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो उपरोक्त प्रस्तावित विश्व-विद्यालय का स्थान कौनसा निश्चित किया गया है तथा उसके क्या आधार हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : जी हां । कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर में खोलने का निश्चय किया गया है । राज्य सरकार ने कृषि विश्व विद्यालय खोलने का स्थान निश्चित करने के लिए एक समिति बनाई थी जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

१. प्रो. आर. ई. के. ग्रुपलीडर, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी

२. डॉ. ई. हिक्सन । एग्रीकलचर एजुकेशन एडवाइज़र, टी. सी. एम.

३. श्री के. सी. नायक, चीफ ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, आई. सी. ए. आर., न्यु देहली ।

तथा केन्द्रीय सरकार ने भी एक समिति बनाई थी जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

१. डॉ० आर० डब्लू० कमिगंस, रिप्रजेन्टेटिव ऑफ दी रोकफेलर फाउन्डेशन इन इन्डिया ।

२. श्री लक्ष्मीसहाय, एनीमल हस्बेन्डरी कमीशनर विथ दी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ।

३. डॉ. ई. हिक्सन, एग्रीकलचर एजुकेशन एड्वाइज़र, टी. सी. एम.

४. डॉ० के० सी० नायक, चीफ ऑफ एग्रीकलचर एजुकेशन, आई. सी. ए. आर., न्यु देहली ।

उपरोक्त दोनों समितियों ने सर्व दृष्टिकोण से विचार करके उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोलने की सिफारिश की है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह समिति कब बनी थी और इसने किस किस जगह को देख कर यह निर्णय लिया है ?

Page No 22

श्री दौलतराम सारण : समिति कब बनी, इसकी तारीख मेरे पास अभी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : और किन किन जगहों को इसके लिए देखा था कि कृषि विश्व विद्यालय को कहां कहां खोला जा सकता है? उदयपुर को प्राथमिकता दी गई, इसके लिए कौन कौनसी जगहों की जांच की थी?

श्री दौलतराम सारण : जो जो स्थान उनको देखने चाहिए, उनका निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की।

डॉ० चन्द्रकला : वे कौन से स्थान थे....

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं अर्ज कर रहा था, वह देखा नहीं गया जोबनेर ?

श्री दौलतराम सारण : क्या नहीं देखा गया ?

श्री उपाध्यक्ष : जोबनेर नहीं देखा गया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जहां पर........

श्री उपाध्यक्ष : The answer is coming from the Hon'ble Dy. Minister.

श्री दौलतराम सारण : ऐसा है कि कृषि युनीवर्सिटी के लिए जिस जगह पहले से कृषि शिक्षण की व्यवस्था है, उन जगहों को देख कर, जहां अच्छी जगह है, साधन हैं, भवन है, विद्यार्थी हैं, फील्ड हैं, ये सब बात देख कर निर्णय दिया है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपने जैसा कहा कि सब जगह देख ली है। जोबनेर के कॉलेज को नहीं देखा गया। केवल दो जगह थीं और जोबनेर पिछले छः वर्ष से चालू है और उसके रिसोर्सेज़ और पोटेन्शियलिटी ज्यादा हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो दो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थीं, उनकी रिपोर्ट जो....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपकी ओपीनियन है। He never wanted any answer.

डॉ० चन्द्रकला : यह नहीं बताया गया कि यह समिति जोबनेर कृषि कॉलेज देखने गई थी या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : समिति किस किस जगह गई, यह इस समय नहीं कह सकता। लेकिन समिति ने पूरी तरह एग्ज़ामिन करके जो निर्णय दिया वह आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

डॉ० चन्द्रकला : निर्णय कब दिया गया....

श्री मूलचन्द डागा : पाली जिले में पेक्ट प्रोग्राम लागू होने के बाद कमेटी अपॉइन्ट की थी या पहले ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं नहीं कह सकता ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह विषय बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

सीकर नगरपालिका द्वारा ट्रैक्टर व ट्रॉली की खरीद

२६०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका द्वारा एक ट्रैक्टर व ट्रॉली खरीदी गई है ? यदि हां, तो कब और किस २ कीमत में तथा किस काम के लिये ?

(ख) यह ट्रैक्टर व ट्रॉली कहां २ से खरीदी गई ? कृपया इसका पूरा विवरण (Full description) सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जनता अथवा सरकारी अधिकारियों से शिकायत मिली है कि ट्रैक्टर पुराना खरीदा गया है तथा नये की कीमत दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इस ट्रैक्टर की ट्रॉली खराब हो गई है ?

(ङ) क्या इस ट्रैक्टर के खरीदने से पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जांच करना जरूरी है, इसलिए इसका पोस्टपोनमेंट अलाऊ किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जो अब तक की सूचना है वह बता दीजिये । फाइल मिली या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मिली हो, तो आप कह दीजिये ।

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्य को पूरा सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Hence it is postponed.

(विराम)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा चौधरी ।

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

Page No 24

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

(११. ३२ म. पू.)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़!!

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री आनन्दसिंह कछवाहा ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक २४ फरवरी, १९६१ से ६ मार्च, १९६१ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

(विराम)

अनुपूरक अनुदानों (१९६०–६१) की मांगों (द्वितीय खण्ड) के विवरण का उपस्थापन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६०–६१ (द्वितीय खंड) के विवरण का उपस्थान करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नेस ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६१

(पुरःस्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

(पुरः स्थापन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

स्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ तथा अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री ।

राजस्थान भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ तथा अध्यादेश को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

मांगों पर मत-दान सम्बन्धी समय-निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष : Before we take up the demands, I would like to inform this Hon'ble House that Gulletin will be applied at 4. 30 P. M. on this issue.

डॉ० बहादुरसिंह(धौलपुर) : ४. ३० ?

श्री उपाध्यक्ष : ४. ३० ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६८— वैज्ञानिक विभाग

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६१ तक हुए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५ लाख २० हजार रुपये की राशि और प्रदान की जाय ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

श्री पी० के० चौधरी—

Demand No LXVIII, Major Head 36-Scientific Departments be reduced

(श्री पी. के. चौधरी)

by Re. 1/-(to discuss the affairs of Palana Colliery.

श्री भैरोंसिंह—

मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में पलाना खानों में अव्यवस्था पर बहस करने के लिए १) रु० की कटौती की जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर—

मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जावे (राज्य के विभिन्न म्युज़ियमों की अवस्था पर विचार करने हेतु)।

श्री मूलचन्द डागा—

मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में १) रुपये की कटौती की जाय (जिला स्तरों पर अजायबघरों की उपयोगिता एवं आवश्यकता पर विचार करने के लिए)।

मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में पलाना खान में Additional staff पर फिजूल खर्च पर बहस करने के लिए १) रु० की कटौती की जाय।]

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move the cutmotion, "That the demand No. 68, Major Head 36/ Scientific Departments may be reduced by one Rupee (to discuss the affairs of Palana Colliery.)"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कट मोशन है वह सिर्फ पलाना कोलियरी के अफेअर्स या मिसमेनेजमेंट की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा है। आज से करीब करीब सभी पिछले सेशन्स में इस पलाना कोलियरी के मिसमेनेजमेंट के बारे में सदन के अनेकों माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया है, पर दुःख की बात है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी पलाना कोलियरी के मेनेजमेंट में सुधार नहीं हुआ है। काफी अर्से के बाद में वहां "ए" क्लास का मैनेजर रखा था जिससे कि वहां का प्रोडक्शन बढ़ जाय, पर मैनेजर को रखे हुए डेढ़-दो साल हो गये, फिर भी वहां का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है; जितना पहले प्रोडक्शन होता था आज भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा 'ए' क्लास का मैनेजर रखने से पहले जो मैनेजर था उस मैनेजर से ज्यादा तनख्वाह इस 'ए' क्लास मैनेजर को दी जाती है। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ अर्से में स्टाफ में वहां पर बढ़ोत्तरी भी काफी हुई है। पहले वहां पर ढाई सौ, तीन सौ मजदूर काम करते थे वहां अब उसके मुकाबले में ६००—७०० मजदूर काम करते हैं। दिसम्बर के लास्ट वीक में सवा सौ, डेढ़ सौ मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई और १५ दिन बाद उनको ले ऑफ कर दिया यानी हाफ पे पर घर पर बैठा दिया। उन्हें इस ले ऑफ सिस्टम से घर बैठे आधी तन-

Page No 27

(श्री पी. के. चौधरी)

ख्वाह दी जा रही है, १८ जनवरी से वह सिस्टम चालू करके उनको घर बैठे आधी तनख्वाह दी जा रही है, २४ दिसम्बर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक सवा सौ, डेढ़ सौ मजदूरों की बढ़ोत्तरी की है और वहां की लेबर यूनियन की मेनेजमेंट के खिलाफ शिकायत है कि इस प्रकार नये लेबरर्स को भर्ती करने में मेनेजमेंट को पॉलिसी यूनियन को कमजोर करने की, एन्टी लेबर पोलिसी है। वहां परमानेन्ट लेबरर्स हैं वे सारे के सारे यूनियन के सदस्य हैं, वे सब संगठित हैं, यूनियन की राय से चलते हैं इसलिए उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए पिछले दिसम्बर में १५० लेबरर्स को भर्ती किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि सारे वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ा और आज उनको घर बैठे आधी तनख्वाह देनी पड़ रही है।

ले ऑफ करने का कारण बताया है कि रेल्वे से वेगन्स नहीं मिले। १८ जनवरी को ले ऑफ करने का ऑर्डर करते हैं कि १६ जनवरी से रेल्वे ने वेगन्स देना बन्द कर दिया है इसलिए ले ऑफ करते हैं। एक-दो दिन वेगन नहीं देने से कोल इतना इकट्ठा हो जाय और ले ऑफ करना पड़े, यह बात समझ में नहीं आती। जैसे कि कारण बताया है कि इतना कोल इकट्ठा हो गया है कि आउट स्टोक करना डेन्जरस है। पर मैं मानता हूँ कि दो दिन वेगन्स नहीं आने से कोल-खान में यह परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती कि सारी माइन का काम बन्द करना पड़े।

यदि यह मान कर चलें कि वाकई में इतना कोल स्टॉक इकट्ठा हो गया है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ले ऑफ करने का यह हो सकता है कि ३ हफ्ते पहले १५० लेबरर्स भर्ती किये, ६० पर्सेंट लेबर में बढ़ोत्तरी की गई। एक्स्ट्रा कोल कटर्स भर्ती करने से इतना प्रोडक्शन बढ़ गया कि ले ऑफ करना पड़ा। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि रेगुलर वेगन आने के बाद भी उसको ट्रान्सपोर्ट करने की व्यवस्था नहीं की। ये दो कारण हो सकते हैं जिससे ले ऑफ करने की स्थिति वहां पर पैदा हुई।

दूसरी एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वह यह है कि कोल ट्रान्सपोर्ट के लिए भी इस डिमान्ड में पैसा मांगा गया है, कुछ पैसा बीकानेर पॉवर हाउस को पलाना कोलियरी से कोयला ट्रान्सफर करने के लिए रखा गया है:

"A sum of Rs. 3,90,000/- required in connection with defraying additional expenditure due to development of Palana Colliery necessitating more funds for additional staff, issue of credit notes In lieu of payment of railway freight etc. for supply of coal to Bikaner Power House and arrear payment of Sales Tax for 1956-57 and 1957-58 on total sale."

बीकानेर पॉवर हाउस में कोल ट्रान्सफर किया जाता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पलाना कोलियरी से बीकानेर पॉवर पाउस को कोयला ले जाने के लिए रेलवे की साइड लाइन डाली हुई है। आज यह मानी हुई

Page No 28

(श्री पी. के. चौधरी)

बात है कि चीपेस्ट मोड़ ऑफ ट्रान्सपोर्ट रोड ट्रान्सपोर्ट है; railway transport is not the cheapest mode of transport.

मैं समझता हूँ कि रेलवे की मार्फत कोल ट्रान्सफर करते हैं बीकानेर पॉवर पाउस में, इससे क्विकर और चीपर ट्रान्सपोर्ट हम रोड ट्रान्सपोर्ट से अरेंज कर सकते हैं । जो आज राजस्थान सरकार के पास रोड ट्रान्सपोर्ट है, ट्रक्स हैं तो चीपर और क्विकर ट्रान्सपोर्ट कर सकते हैं ।

तो इस कटमोशन के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन सारे फैक्ट्स को एग्ज़ामिन किया जाय कि आज रेलवे से लाइन मेन्टेन करने में पलाना से, बीकानेर पॉवर हाउस में कोल ट्रान्सपोर्ट करने से, कितना खर्चा पड़ता है और यदि कोल को ट्रक्स से ट्रान्सफर करेंगे तो कितना खर्चा पड़ता है, which is cheaper ?

मैंने इन सारे फैक्ट्स का केल्कुलेशन करके देखा है कि ट्रक से ट्रान्सपोर्ट करें तो ५० पर्सेंट से भी कम खर्चा पड़ता है ।

बस इतना ही कह कर मैं अपना कट मोशन मूव करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री भैरोंसिंह) : The cut motion is identical with the one which has been moved.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा पलाना कोल माइन्स में जो विकास के नाम पर अव्यवस्था है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । माननीय उपाध्यक्ष, इन खदानों के विकास के लिए जहां तक मुझे याद है भूतपूर्व बीकानेर रियासत ने अपनी एक एक्स्पर्ट कमेटी की ओपिनियन के अनुसार यह निश्चय किया था कि आज अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग का सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुसार खदानों से जितना कोयला निकलना चाहिये वह नहीं निकाला जाता है और जिस प्रकार आवश्यकता की पूर्ति इससे होनी चाहिये वह आवश्यकता भी पूरी नहीं होती है ।

१६४७ की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर रियासत ने एक योजना बनाई जो योजना केवल २१ लाख रुपयों की थी । इस योजना के अनुसार वह अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग के सिस्टम को बदल कर ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम करना चाहते थे । इसके लिये उन्होंने ८ लाख की मशीनरी खरीदी और उसके बाद मशीनरी से काम लिये जाने की व्यवस्था की जा रही थी कि उस अर्से में हुकूमत बदली और जब इस हुकूमत को आभास हुआ कि कुछ दिनों में भाखरा की बिजली उनको मिल जावेगी तो उस भाखरा की बिजली आने की आशा में उन्होंने इन मशीनों को इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया और अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग सिस्टम ही चलता रहा । वह अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग सिस्टम सन् १६४७ से आज १६६१ तक उसी प्रकार से चला आ रहा है जितना खानों से कोयला निकलना चाहिये, जिस कोयले से बीकानेर पॉवर हाउस की जरूरत पूरी होनी चाहिये थी, जिस कोयले से उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिये थी । उसी कोयले के नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

निकलने के कारण राजस्थान को हर वर्ष एक या दो रुपयों का नहीं, बल्कि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। मैं यह कहूँगा कि पिछले दिनों में जब कोयला कम निकलने लगा तो बीकानेर पॉवर हाउस को कोयला सप्लाई करने के लिये बंगाल से कोयला मंगाना पड़ा था। ८ लाख की मशीनरी का नुकसान और उसके अलावा खान से कोयला नहीं निकलने के कारण राजस्थान सरकार को करीब करीब दो करोड़ का घाटा हुआ है। लेकिन इसकी पूर्ति के पश्चात् भी हम यह समझने लगे और यह समझ कर चले कि राजस्थान सरकार ने तत्परता से काम लिया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सरकार ने ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम के हिसाब से काम शुरू करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रावधान रखा था, मगर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये दो करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा और यह सिद्धान्त रखा कि यह खान ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम के रूप में काम करनी चाहिये। लेकिन वे पांच वर्ष भी पूरे हो गये और उसमें दो करोड़ में से कुछ रुपया खर्च हुआ हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं यह कहूँगा कि उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अब यह देखना है कि बीकानेर स्टेट जिस काम को २१ लाख रुपयों में करना चाहती थी उसी कार्य को हमारी राज्य सरकार ने दो करोड़ में पूरा करने का प्रावधान रखा। आज सरकार से पूछें कि सन् ४८ से ५६ तक सरकार अन्धेरे में क्यों पड़ी रही है और कोई यह भी पूछें कि अब २१ लाख से दो करोड़ के खर्चे की वृद्धि कैसे हुई है और क्यों हुई है? हर एक आदमी यह आसानी से कहेगा कि हमारी सरकार उस कार्य को करना नहीं चाहती थी और पलाना की खानों से फायदा उठाना चाहती थी, मगर उसमें भी असफल रही, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात निश्चित रूप से माननीय उपाध्यक्ष कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कटौती हुई है उसका एक कारण यह भी था कि भारत सरकार के सामने हमारे प्रतिनिधित्व करने वालों ने हमारी मांग को ठीक तरह से पेश नहीं किया। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना सन् ५२ से ५६ तक चली और इसके लिये हमारे यहां दो करोड़ का प्रावधान रखा गया था। मगर सन् १६६१ तक कोई काम नहीं हुआ और हमारी सरकार ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम को लागू करने में असमर्थ रही।

इसके लिये यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की तरफ से टेक्निकल परसन्स की राय नहीं आई और यह भी कहा जा सकता है कि कमेटी ने विलम्ब किया। हो सकता है कि भारत सरकार के टेक्निशियन्स ने कोई सलाह नहीं दी हो, मगर हमारी सरकार को भी इसके लिये दोषी ठहराया जा सकता है। यदि हमारे मुख्य मंत्री या मंत्री संभावित करोड़ों रुपयों से बचने की कोशिश करते तो भारत सरकार के टेक्निकल पर्सन्स या एक्सपर्ट कमेटी का सन् १६५६ से लगा कर १६६१ तक कभी भी किसी प्रकार से उनका सहयोग और राय लेकर रकम खर्च कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दो करोड़ की रकम लैप्स हुई।

अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो

(श्री भैरोसिंह)

करोड़ ७६ लाख का प्रावधान रखा गया है, लेकिन यह किस तरह से रहेगा और खर्च होगा इसके लिये हमारी राज्य सरकार अभी अन्धेरे में है। हमारी सरकार यह कह कर निकल सकती है कि हमने इसके लिये माइनिंग एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है और इसके लिये २.७६ का प्रावधान रखा है। मगर अभी तक हमने जो शिथिलता बरती है उससे कोई सबक सीखा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में पलाना कोल माइनिंग का जिस तरह से विकास होना चाहिये नहीं हुआ। इसके लिये सरकार उत्तरदाई है और सरकार के पास इसके लिये किसी तरह का डिफेन्स नहीं हो सकता जिससे कोई भी भला आदमी कन्विन्सड हो जावे।

अब इसके उत्पादन के सम्बन्ध में कि कितना उत्पादन होता है, मैं थोड़े से अपने विचार प्रगट करता हूँ। अगर हमारी कोल माइनिंग का विकास हुआ होगा तो अवश्य ही उसमें उत्पादन बढ़ा होगा। अगर उत्पादन बढ़ा होगा तो हर आदमी कह सकता है कि इसका विकास हुआ है, चाहे मैं कहूँ या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में दो—चार सालों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे सदन को मालूम हो जावेगा कि जिस दिन हमारी सरकार ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली है उस दिन से कितना उत्पादन बढ़ा है। हमारी सरकार कहती है कि चारों तरफ से तरक्की करते हैं और हम बहुत अच्छा काम करते हैं और जब दूसरे लोग उसकी आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि यह गलत कहते हैं। मैं खुद सराहना करता, मगर मैं यह कहूँगा कि सराहना करना तो दूर रहा बुराई करने के लिये शब्द भी मुझे नहीं मिलते।

सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि १६४८ के अन्दर ७२,३७१ टन उसका उत्पादन होता था। अब मैं ४८ से ५५ तक के फिगर्स नहीं बताना चाहता। इसमें कभी बढ़ोत्तरी, तो कमी कभी हुई है।

१६५४ में जब से हमारी वर्तमान सरकार ने इसे संभाला है :

१६५४ में २६ हजार ६२ टन उत्पादन हुआ।

१६५५ में २८ हजार ६४४ टन उत्पादन हुआ।

उसके बाद १६५६ में २५ हजार ६२१ टन उत्पादन हुआ।

उसके बाद १६५७ में १७ हजार ५५१ टन उत्पादन हुआ।

उसके बाद १६५८ में १२ हजार ३४४ टन का उत्पादन हुआ।

यह हमारी सरकार का एचीवमेंट है।

१६५८ से पहले वहां फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकिन्ड क्लास मैनेजर को बात थी। हमने वहां पर फर्स्ट क्लास माइनिंग इन्जीनियर की नियुक्ति कर दी और उसके पश्चात् भी सन् १६५८ में कोल का प्रोडक्शन सबसे नीचा चला गया। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी यह कहेंगे कि निरीक्षक महोदय के द्वारा कुछ समय के लिये काम रुकवा दिया गया था। तो मैं मुख्य मंत्री से जानना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहूँगा कि वे मन्थ वाइज़ स्टेटमेंट है जिसमें काम बन्द हुआ है उससे वे एवरेज निकाल कर बतावें कि पूरा वर्ष कितना काम चालू रहा। मैंने तो इसी तरह से आंकड़े निकाले हैं। अब ५६—६० का प्रश्न आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय नये इन्जीनियर की नियुक्ति की, हमने कई प्रकार की आशाएं लगा रखी थीं। हम ऐसा भी समझते थे कि जो सेकिन्ड क्लास माइनिंग इन्जीनियर वहां २५०० टन से अधिक उत्पादन नहीं करा सकता तो जब फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर आयगा तो कम से कम वह पांच हज़ार टन का उत्पादन करायेगा और जैसा कि आश्वासन दिलाया गया था कि यदि इस प्रकार का स्टाफ दिलाया जायगा, एस्टेब्लिशमेंट में स्टाफ की नियुक्ति की जायगी और ट्रान्सपोर्ट में चार्जेज़ दिये जावेंगे तो ८ हज़ार टन तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना खर्चा फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर द्वारा बढ़ाने की बात कही गई थी वह बढ़ा दिया गया, जो ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ उसने मांगे थे वे भी दे दिये, मजदूरों के लिए जो रिलीफ मांगा गया था वह भी दे दिया और राज्य सरकार की ओर से इसके लिए यह भी चिन्ता नहीं की गई कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के माइनिंग रूल्स के अनुसार जो एग्जेम्प्शन्स हैं, और पलाना कोलियारी उसमें आती है, ओवर वर्क के बारे में कोई चार्जेज़ नहीं देते हैं और इस प्रकार की सर्विसेज़ हैं जिनको ओवर टाइम काम करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है और ऐसी सर्विसेज़ जिनको कम्पेन्सेटरी लीव और कम्पेन्सेटरी डेज़ के लिए कोई अलाउन्स नहीं देना पड़ता है, राज्य सरकार द्वारा माइनिंग इन्जीनियर ने भारत सरकार के कानून की अवहेलना की और कानून की अवहेलना करके जो लोग उस ऑर्डर के अनुसार कम्पेन्सेटरी और ओवर वर्क के लिए अलाउन्स लेने के हकदार नहीं थे माइनिंग इन्जीनियर ने एक लाख रुपया उन लोगों को दे दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि कानून के अनुसार जांच कराई जाय तो माइनिंग इन्जीनियर ने जो एक लाख रुपया दिया है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। जो सरकार ने समय समय पर सर्कुलर्स इश्यू किये थे उन इश्यू किये गये सर्कुलर्स की तामील में काम किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि माइनिंग एक्ट की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन्स इश्यू किये उनकी अवहेलना की और नोटिफिकेशन्स की तामील में, नोटिफिकेशन्स की कम्प्लायेन्स में जिन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया था उन लोगों को रिलीफ देकर राजस्थान सरकार को एक लाख रुपयों का घाटा पहुंचाया। उस व्यक्ति के खिलाफ यदि मजदूर चिल्लाते रहें, उस व्यक्ति के खिलाफ मजदूर यदि रिप्रेजेन्टेशन करें, उस व्यक्ति के खिलाफ मजदूर प्रदर्शन करें तो यह स्वाभाविक है कि माइनिंग इन्जीनियर नाराज़ हो और यह भी स्वाभाविक है कि माइनिंग इन्जीनियर उनको परेशान भी करने की चेष्टा करे; सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन देने की चेष्टा करे, इस प्रकार से जो खर्चा किया जाता है उसके अपव्यय को रोके। लेकिन राजस्थान की सरकार कानों में तेल डाल कर ऐसी सो गई है

(श्री भैरोंसिंह)

कि राजस्थान में जनता के पैसे की देख-भाल करने वाला कोई नहीं है और जब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती तो उन्होंने देखा कि पलाना माइन्स पर मेरा ही एक-छत्र अधिकार है और उसका नतीजा इस साल के जनवरी माह में हमने देखा है। जनवरी के पहले पंचायतों के इलेक्शन हुए और माइनिंग इन्जीनियर भी उन पंचायत इलेक्शन्स में सक्रिय बन गये और शायद अपने एक रिलेटिव को ग्राम पंचायत का उप-सरपंच भी बना दिया। विपरीत स्थिति में वोट लेना आसान नहीं है। मैं चाहे माइनिंग इन्जीनियर होऊं, चाहे सरकार का कोई अधिकारी, वोट लेने में टैक्टिक्स माइनिंग इन्जीनियर काम में नहीं ला सकते हैं तो उनको नहीं मिल सकते लेकिन अपने गांव के वोटर्स को, चूंकि मेरे वोटर्स हैं उनको पलाना में कोल मजदूरों की नौकरी पर नियुक्त किया। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि दिसम्बर से लेकर जनवरी तक जो ले ऑफ किया गया वहां उनकी नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां उनके गांव के वोटर्स को दी गई। ११६ के करीब नियुक्तियां की गईं। जब ले ऑफ किया गया तो पुराने कर्मचारियों को ले ऑफ पर भेज दिया गया, नये कर्मचारियों को काम नहीं दिया गया और काम लिख दिया और चाल क्या चली गई कि कम्पेन्सेशन के नाते, नियुक्ति के नाते सैलेरी के रूप में एक लाख रुपयों का खर्चा कर दिया था उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने यह व्यवस्था की कि उधर ले ऑफ कर दिया जाय, कुछ मजदूरों को हाफ पे पर रख दिया जायगा और बाकी के मजदूरों की आधी तनख्वाह बचेगी उसको एडजस्ट कर दिया जायगा और राजस्थान सरकार ऐसे हिसाब को देखा नहीं करती है, वहां पर कोई चैक करने वाला नहीं आवेगा और होगा भी तो बजट की जो स्ट्रेन्थ है, बजट अलोकेशन में ही रह कर यह सारी कार्यवाही की गई है, ऐसा बता दिया जायगा।

मैं ऐसा समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उस सारी स्थिति में आज पलाना कोलियरी की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है वह व्यवस्था हर प्रकार से चिन्ताजनक है, बुरी है। स्टाफ की नियुक्ति की गई वह गलत ढंग से की गई, जो पैसा दिया गया वह गलत ढंग से दिया गया, माइन्स में गलत ढंग से काम किया गया, इस प्रकार से गलत ढंग से मजदूरों में कोई उत्साह नहीं रहा है और उससे प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। उन सारे कारणों से माइन्स की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है और वही चली आ रही है। मैं विशेष न कह कर इतना ही कहूंगा कि ओपन कास्ट माइनिंग की स्कीम है उसके लिए सरकार को सतर्क होकर जितनी भारत सरकार से कोशिश की जाय उस कोशिश को करके जल्दी से जल्दी उसको लागू करना चाहिये।

छोटा सा मसला है। आज यांत्रिक युग है, बड़ी मशीनें खरीद की जा सकती हैं। २३० फीट मिट्टी उठानी थी। १३ वर्ष तक उसके लिए योजना बनती रहे और १४ वें वर्ष में कुछ न करें तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज एक अकर्मण्य सरकार का प्रशासन चल रहा है। यह अकर्मण्य स्थिति है। यह 'अकर्मण्य' शब्द में जान-बूझ कर प्रयोग में रहा ले हूं। मैं ही नहीं, हमारी प्राक्कलन समिति ने भी 'अकर्मण्यता' के लिए कहा है

(श्री भैरोंसिंह)

और उससे भी छोटा से छोटा शब्द उस डिक्शनरी में हो सकता है, सभ्य भाषा में लगाया जा सकता है, उस भाषा का प्रयोग सरकार के लिए किया है,लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रकार की भाषा से,इस प्रकार के शब्दों से इम्म्यून हो चुकी है, उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। असर हो तो सन् ५३ की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है और उसके बाद की रिपोर्ट है और उसके बाद लेटेस्ट १५ वीं प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है जो सदन में पेश की गई है इसको पढ़ें तो सरकार को उलहना देने की सीमा ही समाप्त हो गई है और ऐसी पोज़िशन आ गई है कि सरकार इम्म्यून है, लिखने का कोई तात्पर्य नहीं। लिखने में कागज़ खर्च होता है और कहने में एनर्जी खर्च होती है। इन दोनों बातों को सामने रख कर विधान सभा का सदस्य होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि सरकार इम्म्यून हो गई है, लाइफ क्रियेट करके जो इम्यूनिटि उसमें पैदा हो गई है उससे बाहर निकालूं और इसीलिए मैंने कटौती का प्रस्ताव सदन में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : Government to reply.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर्टीक्युलर डिमान्ड के सम्बन्ध में मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे।

श्री उपाध्यक्ष : Cut motions were submitted, but they have been disallowed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन कटौती के प्रस्ताव सबमिट किये थे। उनमें से एक सर्कुलेट हुआ है; उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे डिसअलाऊ हुए हैं। The other two have been disallowed, one has been allowed. You were requested to move the first cut motion, but you were absent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am speaking in favour of the cut motion moved by Shri Bhairon Singh.

श्री उपाध्यक्ष : I don't mean that you cannot speak. You may support it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो साइन्टिफिक डिपार्टमेन्ट्स की मांग है उसके सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं, उसका समर्थन कुछ शब्दों में रखना चाहता हूँ।

वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ पलाना खान के बारे में जितने सख्त से सख्त शब्दों में कहा जा सकता है वे श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिये हैं। मैं यह समझता हूँ, सदन द्वारा निर्मित एस्टीमेट्स कमेटी ने भी एक बार नहीं अनेक बार पलाना खान के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूँ और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय और विशेषकर वित्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मन्त्री महोदय को, जिनके ऊपर राज्य की वित्त स्थिति का सारा भार है, राज्य के किन किन कामों में कितना कितना घाटा होता है उस ओर समुचित रूप से ध्यान नहीं दें और हर वर्ष नये नये टैक्स लगा कर जनता की दुराशीष लेनी पड़ती है । अगर वे इस ओर ध्यान दें तो इन दुराशीषों में कमी आ जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्राक्कलन समिति ने अनेकों बार अपनी रिपोर्ट्स में इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि पलाना खान का समुचित विकास न होने की वजह से राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है; वित्त विभाग की लापरवाही के कारण, खनिज और उद्योग विभाग की लापरवाही के कारण, विद्युत और यन्त्र विभाग की लापरवाही के कारण जो कुछ नुकसान हुआ है उसके बारे में प्राक्कलन समिति ने अपनी १९५८—५९ की रिपोर्ट में जो कुछ कहा है वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ । उस रिपोर्ट के पैराग्राफ १६ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है :

"समिति की निश्चित राय है कि पलाना कोल माइन्स में उत्पादन नहीं बढ़ाने से राज्य सरकार को निम्नलिखित हानियां उठानी पड़ रही हैं :

१. लाखों रुपयों की आर्थिक हानि

(क) पलाना खान में कम उत्पादन से प्रति टन होने वाले मुनाफे में कमी ।

(ख) बंगाल कोयले के गे महंहोने से बीकानेर पॉवर हाउस में आर्थिक हानि ।

२. पॉवर हाउस की मशीनरी को नुकसान, जो बंगाल का कोयला इस्तेमाल करने से होता है ।

(३) बंगाल कोयले के उपयोग से मशीनरी को नुकसान होने के कारण बिजली के उत्पादन में कमी ।

(४) अधिक उत्पादन करने के लिये अधिक संख्या में मजदूरों का नहीं रखा जाना और इस प्रकार लोगों को रोजगार देने की निश्चित संभावना में देरी ।

(५) बिजली नियमित रूप से प्राप्त न होने के कारण औद्योगिक विकास में बाधा ।

(६) कोयले के मामले में राज्य को स्वावलम्बी बनने की प्रगति में रुकावट ।"

जिस कारण राज्य—कोष में करोड़ों रुपयों की निरन्तर हानि होती चली आ रही है उससे समिति की यह निश्चित राय है कि जो सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी हैं उनके प्रति उपयुक्त अनुशासन की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति ने मौके पर जाकर वस्तु—स्थिति का निरीक्षण किया है और बीकानेर पॉवर हाउस को भी देखा है । पलाना खान को देखा है, वहां की मजदूरों की हालत को देखा है, उसके फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स पर विचार करने के बाद यह कमेटी इस राय पर पहुंची है कि राजस्थान सरकार के तीन विभाग—वित्त विभाग, उद्योग विभाग और विद्युत और यन्त्र विभाग—ये तीनों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विभाग यदि समन्वय के साथ काम करें तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। आज अफसोस इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इन्डस्ट्रिएलाइजेशन की बातें रोज कर रहे हैं, हमें औद्योगीकरण की बातें भाषणों और अभिभाषणों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन वे बातें सिर्फ प्रचार करने की बातें दिखाई देती हैं। अगर इन्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में राज्य सरकार सतर्क है तो मैं समझता हूँ इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये सबसे जरूरी चीज़ है फ्युअल जो राजस्थान में जिस किसी भी प्रकार का मिलता है उसका उपयोग सरकार नहीं करती। आज फ्युअल नहीं मिलता, भाखरा—नांगल से बिजली नहीं आ रही है; राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ये बातें फरमाते हैं कि जितना इन्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिये उतना नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिकरण के लिये जिस प्रकार के फ्युअल की आवश्यकता होती है और जिस किसी भी प्रकार का कोयला हमारे यहां मिलता है वह भी एक जगह मिलता है उसका भी समुचित उपयोग और उसका एक्सप्लोइटेशन राज्य सरकार करने में असफल रही है जिसके कारण एक ओर औद्योगीकरण में बाधा पहुँची है दूसरी ओर बीकानेर डिवीजन में जो लाखों की संख्या में गरीब और बेकार हैं उन लोगों को भी रोजगार से वंचित किया गया है। अगर हमारी पलाना कोयले की खान का एक्सप्लोइटेशन ठीक प्रकार से होता तो वहां के बेकार लोगों को इन्डस्ट्रीज़ में लगाया जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से इस कोयले का उपयोग नहीं किया गया है। कॉमर्स और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट, मालूम पड़ता है खानों के मामले में ज्यादा दिलचस्पी न लेकर बोगस कम्पनीज़ को....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : It is dealt with by the Mines Department and not by the Industries and Commerce Department. You should know that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका सम्बन्ध उद्योग और खनिज विभाग दोनों से है; इसलिये निवेदन कर रहा हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह मांग तो वैज्ञानिक विभाग से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह विभाग मुख्य मन्त्रीजी के पास है, आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ ७ में लिखा है :

"वित्त विभाग, विद्युत एवं यन्त्र विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का चार साल तक अकर्मण्यता के साथ बैठे रहना और अपने अपने विभागों में हो रहे भारी नुकसान के प्रति मंत्रि—मंडल का ध्यान न खींचना इस बात का प्रमाण है कि जनहित तथा राज्य कोष से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण मामले के साथ अत्यन्त लापरवाही तथा निर्ममता बरती गई है।"

Page No 36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है, मंत्री जी। आपको पढ़ने की फुरसत नहीं, दौरे आप खूब करते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह : वैज्ञानिक विभाग से सम्बन्धित है यह मांग।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैज्ञानिक विभाग कोई इन्जेक्शन नहीं या जड़ी बूटी दे दी जाय, डॉक्टर साहब। यह तो प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में है जो मैं पढ़ रहा हूँ। माननीय मन्त्रीजी को अवकाश नहीं, जो इसको पढ़ते। अब कहते हैं कि हमारा इससे सम्बन्ध नहीं, आपका सम्बन्ध है। मन्त्री जी, आप यह कह कर दूर नहीं हट सकते। जहां आप कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी मानते हैं वहां इसमें भी आपकी जिम्मेदारी है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रेस्पोन्सिबिलिटी की बात नहीं कही, मैंने सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित किया है कि पलाना माइन्स का एक्सकेवेशन माइन्स डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत है। मैं ही इसका जवाब दूंगा, मैं ध्यानपूर्वक आपकी बात सुन रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप टैक्निकल बात कह कर शायद इससे बच कर निकलना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह : बैक ग्राउन्ड बता रहे हैं, ताकि जवाब में कोई कमी नहीं रह जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस पलाना खान के बारे में अगर हमारी राज्य सरकार एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जागरूक रहे तो इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं हैं। जिस प्रकार के स्ट्रिक्चर सरकारी विभागों के लिये इस समिति द्वारा दिये जाते हैं उस बारे में यदि सरकार कदम उठा लेती है तो काफी कहने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन पलाना खान के कोयले के प्रोडक्शन के बारे में जो फीगर्स मिलते हैं उनके अनुसार १६५४ में २६,६१५ टन का उत्पादन हुआ है और उसके बाद सन् १६५५ में २८,६४३ टन और फिर सन् १६५७ में जाकर सिर्फ ११ हजार टन रह जाता है, यह है हमारी पलाना की कोयले की खान की प्रगति। यह साफ दिखाई देता है कि वहां का प्रोडक्शन दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। मैं समझता हूँ, यह बहुत गंभीर बात है। राजस्थान सरकार पिछले पांच सालों से कहती चली आ रही है कि हम फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्त करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी चीजें हुई वे सब हमारी दृष्टि के सम्मुख हैं। आज राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ की दृष्टि से कहीं फ्युअल मिलता है तो वह केवल पलाना में मिलता है, लेकिन इसके लिये जो भी संभव उपाय सरकार द्वारा किये जाने चाहिये वे नहीं किये जा रहे हैं। अगर वे उपाय किये जाते हैं तो इस खान का एक्स-प्लोइटेशन काफी हो सकता है।

दूसरी ओर बंगाल का कोयला जो बीका-नेर पॉवर हाउस में काम में लिया जाता है उससे हमारी मशीनरी खराब होती है। जब कि वह अपने यहां से उत्पादित कोयले के अनुकूल मशीनें हैं तो उनकी खपत वहां न

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की जाकर बंगाल का कोयला इस्तेमाल किया जाता है उससे हमारा बीकानेर का पॉवर हाउस खराब हो गया है, इसको भी जानकारी प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में दी है। बीकानेर पॉवर हाउस में लाखों रुपयों की मशीनरी लगी हुई है, उसमें बंगाल का कोयला उपयोग किये जाने से वहां की मशीनरी खराब हुई है। यदि इस संबन्ध में ये विभाग लापरवाही करते हैं तो हमारे वित्त मंत्री उन सबसे ऊपर हैं, उनको भी इसकी जानकारी रखनी चाहिये। आखिर वित्त का मामला है, अगर हमारे वित्त मंत्री महोदय जागरूक रहें तो हर साल जो नये नये टैक्स लगाने पड़ते हैं और इस बुजुर्गी अवस्था में लोगों की दुराशीषें लेनी पड़ती हैं उससे वे बच सकते हैं। मैं आपका ध्यान १५ वें प्रतिवेदन की ओर, जो प्राक्कलन समिति ने दिया है, उसके पैराग्राफ ४७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ :

"समिति को पलाना को ओपन कास्ट बनाने की योजना से सम्बन्धित तथ्यों को जान कर निराशा हुई है जिनके कारण अब तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। समिति ऐसा विश्वास करती है कि यदि १९४७-४८ में ही पलाना को ओपन कास्ट बनाने की योजना क्रियान्वित कर ली जाती तो वह अब तक पर्याप्त मात्रा में कोयला देने लग जाती और उस पर खर्चा भी २१ लाख रु० के आस-पास पड़ता जब कि अब करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें ब्रिकेटिंग प्लान्ट की कीमत सम्मिलित है। किन्तु बाद में राजस्थान निर्माण के बाद भी पलाना के विकास के संबंध में सम्बन्धित विभागों अर्थात् वित्त, खनिज, एवं विद्युत विभागों द्वारा उदासीनता बरती गई जिस पर प्राक्कलन समिति ने अपने अष्टम् प्रतिवेदन में काफी चिन्ता व्यक्त की थी। परन्तु समिति को यह देखकर उतना सा खेद है कि आज भी इस स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। समिति इस बात पर भी चिन्ता प्रगट करती है कि अब तक इस योजना को स्वीकृति नहीं देने का एक कारण यही है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रश्न पर आवश्यक तत्परता और कुशलता नहीं दिखाई और भारत सरकार से इस योजना को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का जितना जरूरी था उतना आग्रह नहीं किया। तभी वह अब तक जांच में पड़ी हुई है और उसके दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में सम्मिलित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। इन परिस्थितियों में समिति सरकार से सिफारिश करना चाहेगी कि भारत सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध किया जावे कि राज्य बिजलीघरों की आवश्यकता तथा औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें।"

अभी तक तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ इस पलाना की खान के बारे में जितनी ज्यादा बातें प्रतिवेदनों में कही गई हैं, जिन दलीलों और शब्दों के साथ कही गई हैं, मैं समझता हूँ उनसे अधिक जोरदार शब्दों में मैं भी नहीं कह सकता और उद्योग मन्त्री, मुख्यमन्त्री और विद्युत मन्त्री महोदय से कहूँगा कि पलाना खान के विकास की दृष्टि से समुचित व्यवस्था की जावे जिससे हमारे यहां के औद्योगीकरण में सहायता मिल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सके और बेरोजगार लोगों को काम मिल सके। इन शब्दों के साथ श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मेरा भी कट मोशन था।

श्री उपाध्यक्ष : There are two more cut motions. Then you will have the chance.

इस पर है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जी हां। मेरा भी कट मोशन है, जिला स्तर पर अजायबघर को दुरुस्ती के सम्बन्ध में विचार करने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'ble member to confine himself to the cut motion as detailed in the list of cut motions.

मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा राज्य के विभिन्न म्यूजियमों को....

श्री उपाध्यक्ष : That has been amended now to allow it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जो मेरा संशोधन है इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस समय राज्य के अन्दर जिस प्रकार की म्युजियमों की अवस्था है उस सम्बन्ध में अभी पिछले दिनों समाचार मिला था कि जयपुर के सम्बन्ध में कुछ खरीद की गई थी और मुख्यतया जयपुर की महारानीजी से खरीद की गई और वह भी अधिक कीमत से खरीद की गई। इसके साथ इस प्रकार के समाचार भी स्थानीय पत्रों में आये कि जयपुर की महारानीजी, जो जयपुर की म्युज़ियम का गलीचा था उसे देने से इन्कार कर रही हैं। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारी राज्य सरकार किस तरह व्यवस्था कर रही है।

यह सही है कि राजस्थान में जितनी म्युज़ियमें हैं वे सब भूतपूर्व राजाओं द्वारा स्थापित हैं। इसमें राज्य सरकार ने कोई वृद्धि की हो ऐसा नहीं लगता। होना यह चाहिये था कि प्रत्येक जिले में कम से कम सरकार एक म्युज़ियम की व्यवस्था करती ताकि जिला परिषदों और पंचायत समितियों को भी इनसे मदद मिलती और सभी को इस प्रकार के साधन उपलब्ध हो सकते। उन जिलों में म्युज़ियम जरूर दिखाई देती है जिन्हें भूतपूर्व राजाओं ने स्थापित किया, पर उनकी व्यवस्था भी आज कोई अच्छी नहीं है। कुछ स्थानों पर तो, मुझको दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने म्युज़ियम भी प्राइवेट प्रोपर्टी में मानकर उन राजाओं को सौंप दीं, उनका चार्ज सरकार ने नहीं लिया। सीकर में एक म्युज़ियम थी। आज नहीं, ३६ में वह स्थापित हुई थी। नई की स्थापना तो दूर रही जो सरकार के अन्तर्गत आ सकती थीं उन्हें भी प्राइवेट प्रोपर्टी में मान लिया। सरकार को चाहिये कि जैसा मेरा निवेदन है

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रत्येक जिले में एक म्यूज़ियम खोले। विशेष रूप से आज विकास का युग चल रहा है इसमें हर जिला हैड क्वार्टर में एक म्युज़ियम होना बहुत आवश्यक है, पर सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई। सरकार प्रत्येक जिला स्तर पर म्युज़ियम बनाए और राजा लोगों के पास जो इस तरह म्युज़ियम की चीजें रह गई हैं उनको उनसे लेकर अलग म्यूज़ियम में रखे। जिस प्रकार से हमने यहां एक विधेयक पारित करके जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, जो पुरातत्व की चीजें हैं उनको संरक्षित करने की व्यवस्था की है, इसी तरह की व्यवस्था इन म्युज़ियमों के लिये करें और जिन राजा-महाराजाओं के पास इस प्रकार की वस्तुएं हों जो आज समाज को नहीं मिल सकतीं, उनके लिये कानून बनाया जावे कि वे वस्तुएं उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सकती। पहले जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं थीं वे आज राजाओं के पास निजी तौर पर रह गई हैं और हो सकता है कि उन्हें ये राजा लोग बाहर ले जाकर बेचें। तो राज्य सरकार को चाहिये कि उन ऐसी सब चीजों की एक सूची बना कर राज़ा-महाराजाओं के पास से ले ली जावे और पहले की ही तरह उनको फिर म्यूज़ियम में रखा जावे और उसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में हो। ऐसी व्यवस्था हो सके, इसलिये यह कटौती प्रस्ताव मैंने रक्खा है।

(१२.३० म. प.)

श्री मूलचन्द डागा (पाली): राजस्थान बनने से पहले देशी राज्य थे और उनमें राजाओं ने अपनी सुविधा के अनुसार अजायबघर बनाये और उनमें बहुतेरी चीजें रखी गई और अपनी मनपसन्द से रक्खी गई। उनकी बनाई गई म्यूज़ियमों में आज भी हम जब देखने जाते हैं तो पहले ही पहले जाने वाले बच्चों को औरों को क्या दिखाई देता है उनके शिकार किये हुए शेर और मगरमच्छ की खाल लटकी हुई दिखाई देती हैं। मैं समझता हूँ कि अब उस रुचि में और व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। अन्दर जाते ही पहले पहल मरे हुए जन्तु दीखें, यह क्या ? इस प्रकार अजायबघर सजाया जावे, इसमें रद्दोबदल होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तो क्या अब जवाहर वास्केट और गांधी कैप रखी जावे ?

श्री मूलचन्द डागा : दीपक ही लगा दें, या कुछ न कुछ जो ठीक समझें वही लगा दें। तो इन मुंह फाड़े शेर और मगर-मच्छों से क्या फायदा ? अजायबघर में आदमी भी रक्खे जाते हैं वे भी अजीब रक्खे जाते हैं; या तो उनकी शक्ल अजीब होनी चाहिए या कुछ ऐसी होनी चाहिए जो औरों से भिन्न हो। मैं चाहता हूँ, हर आदमी ऐसा रक्खा जाना चाहिए जो इतिहास जानता हो और जो सही चुनावट का काम कर सके। अजायबघर में लोग ज्ञानवृद्धि के लिए जाते हैं, पर होता क्या है कि ऐसे आदमी खड़े होते हैं जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वे केवल यही बतावेंगे; यह राजा—महाराजाओं की फोटो है, ये उनके बेटे—पोते हैं। यह पिछला इतिहास है।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो अजायबपन है,

(श्री उपाध्यक्ष)

इसी का नाम अजायबघर है।

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) इसलिए अजायबघरों में मैंने देखा है कि ऐसे आदमी रखे जाते हैं कि जिनको वहां की बातों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अजायबघरों में पहला सवाल तो यह है कि जो आदमी रखे जायें वे ऐसे हों कि जो इतिहास या वहां पर रखी हुई वस्तुओं से परिचित हों। इसके अलावा कई अजायबघरों में ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जिनको न तो देखने की तमन्ना होती है और न उनकी ओर किसी का झुकाव ही रहता है और न कोई आकर्षण ही रहता है। तो उन चीजों को वहां से हटा देना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों तक ही ये सीमित नहीं रहने चाहिये। बल्कि मैंने प्रस्ताव रखा है कि छोटी छोटी तहसीलों और जिला—स्तर पर भी अजायबघर होने चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि गांवों में अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने रेल द्वारा यात्रा तक नहीं की और न शहर ही देखे हैं, इसलिए अच्छा हो यदि वे अजायबघर जिला—स्तर तक पहुंच जायें क्योंकि जो पहले राजा-महाराजा होते थे अजायबघर वहां रखते थे, जहां उनकी राजधानी होती थी या उनके बैठने की जगह होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो राजस्थान का विकास हो रहा है और जो अजायबघर की चीजें हैं वे भी आगे बढ़नी चाहिए...........

डॉ० बहादुरसिंह : पाली में अजायबघर है या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं है, उसकी ही तो दिक्कत है। हां, यही कमी है। जब आप पाली आते हैं अजायबघर देखने की तमन्ना होती है। इसलिए मेरा कहना है कि जिला स्तर पर यह अजायबघर होने चाहिए...........

श्री उपाध्यक्ष : You conclude your debate then.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव वैज्ञानिक विभाग की मांग पर रखा गया है इसके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखूंगा। यह तो यहां अद्भुतालय की बात है उसके ऊपर केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जिलास्तर पर हमारे भी अद्भुतालय हैं, उनकी व्यवस्था एक प्रकार से अधूरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां जिलों में वह है उस जिले की चीजें होने के अलावा अगर उसके अन्दर राजस्थान के विकास की चीजें हों या कुछ परिचयात्मक बातें हों, इसकी और व्यवस्था कर दी जाती तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर एक जिला दूसरे जिले की बातें समझने में समर्थ हो सकता था। इसको यदि एक अस्थाई प्रदर्शनी का रूप दे दें तो निश्चित तौर पर कुछ उपयोग हो सकता था। जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केवल राजाओं के उपयोग की ही ये वस्तुएं थीं, इस बात को मानने के लिये मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ क्योंकि जितने भी अद्भुतालय होते हैं वे एक इतिहास का निर्माण करते रहते हैं और उनमें जितनी भी चीजें

(डॉ० बहादुरसिंह)

पाई जाती हैं वे बताती हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे और पिछले लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो मैं केवल यह कहना चाहता हूँ आपसे और पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था जैसे जयपुर का म्युज़ियम है इसके अन्दर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां पर बताने वाला प्राप्त नहीं होता और न वहां जाने के बाद यह पता चल सकता है कि यह वस्तु कब की निर्माण की हुई है या इसका क्या उपयोग था? इसके अलावा भरतपुर जिले का जो अद्भुतालय है उसके अन्दर केवल मात्र भरतपुर की ही वस्तुएं हैं। लेकिन जो धौलपुर का स्थान है उसकी चीजें नष्ट-भ्रष्ट हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता था कि भरतपुर के अन्दर जो अद्भुतालय है उसके अन्दर धौलपुर का जो सामान था उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जयपुर का अद्भुतालय है उसके संबन्ध में एक सुझाव और देना चाहता हूँ........

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब तक इसको औषधालय समझ रहा था।

डॉ० बहादुरसिंह : औषधालय नहीं अद्भुतालय हैं। उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो केन्द्रीय अद्भुतालय है उसका इस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिये कि वह सारे राजस्थान को रिप्रेज़ेन्ट कर सके। जैसे मद्रास या दूसरी जगह जायें तो वहां सभी जगह का प्रतिबिम्ब होता है, लेकिन जो यहां का म्युज़ियम है वह उससे बहुत परे है। जो यहां का म्युज़ियम है यह जयपुर का थोड़ा सा ही पीरियड बताता है और वह भी उस पीरियड का जोकि अच्छा नहीं था। इसलिए मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर का जो म्युज़ियम है उसको राजस्थानी म्युज़ियम बनाया जाये न कि एक जयपुर का या ओल्ड स्टेट का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो वैज्ञानिक विभाग पर कटौती का प्रस्ताव श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य ने रखा है उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने भी इसके सम्बन्ध में एक कटौती का प्रस्ताव किया था, किन्तु कल छुट्टी रही और वह कटौती का प्रस्ताव नहीं आया। ऐसी स्थिति में मैं समर्थन में अपने विचार प्रकट करता हूँ। पलाना खाना के सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले सदस्य और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उसके साथ ही साथ जो एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें जो कमेटी की राय है वह भी सदन के सामने आई। मैं यह समझता हूँ कि पलाना खान के सम्बन्ध में, उसके विकास के सम्बन्ध में राजस्थान की सरकार बहुत ज्यादा उपेक्षित रही है और मैं यह समझता हूँ कि उनकी उपेक्षा उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मैं इसको बड़ा भारी राष्ट्रीय अपराध समझता हूँ। चाहे कोई व्यक्ति हो, उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन राष्ट्र के दृष्टिकोण से अगर बड़े व्यक्तित्व के द्वारा भी राष्ट्र का नुकसान होता है तो किसी का व्यक्तित्व चाहे मीनार से भी ऊंचा हो, लेकिन राष्ट्र के सामने बहुत नीचा होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रीय नुकसान हो और इतना ही नहीं राष्ट्र के

Page No 42

(श्री मुरलीधर व्यास)

विकास में जिन हजारों लोगों को जो आज के जमाने में बेरोजगार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं जिनको काम दिलाने की व्यवस्था का सवाल है ऐसी परिस्थिति में भी यदि १० साल बराबर योजना बनाने के बाद भी काम नहीं होता तो वे लोग जिन्होंने भूखे, नंगे और बेरोजगार रह कर अपने प्राण खो दिये उसके जिम्मेदार भी वही लोग होते हैं। आज अगर पलाना खान के सम्बन्ध में प्रारम्भ से लेकर आज तक क्या क्या योजनायें बनीं, पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम लोगों ने क्या क्या किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको ओपन कास्ट माइनिंग करने के लिए क्या क्या निर्णय लिए, यह सब कुछ होने के बाद भी उसका विकास नहीं होता है और इसकी उन्नति नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हों जिन लोगों ने इस प्रकार की योजनायें बनाई, वे चाहे वहां के मैनेजमेंन्ट करने वाले अधिकारी हों या दूसरे आम जनता के चुने हुये लोग हों जिनको जनता ने भार सौंपा है अपने राज्य की व्यवस्था करने का यदि इन सब लोगों ने मिल कर यह काम नहीं किया है तो पलाना खान के मामले को लेकर एक कमेटी बैठाई जाय और जांच कराई जाय कि राजस्थान के किन अधिकारियों, चाहे वे मैनेजमेन्ट करने वाले अधिकारी हों, जन प्रतिनिधि के नाम पर काम करने वाले हों, जिन्होंने गलती की है तो वे क्षम्य नहीं होने चाहिये। मैं पलाना कोयला खान के संबंध में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। राजाओं के जमाने में भी इस खान की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के समय बीकानेर के पॉवर हाउस या बिजली घर में जितना कोयला लगता था वह सब पलाना खान से आता था जो ८) रु० टन के भाव से पड़ता था और अब उसकी जगह बैंगाल से कोयला लगातार मंगाना पड़ रहा है ३२) रु० टन के भाव से और न जाने एक दिन में कितना कोयला लगता है, इसका हिसाब लगाया जाये तो मैं कहना चाहता हूँ कि सन् ४८ के बाद बाहर से बीकानेर पॉवर हाउस के लिये मंगाया गया कोयला कम से कम ४०-५० लाख रुपयों का होगा। इतनी बड़ी तादाद में कोयला बाहर से मंगाना पड़ा जो कि यहां पर उपलब्ध था।

सन् ४८ में ७२,००० टन कोयला निकलता था और उसके बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं और योजना के बाद वह कोयला केवल १२,००० टन निकाला जाता है। १२ वर्षों में आप चाहे जितने ही योजना के ढोल पीटते रहें और यह कहते रहें कि योजना में आपको कामयाबी हुई है तो मैं कहता हूँ कि इन ढोल पीटने वालों ने राज्य का बड़ा भार नुकसान किया है। यदि चीन, रूस या और किसी देश में इस प्रकार के जन प्रतिनिधि होते या राष्ट्र के प्रतिनिधि होते तो वे इस रूप में नहीं रहते, दूसरे ही रूप में खड़े होते, राज्य के गुनहगारों के रूप में खड़े होते। लेकिन हमारे यहां जो जनतंत्र के प्रतिनिधि हैं उनके लिये कोई सजा नहीं है। वे ऐसा काम करके भी बड़े बड़े रूप में सामने आ सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, बीकानेर के प्रति राजस्थान के अधिकारियों का सौतेला व्यवहार रहा। आज वहां पर जिस रूप में पलाना खान है यदि यही खान उदयपुर में होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका दूसरा

(श्री मुरलीधर व्यास)

ही रूप होता। ओपन कास्ट शुरू हो गई होती और कितने ही मजदूर लग जाते और काफी काम होता; शायद मुझ पर यह आरोप लगाया जाय कि इलाकों की बात करता है, दूसरों पर आरोप लगाता है। लेकिन मैं इलाके की भावना से नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि आज एक इलाके में कोई चीज़ करनी होती है तो फौरन हो जाती है और दूसरा इलाका कोई योजना बनाता है तो वहां के अधिकारी जानते हैं कि ऊपर से कोई पूछने वाला तो है नहीं, इसलिये जैसी चलती हैं वैसी चलती रहे तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरी जगह का काम नहीं होगा तो ठीक नहीं रहेगा। यदि मेरी बात गलत हो तो आप एक कमेटी बैठा कर जांच करवा लीजिये, मालूम हो जायेगा कि अधिकारियों ने जानबूझ कर उपेक्षा की है, यह प्रमाणित हो जायेगा। मेरे जो आरोप हैं वे साफ हैं।

अभी की परिस्थिति में विज्ञान विभाग ने सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के जरिये पैसा मांगा है, वैगन वगैरह के लिये पैसा मांगा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस पलाना खान की क्या वस्तु-स्थिति है? एक ओर तो मैनेजमेंट और अधिकारी वर्ग है और दूसरी ओर मजदूर वर्ग है। मैनेजमेंट में काम करने वाले जो अधिकारी हैं वे उच्च वर्ग के लोगों के साथ मिले हुए हैं दूसरे मजदूर वर्ग के साथ हैं, वहां पर संगठन है! दोनों ही तरह के संगठन हो सकते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन आज अधिकारी लोग एक संगठन के साथ होकर, वहां की राजनीति में हिस्सा लेकर, उनके हर काम में हिस्सा लेकर यदि राज्य का नुकसान करते हैं सिर्फ अपना भला करने के लिये, कि ठीक बात है हमारी खराबी किसी प्रकार से न हो, तो मैं समझता हूँ बुरी चीज़ है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पलाना कोलेरी के मजदूर यूनियन ने एक पत्र राजस्थान सरकार के इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लिखा है और उसमें उन्होंने डिटेल्स दिये हैं, मैं समझता हूँ वह पत्र उनके पास मौजूद होगा। उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि पलाना खान के अन्तर्गत किस प्रकार से मैनेजमेंट ने मिल कर खदान को नुकसान पहुंचाया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आंकड़े दिये हैं ६०,००० रुपये के और उसमें यह बताया गया है कि कुछ लोगों को जो कानूनी ओवर टाइम लेने के हकदार नहीं हैं उनको वहां की मैनेजमेंट ने ओवर टाइम दिया है और वह ओवर टाइम होता है ६०,००० रु० का। उसमें नाम दिये हैं और उसकी प्रतिलिपि सरकार को भेजी है, to the Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department किस प्रकार से रुपयों का दुरुपयोग होता है उसमें बताया है कि इन इन लोगों को ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिये। यदि वे काम करते हैं और कानूनन उनको मिलता है तो जरूर दें लेकिन जो यूनियन के ऊपर के अफसर हैं उनको विशेष लाभ देने की दृष्टि से दिया है तो उसकी छानबीन करें और यदि दिया है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि पलाना खान के मैनेजर ने नोटिस निकाला मजदूरों की छटनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

के लिये, ले ऑफ किया है क्योंकि वैगन मिलते नहीं हैं। काफी कोयला जमा हुआ रहता है इसलिये छटनी कर लें। एक तरफ ले ऑफ किया और दूसरी तरफ १४६ मजदूरों को जिनके नाम मौजूद हैं, और यह भी मौजूद है कि किन किन तारीखों को उनको भर्ती किया, सरकार के पास भी यह मौजूद है। एक तरफ तो १४६ आदमियों को भर्ती करते हैं और दूसरी ओर ले ऑफ करते हैं तो जिन लोगों को ले ऑफ किया है उन्होंने एक्ट के माफिक लेबर ट्रिब्यूनल को रेफर किया, तो सरकार को उन्हें पैसा देना पड़ेगा क्योंकि गलत तरीके से छटनी करना ठीक नहीं है। यदि आपको छटनी करनी है तो जिनको बाद में रखा है उनकी छटनी करनी चाहिये, लेकिन इस तरह की व्यवस्था हुई है कि एक तरफ तो कमी की गई और दूसरी तरफ १४६ आदमियों की नई भर्ती की गई। यदि उन्होंने ट्रिब्युनल को रेफर किया तो लाखों रुपये उन्हें चुकाने पड़ेंगे। जिस प्रकार से कहा गया कि पंचायत चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने किसी का सपोर्ट किया था और जो दूसरे सरपंच चुने गये थे उन्होंने उन्हें भर्ती करने का वादा किया था और मैनेजमेंट के अधिकारी मिले हुए थे। दूसरे आदमी जो सरपंच के लिये खड़े हुए थे वे यूनियन के सेक्रेटरी थे जिनको हराने की व्यवस्था थी। मैं समझता हूँ सरकार इसकी छानबीन कराले और सरकार देख ले कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं, इसकी जांच करानी चाहिये। यदि मैनेजमेंट ने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ताकि राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग नहीं हो। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये मनमाने ढंग से काम करें तो उसकी जांच होनी चाहिये और वाकई किया है तो उन आदमियों को जरूर सजा मिलनी चाहिये।

तो इसके लिए जो बातें सदन के सामने आई हैं, मैं भी उनको पुनः दोहराता हूँ और अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार ने पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत केवल एक ही काम लिया था, पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत कोल माइन्स को लिया था, जिसका विकास करना था। आज समाजवादी ढंग से पब्लिक सेक्टर से एक ही काम लिया और वह भी दस वर्ष तक पूरा नहीं हुआ। इसके बाद उसमें केवल नुकसान ही नुकसान नजर आता है। जबकि हमारी सरकार समाजवादी कहलाने में गर्व करती है, और जिसका लक्ष्य होता है पब्लिक सेक्टर के काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें और इन्ड-स्ट्रीज़ में काम प्रारम्भ करें, सरकार खुद प्रारम्भ करे, उसमें इतना ज्यादा घाटा होने लग जाय, तो लोगों का विश्वास हट जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में एक काम लिया, बड़ी माइन के काम को लिया, उसको दस साल में भी पूरा नहीं कर पाये, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार पब्लिक सेक्टर में काम कराने में पूर्णतः असफल रही है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक सेक्टर में नुकसान होता है और मनमाने ढंग से काम किया जाता है, तो सरकार को कठोरता के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसको दंड नहीं देगी तो पब्लिक सेक्टर में कामयाबी नहीं मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग—सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और सदन के माननीय सदस्यों ने अजायबघरों के विषय में जो विचार रखे हैं, मैं उनके समर्थन में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अजायबघर या म्यूज़ियम राष्ट्रीय दृष्टि से एक बड़ी महत्ता रखते हैं। यह वह स्थान है जहां पर कि हमें राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र के इतिहास का, विकास का सचित्र दर्शन मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि आज राजस्थान सरकार सांस्कृतिक समारोहों में और वर्तमान सांस्कृतिक विकास में लाखों रुपये खर्च कर रही है, जबकि हमारे प्राचीन संस्कृतिक विकास के लिए जो अजायबघर मुख्य स्थान हैं, उनके विषय में ध्यान नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां का इतिहास और जहां की संस्कृति भारत के इतिहास और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। जिसको हम राजस्थान कहते हैं वह ही अभी दस—बारह वर्ष पहले राजपूताना कहलाता था और उसका यह अर्थ लगाया जाता था 'राजपूताना' अर्थात् राजाओं का देश। लोग यह समझते थे, कई लोग यह समझते हैं कि इस राज्य में हमेशा से राजा—महाराजा ही रहते आये हैं, लेकिन हमारे इन अजायबघरों में जाकर हमारी प्राचीनकाल की वस्तुओं का अवलोकन करें तो पता लगेगा कि राजस्थान में राजपूतों का आवागमन बहुत बाद में हुआ है। इससे पहले यहां पर विशेष कर भील, मीणे और अन्य ऐसी जातियों का निवास था। इन बेकवर्ड और जंगली लोगों को हटा कर इन राजपूतों की जाति ने अपनी अपनी रियासतें बनाईं और उनकी संस्कृति और कुछ अपनी संस्कृति, दोनों का मिश्रण करके एक नई संस्कृति का विकास किया, जिसका कि पता इन म्यूज़ियमों में लगता है। तो मैं यह कहूँगा कि राजस्थान में जो वर्तमान जिले स्तर पर म्यूज़ियम बने हुए हैं, इनकी अच्छी तरह देख—रेख करनी चाहिए क्योंकि ये वे म्यूज़ियम हैं जिनके द्वारा उस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास और ऐतिहासिक विकास का बिल्कुल साफ चित्र मालूम होता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी क्षेत्र का ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का पता लगाना चाहे, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं—या तो पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा मालूम कर सकता है, या इन अजायबघरों में जाकर उनका पता लगा सकता है। पुस्तकों के द्वारा अध्ययन करना एक बहुत लम्बा प्रोसेस है और इन अजायबघरों में जाकर उस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास और उस क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास को जानने के लिए सुगम साधन है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि ये जो अजायबघर रखे गये हैं, इनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यही वजह थी कि पुराना राजस्थान बनने के पहले प्रत्येक राज्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, मैं तो कहूँगा, झालावाड़ जैसी छोटी रियासत जिसकी आमदनी केवल पांच लाख, सात लाख की थी, वहां पर एक बड़ा अजायबघर था—'बड़े' से मतलब यह है कि मैं यह नहीं कहूँगा कि जयपुर के अजायबघर के बराबर था लेकिन उस राज्य के जितने साधन थे, उनके मुकाबले में झालावाड़ ने अपना अजायबघर अच्छा बना रखा था। वहां पर

(श्री रामचन्द्र)

प्राचीनकाल से लेकर, जबकि वहां पर पंवारों और खीचियों का साम्राज्य था, उससे पहले वहां पर भील और मीणे वास करते थे, उन सबकी संस्कृति और इतिहास का चित्र वहां मिलता है। यह सारा संग्रह करना उस राज्य के शासक का काम था और १६११ से इसकी स्थापना हुई। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान बनने के बाद झालावाड़ म्यूज़ियम की यह दुर्दशा हुई है, जो मेरे वर्णन से बाहर है। मैं देख रहा हूँ कि झालावाड़ के म्यूज़ियम का विकास नहीं किया गया है, उसको लूटा गया है और वहां की अच्छी अच्छी मूर्तियों, अच्छे अच्छे शिलालेखों और प्राचीन वस्तुओं को उठा कर जयपुर के म्यूज़ियम और दूसरे स्थानों के म्यूज़ियमों को भेज दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक अजायबघर उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, वहां से वस्तु उठा कर जयपुर में ले जाकर रख दें तो वह फिट नहीं होगी ...

श्री उपाध्यक्ष : वह परिवर्तन हो गया, लूट कैसे हो गई ?

श्री रामचन्द्र : लूटा यों है कि वहां के क्षेत्र के लोगों की निगाह के सामने से लुटी हैं। वहां की वस्तु बिना उनकी मर्जी के, सरकार के ऑर्डर के अनुसार उठा कर ले आना लूट है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बहुत अन्याय हुआ है।

श्री रामचन्द्र : वहां के लोगों की मन्शा के खिलाफ यह काम किया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि झालावाड़ की म्यूज़ियम है और इसी प्रकार और और जिलों में म्यूज़ियम हैं, उनका विकास अच्छी तरह से किया जाये ताकि म्यूजियमों में उस क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का एक चित्रण अच्छी तरह से मिल सके। यही मेरा निवेदन है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : म्यूज़ियमों के बारे में यहां काफी कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो बहुत से पदार्थ थे वे इधर उधर हो गये हैं और इसके वास्ते व्यवस्था होने की आवश्यकता है। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के जितने भी राज्य थे, जिनमें म्यूज़ियम थे, जैसा अभी झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह पदार्थ हटाये गये हैं, तो उन चीजों को रखने के वास्ते जहां इसके साधन कुछ ज्यादा उत्तम हैं, तो इसके वास्ते व्यवस्था होनी चाहिए। इसके वास्ते व्यवस्था होने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन जहां से चीजें हटाई गई हैं वहां इसका व्यवधान और आयोजन होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां के जयपुर के महाराजाओं में से, खास करके महाराजा रामसिंह और माधोसिंह के वक्त में जयपुर का जो म्यूज़ियम बना था और इसको आगे बढ़ाने के वास्ते उन्होंने जो जो प्रयास किये हैं और जो जो आर्थिक व्यय किया है, उसको देखते हुए एक दिन यह

Page No 47

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

समझा जाता था कि भारतवर्ष के अन्दर इससे अच्छा और जबरदस्त म्यूज़ियम कोई है तो वह कलकत्ता का म्यूज़ियम है और इसके समकक्ष और बहुत सी बातों में उससे उन्नततर यह म्यूज़ियम बराबर रहा है। इस म्यूज़ियम के अतिरिक्त राजाओं ने अपने यहां भी, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि पेलेसेज़ के अन्दर म्यूज़ियमों की चीजें रखी हैं, जो उनमें उपलब्ध हैं, उन्हें भी देखने की व्यवस्था नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : उनको भी सरकार को ले लेना चाहिए, यह मान्यता है आपकी ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सरकार के पास है ही। मैं निवेदन करूंगा कि म्यूज़ियम का १० वर्ष तक मेरी पोर्टफोलियो में हिसाब रहा है। वहां वे चीजें रखी गई थीं, और पहले भी थीं, जिनके मुकाबले में भारतवर्ष का और कोई म्यूज़ियम नहीं ठहर सकता, लेकिन जैसा कि इन चीजों के वास्ते बीच के काल के अन्दर, ट्रान्ज़ीशनल पीरियड़ है उसमें काफी क्षति पहुंची है, उसका मुख्य कारण यही था कि उनकी व्यवस्था में खामी रही। पर यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि रियासतों के राजाओं के यहां शुरू से राजाओं के दिलों में इन सारी चीजों के लिये एक विशेष स्थान रहा है और इन चीजों की व्यवस्था व प्रबन्ध उन्होंने अच्छी तरह से रखा है। बाहरी और भीतरी लोगों के समय में भी इनको अक्षुण्ण रखने के लिये हर प्रकार की चेष्टाएं की हैं। आज हमारे यहां राजस्थान में पोथी-खाना, चित्र और पुस्तकें और दूसरी सामग्रियां, शस्त्रास्त्रों का प्रदर्शन, यही नहीं बीच के वक्त के अन्दर बाहर से शिक्षा के वास्ते, जैसे साइन्स की विचार-धाराएं हैं, वे सब चीजें एकत्रित करके यहां के म्यूज़ियम में रखी हैं। म्यूज़ियम का मकान ही म्यूज़ियम समझा जाता है, उसमें इस बात का हिसाब रखा जाता है कि हर तरह की चीजें वहां हों। इसका ही फल है कि आज भारत और भारत के बाहर भी जयपुर का म्यूज़ियम एक ऊंची चीज समझा जाता है।

नाना प्रकार की गिल्ड्स, मूर्तियों के बनाने की, कुछ शस्त्र बनाने के काम की हैं उनको रखने का पूरा प्रयास किया गया है। यदि राजाओं की तरफ से यह व्यवस्था नहीं होती तो आज जो सामग्री हमें देखने को मिलती है वह भारत में नहीं मिलती। नालन्दा, सिकन्दरिया, जिसे एलेग्ज़ेन्डरिया भी कहते हैं, मिश्र, बेबिलोन के चित्र, पुस्तकें हैं जिनसे जैसे हमाम गर्म हुए हैं, वैसे यहां भी हो जाता, अगर राजा लोग इनको अक्षुण्ण बनाये रखने की चेष्टाएं नहीं करते, व्यवस्था नहीं बैठाते। तो व्यवस्था के लिये यह चीज रखी गई है। आज भी राजाओं से कई चीजें मांगी जायं तो वे इन्कार नहीं करेंगे। आज देखा जाता है कि आमेर में जितनी एन्टीक्विटी की चीजें हैं वे वहां दिखाई जाती हैं। इसमें कोई भी विचारधारा बैठा कर यदि राजाओं को पूछा जाय, उनसे उन चीजों को मांगा जाय तो मेरा ख्याल है कि वे कभी इन्कार नहीं करेंगे।

श्री बाबतमल पारीख (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष, पलाना खान के बारे में वैसे सदन में बहुत सी बातें प्रकाश में

(श्री रावतमलख पारी)

लाई गई, मेरा क्षेत्र होने के कारण एक-दो तथ्य मैं भी सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि पलाना कोलियरी के व्यवस्थापकों द्वारा खान के सुधार के लिये आज तक कोई काम किया जाता, इसकी बजाय वे अपनी ड्यूटी इसमें समाप्त समझते हैं कि वहां मजदूरों को आपस में लड़ाया जाये और हम अपनी जगह बरकरार रहें। इसके फलस्वरूप वहां आज दो यूनियनें हैं और दोनों आपस में लड़ाई जा रही हैं। जहां छटनी का सवाल है मनमाने ढंग से छटनी की जाती है, पुराने नौकरों को निकाल दिया जाता है और नये नौकरों को रख लिया जाता है। इस तरह कभी कुछ और कभी कुछ, रोजाना नई नई आफतें मजदूरों पर ढाई जाती हैं।

जहां तक उत्पादन का सवाल है, उत्पादन वहां खदान में पहले से लगातार घटा है, जिसके आंकड़े सरकार के सामने हैं। इस अकाल के जमाने में, वहां तो खास तौर से हर चार साल में तीन साल अकाल पड़ते हैं, वहां के लोगों की उपेक्षा रही तो वहां के लोगों की क्या हालत होगी, वहां पर तो उनके लिये कोई धंधा नहीं और बाहर वे लोग जा नहीं सकते। मैं अब भी सरकार से निवेदन करूंगा कि उस खदान की बहबूदी के लिये, वहां के (उस इलाके के) लोगों की बहबूदी के लिये इस खदान का उत्पादन बढ़ाया जाय ताकि वहां के निवासियों को काम मिले। राजस्थान बनने से पहले बीकानेर के पॉवर हाउस में पलाना खदान का कोयला खर्च होता था, राजस्थान बनने के बाद से बंगाल का कोयला काम में लिया जाता है। राजस्थान बनने से पहले पलाना खदान के कोयले के १७ या २० वैगन्स बीकानेर पॉवर हाउस में रोजाना खर्च होते थे, पहले वहां पलाना खदान का कोयला बरतते थे पर राजस्थान बनने के बाद न मालूम क्या कारण है कि पलाना के कोयले के स्थान पर बंगाल के कोयले का यूज़ किया जाता है। इसका कारण तो यही हो सकता है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम पर बिजली के चार्जेज़ ज्यादा थोपे जायं। आधे इलाके में भाखरा की बिजली आ गई है। अधिकारियों से बिजली के चार्जेज़ की दर घटाने के लिये कहते हैं तो कहते हैं कि बिजली में हमें पहले से ही घाटा है। घाटा है तो जनता क्या करे, इसके जिम्मेदार आप ही हैं, जब कि भाखरा की बिजली की दरें और जगह कम कर दी गई हैं तो हमारे यहां दरों में कमी क्यों नहीं की जाती।

एक बात यह है कि पलाना का कोयला खदान में से निकलते वक्त गीला होता है, ज्यों ही बाहर आता है तो सूखते ही इसका चूरा हो जाता है और रेत हो जाता है। इसके बारे में जहां तक मेरा ख्याल है सरकार की ओर से कोई सुझाव जनता के समक्ष नहीं रखे गये हैं; ऐसी तरकीब सोची जा रही हो कि इस कोयले का चूरा नहीं हो, इसके डले ही रह जायं ताकि काम में लेने में सुविधा हो। इसकी यदि व्यवस्था कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर और बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्यों ने पलाना खान के बारे में कुछ बातों के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनकी उन भावनाओं की कद्र करता हूं, जिनमें उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि पलाना खान का विकास हो। सरकार भी इस बारे में काफी जागरूक है कि पलाना खान का किस प्रकार आधुनिक ढंग से, साइन्टिफिक मेथड से, विकास किया जाना चाहिये। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पढ़ कर सदन के सामने सुनाई गई और उसमें ५७ में जो पलाना खान की स्थिति थी, जो उत्पादन हुआ उसके तथ्यों को सदन के सामने रखा। मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि बीकानेर स्टेट में २१ लाख रुपये की योजना को बनाना, कुछ मशीनें खरीद करके ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में १९४७ में योजना बनाई और उसके बाद अभी तक उस पलाना खान का ओपन कास्ट माइनिंग नहीं हुआ। १९४७ में बीकानेर स्टेट ने जो कुछ इसकी योजना बनाई हो, उसके बाद में राज्यों का विलीनीकरण हुआ और इस प्रकार इस पलाना कोलियरी में उत्पादन बढ़ाने का विचार किया तो सही स्थिति यह थी कि उस समय वहां पलाना खान में द्वितीय श्रेणी का मैनेजर था जो कि २५०० टन से ज्यादा कोल का उत्पादन नहीं कर सकता था।

रूल्स और रेगुलेशन्स के आधीन उस समय यह सोचा गया कि फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर की नियुक्ति की जावे। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा तीन या चार दफे ऑल इन्डिया वाइड एडवर्टाइज़मेंट किया गया, फिर भी प्रथम श्रेणी का इन्जीनियर नहीं मिला और प्रथम श्रेणी के माइनिंग मैनेजर की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी और १९५८—५९ के शुरू में उस समय एक फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति हुई जिसको २५०० टन से ज्यादा उत्पादन करने का अधिकार दिया गया। यह पलाना का कोल अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग था और स्टेट के जमाने से था। इसकी स्थिति सन् ५७ में इस प्रकार हुई की माइनिंग एक्ट के तहत में इसको एबन्डन करने के लिये राज्य सरकार को कह दिया गया है कि इसमें से ज्यादा उत्पादन नहीं किया जावे। इसके जो डीप पिलर्स होते हैं उनको हटाने की इजाजत नहीं दी गई। जब कि अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग करते हैं तो अलग अलग तौर से पिलर्स छोड़ते जाते हैं जिससे ऊपर का स्ट्रक्चर बराबर रहे, इसका इसमें काफी ख्याल रखा जाता है। इसमें काफी कोयला रहता है उसको निकालने की कोशिश की गई, मगर उसकी इजाज़त नहीं दी। यह तय किया गया कि नए पिट्स खोद कर कोयला निकाल लिया जावे। मगर यह कोयला बहुत मंहगा पड़ता।

अब यह कहा जाता है कि इसके लिये सरकार ने ज्यादा कोशिश नहीं की। मैं यह कहूँगा कि सरकार ने इसके लिये बोर्ड कायम किया और प्रोस्पेक्टिंग किया गया और उसमें से लिग्नाइट निकालने की कोशिश की गई। जैसा अभी आंकड़े बताये गये कि ५७ में कोयला कम निकाला गया। सन् ५७ में कमी का यह कारण रहा है कि हम लिग्नाइट नहीं

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

निकाल सके। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूँगा कि सन् १६५६ में ३ हजार टन प्रति माह का उत्पादन हुआ। फरवरी ६० में ३ हजार टन प्रतिमाह का उत्पादन हुआ। फरवरी १६६१ में ८ हजार टन प्रतिमाह का उत्पादन हुआ है। तो ये स्टेप्स लिये गये, मगर जिस वक्त फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर की नियुक्ति हुई और खान में से कोयला निकालने में कुछ दिक्कतें और कुछ ऐसे ही कारण थे जिनकी वजह से उस वक्त, ५७—५८ में, कोयले का उत्पादन कम हुआ। इसके बाद में कोयले का उत्पादन निरन्तर बढ़ता ही गया है।

इसके बाद में, मैं यह निवेदन करूंगा कि लिग्नाइट ऐसी चीज़ है जिसको बाहर खुले में ज्यादा समय तक के लिये रख नहीं सकते। यदि उसको ७ या १० रोज बाहर रख दिया जावे तो उसमें अपने आप आग लग जाने का खतरा रहता है। जब तक इसकी ब्रीकेटिंग नहीं हो। इसलिये बाहर तो उसको रख नहीं सकते। दूसरी जगह जब हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं तभी निकाल कर भेजते हैं। १६५६ में जब हमने कोयला निकालना शुरू किया तो जितना कोयला निकालना चाहते थे उसकी उतनी डिमान्ड नहीं थी। हम उसको बाहर रख नहीं सकते। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं डिप्टी मिनिस्टर था, मैं खुद वहां गया और सारी चीजों को देखा और इस नतीजे पर पहुँचा था कि यदि उत्पादन किया जावेगा तो वह बाहर पड़ा रहेगा और उससे कोयले के जल जाने का अन्देशा रहेगा। यह स्थिति हमारे सामने थी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि पलाना खानों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो लेकिन इसके साथ साथ यह भी सामने देखना पड़ता है कि डिमान्ड इसकी है या नहीं।

माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कई प्रकार के आरोप लगाये और कहा कि सरकार इसमें जागरूक नहीं है, अकर्मण्य है; और भी कई प्रकार के आरोप लगाये, लेकिन सही रूप से और सही तरीके से हर पहलू को देखा जावे तो मैं यह कहूँगा कि यह आरोप सही नहीं है। इसमें एक्सपर्टों की राय कि ओपिन कास्ट माइनिंग में कितना खर्चा होगा और कितना उत्पादन होगा उसमें बंगाल से जो कोल आता है उसके मुकाबले में वह ठहर सकेगा या नहीं और जो कोयला उत्पादन होगा उसको खपत हम यहां पर कर सकेंगे या नहीं, ये सारे प्रश्न सामने आते हैं कि अगर फौरन उसको मिट्टी को १५० या २०० फुट खोद कर उसको ओपन कास्ट कर लें और कोयला उठाया नहीं जावे तो वह कोयला जल जाएगा। अगर उसको तत्काल काम में नहीं लाया जायेगा तो उस कोयले का कोई लाभ नहीं होगा। ये सारी चीजें इसके साथ में सम्बन्धित हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूँ कि पलाना और बंगाल कोल में कितना अन्तर है? बंगाल के एक टन कोल की कैलोरिक वेल्यू पलाना के १.८ टन कोल के बराबर होती है।

एक माननीय सदस्य : इन्कम में क्या अन्तर है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कीमत ही बताता हूँ।

पलाना के कोल की कीमत पड़ती है २२ से २४ रुपये तक। बंगाल से जो कोल आता है उससे मुकाबला किया जावे तो लिग्नाइट की कीमत इनसे १५ या १६ से ज्यादा नहीं आनी चाहिये। यह अन्डर ग्राउन्ड माइन्स शुरू से है। इसको ओपिन कास्ट माइनिंग करने के बारे में एक एक्सपर्टों की कमेटी मुकर्रर की। उन्होंने कहा कि जो ओल्ड माइन्स जिन्हें एबन्डन कर दिया गया उसको ओपन कास्ट करके कोयला निकालना चाहिये। हम उसको निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करूंगा कि प्लानिंग कमिशन ने कहा कि इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट कम्पनी की तहत में जानकारी की जावे कि कितना एक्सपोर्ट आदि का खर्चा होगा और कितना कोयला खपत हो सकता है। जब तक आप इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी न कर लें तब तक कोई कदम न उठावें। इसके अनुसार एक्सपर्ट से राय ली गई। उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है, ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम में किस किस प्रकार की मशीनरी की जरूरत होगी और कितना फोरिन एक्सचेन्ज इन्वोल्वड होगा। इसलिये यह कहना कि इस सम्बन्ध में पलाना के विकास के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है, उचित नहीं है। हम बराबर इसके लिये कार्यवाही कर रहे हैं और आज इसका उत्पादन ६ हजार टन के करीब बढ़ा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बीकानेर पॉवर हाउस का प्रश्न उठाया गया कि उसको लिगनाइट बराबर नहीं पहुँचा और इस कारण उसको बंगाल का कोयला मंगाना पड़ा और उससे काफी नुकसान हुआ। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बीकानेर बिजलीघर में दो प्रकार के बोइलर्स हैं; एक बंगाल कोल से चलने वाला और दूसरा लिगनाइट पर। बंगाल का कोयला जलाया जा सकता है और पलाना का कोयला नहीं जल सकता। इसलिये वहां पर पलाना का कोयला नहीं भेजने से कोई अन्तर पड़ा हो और नुकसान हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। इसका लिगनाइट पर क्या असर पड़ा? इसकी रेट में फर्क बताया गया। यह कहा गया कि बंगाल का कोल ज्यादा मंहगा पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम बीकानेर पॉवर हाउस को पूरा कोयला देना चाहते थे लेकिन उन्होंने कम लिया और अब भाखरा की बिजली आ जाने से वे लिग्लाइट का कोयला कम लेने लगे। फिर भी ६ हजार टन कोयला बीकानेर पॉवर हाउस में नहीं जाता यह दूसरी जगह भी जाता है। यह ब्रिक्स के लिये और पी. डब्ल्यू. डी. के ब्रिक्स बनाने में जाता है। इसमें इसकी खपत होती है जिसका मार्केट अभी हुआ है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लिगनाइट के बारे में हमने तो यह भी सोचा है कि अगर पानी का ठीक प्रकार से इन्तजाम हो जाय तो लिग्नाइट का ओपन कास्ट करके, वहां पर लिग्नाइट बेस्ड पॉवर हाउस कायम कर दें जैसा कि नवेली में किया जा रहा है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, इसके लिये जांच पड़ताल हो रही है। वहां पर पानी की कमी है। यदि अधिक पानी न हो तो ऐसे पॉवर हाउस को स्थापित करना

(श्री खिवचन्द धारीवाल)

मुश्किल होता है, ऐसा एक्सपर्ट के कहने से मालूम हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पलाना खान के विकास के बारे में कह देना आसान है, लेकिन इसकी पूरी इकोनोमी को सोचते हुए, कल लिग्नाइट निकालें भी और उसके लिए मार्केट न हो और वह पूरी तरह से इस्तेमाल न हो तो सारा खर्चा ही बेकार चला जायेगा । लिग्नाइट केवल हलवाइयों की भट्टी के लिए ही तो नहीं होता है। उसके लिए साधन होने चाहियें जिनमें कि वह पूरी तरह से खपत हो सके। ठीक है। यह कहा जाय कि हनुमानगढ़ में फर्टीलाइज़र हो रहा है उसमें लिग्नाइट काम में आयेगा। लेकिन उसमें दो—तीन साल लगेंगे। हम उसके लिए पूरी तरह से जागरूक हैं। उसको सप्लाई करने के लिए लिग्नाइट का ओपन कास्ट माइनिंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर सरकार का काफी ध्यान है, सरकार इसके लिए काफी जागरूक है और निरन्तर तीन—चार वर्षों से कोशिश कर रही है। प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है और सलाह दी है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में पलाना में लिग्नाइट के ओपन कास्ट के लिए प्रावधान रखा है ; हर तरह से इसका विकास करेंगे।

दूसरी बात यह कही गयी कि माइनिंग इन्जीनियर के खिलाफ काफी आरोप लगाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि वहां पर दो यूनियन्स हैं और दोनों में कुछ झगड़ा है । उस झगड़े में माइनिंग इन्जीनियर को फांसा गया है। एक यूनियन यह कहती है कि माइनिंग इन्जीनियर हमारे लेबरर्स के साथ में ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। दूसरी यूनियन कहती है कि उनका व्यवहार ठीक है। इस प्रकार से आपस का झगड़ा है । इसलिए माननीय सदस्यों को किसी के सुझाव पर उन झगड़ों को इतना रूप देकर माइनिंग इन्जीनियर पर जो आरोप लगाये गये हैं वे दुरुस्त नहीं हैं । अभी अभी कहा गया कि रेल्वे वेगन्स की सप्लाई न होने से जो पुराने कर्मचारी थे उनको रिट्रेन्च कर दिया गया और नये नये को भर्ती कर दिया गया। लोडिंग के लिए जो आदमी होगा, अगर लोडिंग नहीं होता है तो, उसको रिट्रेन्च करना ही पड़ेगा, बैठे २ उसको कैसे तनख्वाह दी जा सकती है । उत्पादन बढ़ता है तो ऐसी सूरत में जो माइन्स में जाकर काम करने वाले हैं उनकी ज्यादा संख्या होगी और ज्यादा आदमियों को लगाया गया है और नये आदमियों की भर्ती की गई है। इसलिए यह कह देना, एक व्यक्ति या दूसरी यूनियन जो खिलाफ है उनके कह देने से, माइनिंग इन्जीनियर अत्याचार करता है और भर्ती नहीं करता है वह दुरुस्त बात नहीं है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पलाना में से जो कोयला अन्डर ग्राउन्ड निकाला जाता है, लेबरर्स भी गो-स्लो की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। यह मैं सन् ५६ के आखिर और ६० की बात अर्ज कर रहा हूँ। जो लोग गो-स्लो की पॉलिसी अख्तियार करते थे उनके खिलाफ माइनिंग इन्जीनीयर ने एक्शन लिया और उसके लिए ये सारी बातें हुई हैं। ये सारी चीजें हैं।

Page No 53

[श्री खिवचन्द धारीवाल]

उसके लिए बिना तथ्यों को जाने हुए किसी पर आरोप लगा देना उचित नहीं है। यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो सदन में बातें कही गई हैं वे ठीक नहीं है। एक लाख रुपया माइनिंग इन्जीनियर ने खिलाफ वर्जी माइनिंग एक्ट की करके जिन लोगों को नहीं दिया जाना था उनको दे दिया, यह कहा गया, लेकिन यह सही नहीं है। अगर डिटेल्स में यह बात बतायी जायेगी तो उसकी बराबर जांच करेंगे और अगर दर असल में माइनिंग इन्जीनियर ने ऐसा किया है तो एक्शन भी लिया जायगा। इतना ही इस वक्त मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सरकार को इस प्रकार की कोई बात नहीं मालूम है कि जिनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उनको ज्यादा दे दिया। ऐसी बात सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। यह तो दो यूनियनों का झगड़ा है। एक यूनियन दूसरी यूनियन को मेलाइन करने की कोशिश करती है। फर्स्ट क्लास माइनिंग इन्जीनियर की नियुक्ति के बाद पलाना खान में कोयले का उत्पादन बढ़ा है। ये सही तथ्य हैं और उनको तोड़-मरोड़ कर जो बातें कही गई हैं वे मानने लायक नहीं हैं। १५०० टन के उत्पादन की जगह तीन हजार टन का उत्पादन हुआ है और उस वक्त ज्यादा हो सकता था लेकिन डिमान्ड नहीं थी इसलिए रोक दिया, क्योंकि बाहर निकाल कर क्या करते। बाहर निकाल कर रखने की व्यवस्था नहीं है, उसको रख नहीं सकते। डिमान्ड नहीं है तो उसको बाहर निकाल कर रख नहीं सकते। ऐसी सारी स्थिति में उसका उत्पादन बढ़ा है और वह आपके सामने है। ६१ की फरवरी में ६ हजार टन बढ़ा है। ये आंकड़े हैं। ज्यों २ मांग आती जाती है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी हम तैयार हैं। हर प्रकार से पलाना खान की तरक्की हो, यह हम चाहते हैं। हम खुद जानते हैं कि इसका ठीक प्रकार से उपयोग भी हो। इससे बेस्ड इन्डस्ट्रीज़; फर्टीलाइज़र इन्डस्ट्री है, ब्रिक मेकिंग इन्डस्ट्री है या दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनको हम यह लिग्नाइट दे सकते हैं, देना चाहिये और चाहते भी हैं; बल्कि हमारा तो यह मत है कि लोहे की फरनेस के लिए भी लिग्नाइट की जरूरत है, उसका इकोनोमी को देख कर उसको सप्लाई करना चाहिये। मैं यह आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी है कि पर्टिकुलर प्रोसेस से दर असल ओपन कास्ट माइनिंग की जाय तो ६) रु० पर टन आ सकती है, जब कि २२) और २५)रु. टन कॉस्ट आती है। इन सारी बातों को गहरे तरीके से सोचना होगा, अन्धा-धुन्धी से मशीन लाकर ओपन कास्ट कर दें, सारी खान को ओपन कर दें, उसका यह नतीजा हो कि उसकी खपत न हो, नुक्सान हो और जलने लग जाय; ऐसी कार्यवाही कैसे की जा सकती है। इस सम्बन्ध में हम जागरुक हैं। हम चाहते हैं कि पलाना खान से ठीक प्रकार से कोयला निकाला जाये, ज्यादा से ज्यादा निकाला जाय और उसका पूरा उपयोग हो। ज्यों २ इसको मांग और खपत के साधन उपलब्ध होते जावेंगे त्यों २ इसका विकास किया जावेगा, इतना पलाना के लिए निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कुछ अर्से पहले उत्पादन में घटत हुई थी। कारण भी हैं, क्यों यह हुई? यह मैंने निवेदन किया।

(१.३० म. प.)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) :

(श्री मुरलीधर व्यास)

श्रोन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, उपाध्यक्ष महोदय, ले ऑफ मजदूरों का किया गया और साथ साथ नयी भर्ती भी की गई, क्या यह सही है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का जवाब दिया था उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । यह ठीक है कि कुछ आदमियों को ले ऑफ किया गया, लेकिन जैसे ही उत्पादन बढ़ने लगा तो उसके साथ साथ नयी भर्ती भी की गई । यह कैसे हो सकता था कि जिन मजदूरों से ६ हजार टन का उत्पादन हो सकता है उन्हीं से १५ हजार टन करवाया जाय, उसके लिये नयी भर्ती की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : नयी भर्ती तो ठीक है, किन्तु उसके साथ साथ ले ऑफ क्यों किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने जो डिटेल्स के बारे में सवाल उठाया है उसकी पूरी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, इतना जरूर निवेदन कर सकता हूँ कि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ नये लेबर भी लगाने पड़े । किनको ले ऑफ किया गया और किनको नहीं किया गया, किनको करना चाहिये था और किनको नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इन सब बातों की सही जानकारी दे सकूं । जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको जरूर दूंगा कि किस प्रकार किन किन कारणों से ले ऑफ किये गये और नयी भर्ती की गई तो किस प्रकार से की गई । पलाना लिग्नाइट के बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : What about the museums ?

श्री उपाध्यक्ष : They are museums after all.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, महारानी गायत्री देवी ने कुछ चीजें जो उनके म्युज़ियम में हैं उनको खरीदने के लिये ऑफर किया था वह स्टेट गवर्नमेन्ट को नहीं किया, बल्कि इसके लिये जो ऑल इन्डिया कमेटी बनी हुई है उसको ऑफर की है । उस पर विचार करने का ऑल इन्डिया कमेटी को हक है, उससे स्टेट गवर्नमेन्ट का कोई वास्ता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह :

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देना है ।

श्री उपाध्यक्ष : Right of reply does not exist at all. We have more than once confirmed this.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राइट ऑफ रिप्लाई को एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ, मेरे कहने से राज्य सरकार को लाभ हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के हित में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : हित का सम्बन्ध आगे भी आयेगा, और बहुत मौके हैं।

प्रश्न यह है कि जो कटौतो का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या ६८ पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(वराम)

प्रश्न यह है कि मांग सख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५,२०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,४६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।"

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(१) मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष में सौ रुपये की कटौती काट दी जाय (पशुओं के वास्ते चारे की व्यवस्था की कमी पर विचार करने हेतु)।

(२) मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष में १००) रुपये की कटोती काट दी जाय (१९४९—५०, १९५०—५१ की बकाया के भुगतान के विषय में)।

Page No 56

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष में १००)रुपये की कटौती काट की जाय (अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सामयिक सहायता उपलब्ध कराने में असफलता पर विचार करने हेतु) ।

श्री पी० के० चौधरी

(4) Demand No. LXXV, Major Head 54—Famine be reduced by Re.1/ to discuss the Government's failure to declare the affected areas of Phulera and Dudu Tehsils as scarcity areas.

(5) Demand No. LXXV, Major Head 54—Famine be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to give timely relief to the immigrating cattle.)

श्री भैरोंसिंह (१४)

(६) मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष में अकाल पीड़ितों की राहत के लिये सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था न किये जाने पर बहस करने के लिये १) रु० की कटौती की जावे।

श्री मोहनलाल भटनागर

(7) Demand No. LXXV, Major Head 54-Famine be reduced by Re. 1/- to duscuss the failure of the Government in not starting famine relief works in Udaipur District.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(८) मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष में १००) रु० की कटौती की जावे (राजस्थान से अकाल पीड़ित पशुओं एवं मनुष्यों को सरकार द्वारा पूर्ण सहायता न देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये) ।

श्री मूलचन्द डागा

(९) मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष में पाली जिले के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अभी तक राहत कार्य संतोषजनक स्थिति में शुरू न होने के कारणों पर बहस करने हेतु १) रुपये की कटौती की जाय ।]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्तर्गत १५ लाख ४६ हजार रुपये को धन—राशि की मांग की गई। जो डिटेल्स इसमें दिये गये हैं वे डिटेल्स मेरी मान्यता के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये तीन लाख पचपन हजार सन् ४९—५० और ५०—५१ के भुगतान के बारे में हैं। यह इसमें स्पष्ट संकेत नहीं है कि यह किस प्रकार का भुगतान है और वह भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया, क्या कारण थे उसके ? यह मैं समझता हूँ, जब राजस्व मंत्री इसका जवाब देंगे तभी इस बारे में स्पष्टीकरण हो सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, with your permission, I may explain, to cut short the debate, so far as this amount

Page No 57

(श्री दामोदरलाल व्यास)

of Rs. 3.50 lakhs is concerned, इसमें इतनी सी बात है कि १९५०—५१ में फेमीन रिलीफ का बजट हैड नहीं था। उसके लिये एक्सपेन्डीचर सेंक्शन नहीं था, यह असेम्बली बनने से पहले की बात है। अकाउन्टेन्ट जनरल की ऑथोरिटी पर यह अमाउन्ट खर्च कर दिया गया था। उसके बाद वे कागजात ए० जी० के ऑफिससे मिसप्लेस हो गये थे। अमाउन्ट तो खर्च हो गया था किन्तु वह रिकन्साइल नहीं हो पाया था। इसीलिये इसको दिसम्बर, १९६० में लिया गया है। फोर्मली रिकन्साइल करने के लिये हाउस की मन्जूरी ली जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने बताया कि ४९—५० और ५०—५१ के साल में ३,५५,०००) रु० की धन—राशि जो अकाल के मद में खर्च की गई थी और जिसके कागजात दुर्भाग्य से इतने सालों तक कहीं गायब हो गये थे मिल नहीं सकते थे, वे अब मिले हैं और इसके सम्बन्ध में यह धन—राशि दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बाकी भी जो चीजें उन्होंने रक्खी हैं उनके सम्बन्ध में मैंने कटोती का प्रस्ताव रक्खा है और इसके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि अकाल के नाम से राज्य सरकार ने जो सहायता समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष स्वयं राजस्व मन्त्रीजी हैं और जिनको लाखों की धन—राशि दी है वह जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के कुछ जिलों में अकाल की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार ने दी है और चारे आदि की भी व्यवस्था करने के लिये १२ लाख की धन—राशि दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की आज स्थिति है उसमें चारे आदि से जो राहत पहुंचानी चाहिये थी, मैं कह सकता हूँ, जानकारी के आधार पर, कि वह राहत पहुंचाने में राज्य सरकार असमर्थ रही है। जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर के इलाकों से हजारों की संख्या में मवेशी दूसरे इलाकों में गये और मध्यप्रदेश और बम्बई के इलाकों में भी जा रहे हैं। आज हजारों लोग पैदावार के नष्ट होने से असहाय हो गये, अकाल ग्रस्त हो गये पर उनको समय पर किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई गई और जो बाद में भी सहायता दी गई वह तब जब कि हजारों की संख्या में मवेशी दूसरे प्रदेशों में चले गये और आज वहां की उपाध्यक्ष महोदय, हालत ज्यादा वास्तविक रूप से यहां सरकार रखने से भी हिचकिचा रही है। आज उन इलाकों में काम करने वाले जो इस दृष्टि से काम करते हैं उनकी जानकारी इस दृष्टि से हमारे पास आई है, वह पत्र मन्त्री महोदय के पास भी गया है, वह जानकारी उनके पास भी आई है। जो जानकारी आई है उसे पढ़ कर दुःख होता है। राज्य सरकार ने अकाल समिति बना दी, अध्यक्ष के रूप में स्वयं राजस्व मन्त्री उसमें हैं और २५ लाख की धन—राशि भी उसको दी गई। पर आज उन इलाकों में पशु—चारे के अभाव में सारे बोर्डर एरिया में भूख से मर रहे हैं। जो आज दूसरे इलाकों में गये है वहां भी, मन्दसौर के जिले में, धार के इधर के जिलों में, भूख से मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां की यह हालत है कि उन एरियाज़ में भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भूख से जानवर मर रहे हैं और लोगों ने भी दुःखी होकर और कोई काम—काज के अभाव में भीख मांगना शुरू कर दिया है। आज इस प्रकार की स्थिति है। आज सरकार बात करती है कि तीन—तीन सेर चारा हम उनको दे रहे हैं ? आपने चाहे आज कुछ भी व्यवस्था की हो, पर यह सत्य है कि अकाल पीडित क्षेत्रों में जहां समय पर सहायता देनी चाहिये, वहां समय पर सहायता नहीं दी गई और बाद में जो दी गई है वह परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, यह मैं पर्याप्त जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। यह हो सकता है, सहायता उनको दी गई हो, जो क्षेत्र शायद उनके किसी कृपापात्र का रहा हो, यह हो सकता है कि ऐसों को सहायता दी गई हो जो डिज़र्व नहीं करते हों पर उनसे वोट लेने हों, या वहां दी गई हों जहां आने वाले इलेक्शन में सहानुभूति प्राप्त करना जरूरी समझा गया हो। पर यह निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिन क्षेत्रों में सहायता जिस समय मिलनी चाहिये वह सहायता उस समय नहीं मिली और बाद में भी जिनको मिलनी चाहिये उनको भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली। जहां चारे की दृष्टि से डिपो खोलने चाहिये थे नहीं खुले और जिन इलाकों में वे जानवर पहुंच गये हैं उनकी वहां पर क्या हालत है, इसकी भी कोई देखभाल नहीं की गई है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बम्बई ले जाये जा रहे हैं। दूसरे दूसरे टट्टीखानों में, कसाईखानों में ले जाये जा रहे हैं और सरकार ने इसके लिये छूट दे दी है। पंचायतों में जाइये और दर्ख्वास्त दे दीजिये आपको ले जाने का परवाना मिल जावेगा।

तो आज पंचायतें उनको परवाना दे देती हैं, कुछ बिना परवाने भी चले जाते हैं और वे जानवर वापिस लौट कर आते नहीं। यह पिछले कई वर्षों का अनुभव है। कितने ही कसाईयों के हाथों में चले जाते हैं, कितने ही टट्टीखानों और बम्बई के कसाईखानों में जाकर कट जाते हैं। इस परिस्थिति को रोकने के लिये सरकार कोई सक्रिय कदम नहीं उठा सकी है। इसलिये चाहूंगा कि आज की सारी परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार सब इलाकों का इस दृष्टि से सर्वेक्षण करावे। ऐसा न हो कि अकाल से जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के इलाके छोड़ और भी इलाकें प्रभावित हुए हैं, अकाल उदयपुर के इलाके में भी हो सकता है; वहां तो अकाल है ही। पानी की कमी तो वहां भी रहती ही है। जोधपुर बीकानेर में भी है। पर बाकी कोटा में भी है। बूंदी में भी हो सकता है, अजमेर और जयपुर में भी हो सकता है। तो सरकार इसका सर्वे करावे, राजस्थान के स्तर पर फेमीन कन्डीशन्स के बारे में तय करे कि किन किन तहसीलों और गांवों में इसका असर है। पर आज जब जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर की ही बात की जाती है तो यह माना जावे कि कोटा, जयपुर के डिविज़न में कहीं किसी प्रकार का फेमीन किसी तहसील या गांव में नहीं है ? जिनको सहायता अब तक दी है उनमें अजमेर और कोटा डिविज़न का एक भी जिला या तहसील और गांव नहीं है। क्या यह माना जावे कि कोटा, अजमेर के किसी गांव में अकाल नहीं है या दुर्भिक्ष नहीं है ? मैं ऐसा नहीं मान सकता। अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण किसी न किसी गांव में, तहसील में इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार इस दिशा में सर्वेक्षण करावे और जिनमें भी अभाव की स्थिति हो. चारे की दृष्टि से या अन्न की दृष्टि से, उन सारे इलाकों में राहत पहुंचाई जावे और राहत केवल ऐसे प्रचार की दृष्टि से नहीं, प्रोपेगण्डा की दृष्टि से नहीं कि अखबारों में उनकी तारीफ निकले, फोटो निकलें, अखबारों में प्रचार हो कि राजस्थान की सरकार अकाल की दृष्टि से कितनी जागरूक है, कितने सक्रिय कदम उठा रही है। कमेटी बन गई, उसके अध्यक्ष स्वयं राजस्व मन्त्री बन गये और २५ लाख की धन—राशि भी उसको दे दी गई। मैं समझता हूँ कि यह किसी भी राज्य के लिये शर्म की बात क्या नहीं हो सकती कि वहां के निवासी और जानवर दूसरे राज्यों में जाकर भूखों मरें ? वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो, वे वहां भीख मांग कर अपना जीवन बितावें और अपने जानवरों को बम्बई और दूसरे बड़े शहरों के टट्टीखानों और कसाईखानों को सौंपे।

मैं तो समझता हूँ कि राज्य सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि राजस्थान के जितने पशु या जानवर हैं अकाल पीडित क्षेत्रों में या कोई भी व्यक्ति इस अकाल से प्रभावित हुआ हो वह राज्य को छोड़ कर बाहर न जावे, अपनी तहसील और जिले को छोड़ कर बाहर न जावे, अपने गांव को छोड़ कर बाहर न जावे। इससे काम नहीं चलेगा कि जानवर चले जावें, हम व्यवस्था कर देंगे। हमें इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिये कि कोई बाहर जावे ही नहीं, हमें उनको धीरज और सांत्वना देनी चाहिये कि अपने गांव को छोड़ने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे लिये सारा प्रबन्ध यहीं करते हैं। जिनकी जो आवश्यकता होगी वह यहां पूर्ति की जावेगी। जैसलमेर में आप चारे का स्टॉक रख सकते हैं। आप उन इलाकों में भी व्यवस्था कर सकते हैं, जहां अकाल की स्थिति हो; आप कहीं से भी लावें, चाहे दूसरे राज्यों से लावें, चाहे सेन्ट्रल सरकार से लावें, चारा लावें या गेहूँ लावें। आपको उनके ही क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था करनी चाहिये और नागरिकों को यह कह देना चाहिये कि आपको अन्न और चारे के लिये दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं। पर आज विचित्र स्थिति बन हुई है। दूसरे राज्य वाले सुनते हैं कि राजस्थान में विकेन्द्रीकरण हुआ है, उन राज्यों के कार्यकर्ता, नागरिक अधिकारी वर्ग, राज्य के कर्मचारी राजस्थान के बारे में कल्पना करते हैं कि राजस्थान में विकेन्द्रीकरण का कुछ रचनात्मक कार्य हुआ होगा। कृषि की उपज में १२ लाख टन की वृद्धि की बात कही जाती है तो अनाज बहुत हुआ होगा, अन्न तो लोग वहां भूखों नहीं मरते होंगे, चारा भी बहुत हुआ होगा, पर जब यहां के जानवरों और लोगों को वहां मरते और भीख मांगते देखते हैं तो न जाने क्या सोचते होंगे आपके इस प्रोपेगेण्ड के बारे में कि हमने विकेन्द्रीकरण किया है या सरप्लस अनाज यहां हुआ है। कहां गया आपका वह सरप्लस अनाज और चारा ? यह समझ में नहीं आता कि आपके यहां सरप्लस अनाज और चारा हुआ और आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुहैया नहीं कर सके। इसको देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य यह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी प्रकार से कोई कोऑर्डिनेशन या मतभेद राजस्व मन्त्री और कृषि मन्त्री में नहीं है या इस स्तर पर है कि वे अपने मतभेदों से राजस्थान की जनता को भूखों मारने देना चाहते है । यह निश्चित हैं कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिलक्ट है या नहीं है तो वह डिपार्टमेंट में नहीं है। मन्त्रियों में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिये। १२ लाख टन का सरप्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट महसूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको फिर ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था करनी चाहिये। अनाज और चारा उन क्षेत्रों में पहुंचाना चाहिये और मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्री यदि वास्तविक रूप से अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सहायता यशस्विता से करना चाहते हैं तो हरएक व्यक्ति को यह आश्वासन उन्हें देना चाहिये और ऐसा वातावरण और स्थितियां पैदा कर देनी चाहिये कि किसी पशु या जन को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उनकी सारी व्यवस्था सरकार यहीं कर देगी । भूखों मरना है तो यहां मरे, और जिन्दा रहना है तो यहां रहे। पर यह नहीं हो सकता कि बाहर जाकर वे भीख मांगते फिरें और अपने जानवरों को कसाईखाने और टट्टीखाने में ले जावें। यह परिस्थिति सम्पूर्ण राजस्थान के लिये, राजस्थान की सरकार के लिये और विशेष कर राजस्व मन्त्री के लिये शर्म की बात होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी सारी व्यवस्था यहीं होनी चाहिये।

उदयपुर डिविज़न से आने वाले एक माननीय सदस्य का इस पर कटौती प्रस्ताव है। उदयपुर में तो सदैव ही अकाल रहता है और सलूम्बर में तो वैसे ही अकाल रहता है। कटौती का प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है उस बारे में निवेदन करूंगा कि अकाल पीड़ितों का यह मामला है और इसमें जो धन–राशि मिली है वह लिमिटेड है, २५ लाख ही है। इसके अन्तर्गत निष्पक्ष दृष्टि से कार्यवाही होनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का क्षेत्रीय भाव, राजनीति का दृष्टिकोण अथवा दलबन्दी का दृष्टिकोण अथवा अपना प्रभाव और सहानुभूति का वातावरण बनाने का लालच इसमें कतई नहीं आना चाहिये और मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान के जिन इलाकों में भी इस प्रकार की स्थिति है वे किसी भी जाति या सम्प्रदाय के लोग हों, किसी भी दल के लोग हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, उन सबको निष्पक्ष दृष्टि से सहायता देनी चाहिये। दुर्भिक्ष और अकाल के मामलों में ये राजनीति की चीजें लाई जावें या किसी प्रकार का मतभेद या भेदभाव बरता जावे तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा पाप होगा। यह पाप उनको किसी प्रकार से नहीं करना चाहिये। लोग शिकायत करते हैं कि अकाल की दृष्टि से भी जिस क्षेत्र का व्यक्ति या प्रतिनिधि ज्यादा जोरदार होगा उसको जल्दी सहायता मिल सकती है। ज्यादा सहायता मिल सकती है या उनका ज्यादा विरोध हो सकता है ? मैं तो समझता हूँ कि जल्दी और ज्यादा लोन लेने की दृष्टि से मेरे क्षेत्र में अकाल पड़े, यह मैं कभी नहीं चाहूँगा, जिनके यहां अकाल पड़ता है बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मेरी सहानुभूति उनके साथ है; चाहे वह अकाल सलूम्बर में पड़े या उदयपुर में पड़े। पर केवल सहायता लेने के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिये अपने क्षेत्र को अकाल में न डालें। यह अकाल नहीं है, सरकार पर अनुचित अपने प्रभाव के बल पर दबाव डालकर भयंकर पाप करना है और उस हालत में यह पाप और भी भयंकर है जब कि धन—राशि एक सीमित मात्रा में है। यह दूसरे वास्तव में जो अकाल पीड़ित क्षेत्र हैं उनके गले पर छुरी मारना है। सहायता की यह धन-राशि सीमित है, यह ध्यान रखना है। अपने ही क्षेत्र में प्रचार की दृष्टि से अथवा आने वाले चुनावों में वोट प्राप्त करने की दृष्टि से और लोगों की सहानुभूति अपनी ओर करने की दृष्टि से यह जो निल रख रहे हैं मैं उनके लिये कह रहा हूँ और इसलिये कह रहा हूँ कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है उनके विरोध में मैं यह बात कहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : वे संकेत को समझ चुके हैं और वे अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करें और कुछ कहें, उसके पहले ही काउन्टर अटैक करें; यह उचित नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : जयपुर शहर में चूंकि अकाल कभी पड़ता नहीं इसलिये कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है वहां के लोग और पशु मूक हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचती नहीं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि उनके ऐसे बुरे वक्त में आप उनके आड़े न आवें। सीमित धन—राशि है और वह वास्तविक रूप से दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों के लिये है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से, चुनावों की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से, सहायता की दृष्टि से, सद्भावना प्राप्त करने की दृष्टि से हम अपने जिलों में अकाल लाने का प्रयास नहीं करेंगे, वरना जो आज वास्तव में अकाल पीड़ित प्रान्त हैं उनका हम गला घोटेंगे और सबसे बड़ा पाप करेंगे जिसकी मुक्ति हमें गंगा में नहाने से भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की धनराशि, जिन क्षेत्रों में अकाल नहीं है वहां न दी जावे, इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कटौती के प्रस्ताव द्वारा सदन के सामने रखी हैं उनके लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमाण्ड पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं और I take them as moved.

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव तो मेरा यह है कि मेरी कॉन्सटीएट्युन्सी के आस—पास का जो एरिया है, फुलेरा और दूदू का, उस एरिया को स्केयर्सिटी एरिया डिक्लेयर कर दिया जाये। दूसरा कटौती का प्रस्ताव है फोडर के बारे में, टाइमली रिलीफ नहीं देने के सम्बन्ध में। जहां तक फुलेरा और दूदू का जो इफेक्टेड एरिया है उसके सम्बन्ध में मैं तो गवर्नमेंट का सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस एरिया के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब खुद भी जानते हैं और उस एरिया को उन्होंने खुद ने देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ

Page No 62

(श्री पी. के. चौधरी)

कि उस सम्बन्ध में विचार करके निर्णय लिया जाये। कागजी कार्यवाही तो चल रही है। हम यह भी जानते हैं कि कई एरियाज़ पेपर मेड स्केयर्सिटी होते हैं और वास्तव में स्केयर्सिटी नहीं भी होती है लेकिन नीचे से कागज बनाकर ऐसे आ जाते हैं कि जिनसे स्केयर्सिटी एरिया डिक्लेयर करने में आसानी हो जाती है। लेकिन फुलेरा और दूदू के कुछ एरियाज़ का सवाल ऐसा है कि जिसकी कि राजस्व मन्त्री को पर्सनली जानकारी है। जैसे कि उन्होंने दूसरी जगह पर स्केयर्सिटी एरिया डिक्लेयर किया है उस तरह से यहां भी कर देना चाहिये। इससे ज्यादा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

दूसरा प्रस्ताव मेरा फोडर की स्केयर्सिटी होने के कारण गवर्नमेंट टाइमली रिलीफ नहीं पहुंचा सकी, उसके बारे में है। इस सम्बन्ध में मुझसे पहले माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने जो मोटिव्ज़ एट्रीब्यूट किये या जो कारण बताये, वे सही नहीं हैं। सही यह नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पहुंचाने में कोई दिक्कत हो, लेकिन गवर्नमेंट का कोई अल्टीरियर मोटिव हो कि रिलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, यह बात भी नहीं है। लेकिन मैं एक इन्सीडेन्स के बारे में जरूर जानता हूँ और वह ऐसा है कि जो बड़ा ही टिपिकल इन्सीडेन्स है। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट उसकी तरफ बराबर ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिवीज़न में फोडर की स्केयर्सिटी हुई। लगभग ५० पर्सेन्ट कैटल वहां से माईग्रेट कर गए फिर भी एक विशेष डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, मुझे जानकारी मिली है, वहां से ५० पर्सेन्ट कैटल माइग्रेट कर गए तब भी यह रिपोर्ट देता है कि अभी स्केयर्सिटी नहीं है। उसी कलेक्टर का दूसरी जगह ट्रान्सफर होता है तो वहां जाकर भी यही रिपोर्ट देता है कि कोई स्केयर्सिटी नहीं है। जब कि हम अपनी नजरों के सामने देखते थे कि सड़कों पर मोटरों और गाड़ियों का रास्ता रुक जाता था और मवेशी ही मवेशी चलते थे, इतने मवेशी जा रहे थे फिर भी कलेक्टर कहता है कि कोई स्केयर्सिटी नहीं है और कोई कैटल माइग्रेशन इस एरिया से नहीं हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : Collector of which District ?

श्री पी० के० चौधरी : I don't want to mention that.

श्री उपाध्यक्ष : But after all this question has to be replied.

श्री पी० के० चौधरी : The Government know it very well and they will be able to find out.

वहां के कलेक्टर ने बताया कि कोई कैटल माइग्रेट नहीं हुए। उसका ट्रान्सफर दूसरी जगह होता है तो वहां भी यही किया गया। जब उनको कन्फ्रन्ट किया गया, when he was confronted with that report, he had the cheek to say, "If you have no confidence in me, you can transfer me".

इसलिए मैं चाहूँगा कि जहां इस तरह से गवर्नमेंट की मशीनरी चलती है and the Collector has got the cheek to reply

(श्री पी. के. चौधरी)

like that, मैं तो यह जानना चाहूँगा कि ऐसी बातें जब पैदा होती हैं तो अच्छा नहीं होता। वहां पर आई० ए० एस० ऑफिसर्स हैं, उनके मामले में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती; they are not the servants of the State Government. उनका ताल्लुक सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रहता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती है। मैं तो गवर्नमेंट से यह जानना चाहूँगा कि जब कि कलेक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी और उनकी रिपोर्ट को कन्फ्रन्ट किया गया तो वह कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की हो तो मेरा ट्रान्सफर कर दो। Have you thrown him outside Rajasthan ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Who is that officer ?

श्री पी० के० चौधरी : The Government will find it out, because the officer is not present here, I would not like to...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, the matter is very serious. You cannot go on hypothetical cases.

श्री पी० के० चौधरी : I am not going by hypothetical cases. I don't want to mention it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Then how can the Government know ?

श्री पी० के० चौधरी : The incidence has taken place. That is what I have come to know.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Deputy Speaker, I would like to know whether the Government is in a position to confirm the facts which are being told by the Hon'ble member.

श्री उपाध्यक्ष : We will decide it after Government's reply has come up.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why should we proceed on hypothetical cases, assuming facts which don't exist at all.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Hon'ble member should believe him. The Hon'ble member is stating facts.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I have fully understood. The House will get a reply from the Government.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी तरफ इसलिए ध्यान आकर्षित किया था कि यह जो प्रश्न है it is typical as to how the Government officers at various level's function. The constitutlional responsibility is that of the State Ministry.

अब Con stitutional responsibility is of the Ministry. केबीनेट की रेस्पोन्सिबिलिटी आती है। अभी यह कहा गया कि स्टेट

(श्री पी, के. चौधरी)

गवर्नमेन्ट कोई ध्यान नहीं देती, ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली जो केबीनेट है या स्टेट गवर्नमेंट है, it is not that the State Government is unsympathetic towards it. स्टेट गवर्नमेंट की पूरी सिम्पेथी है लेकिन उसके बावजूद भी जो मशीनरी फंक्शन करती है मैं समझता हूँ कि जब तक ऑफिशियल्स में इस तरह का एटीट्यूड रहे तब तक वेलफेयर स्टेट में भी फंक्शन नहीं कर सकती। जैसा कि गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि हम ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ट्रेनिंग देने से काम नहीं होता है। जहां कहीं भी ऐसा ध्यान में आये we must take exemplary action.

जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। ऐसा चेलेंजिंग एटीट्यूड आपके ध्यान में आता है तो there must be exemplary action taken. ऐसा अगर एग्ज़ेम्पलरी एक्शन नहीं लेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को टोन—अप नहीं कर सकते। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि राजस्थान में फोडर की स्केयर्सिटी है और हजारों की तादाद में मवेशी मध्यप्रदेश में जायें या दूसरी जगह जायें। मैं तो कहूँगा कि आइडियल स्टेट ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेन्ट की तरफ से फोडर का इन्तजाम किया जाना चाहिये ताकि हमारे मवेशियों को बाहर नहीं जाना पड़े। Why should the Madhya Pradesh Government bother about it? तो हमको तो इन्तजाम ऐसा करना चाहिए कि फोडर की स्केयर्सिटी होती हो तो उसको विज़ुअलाइज़ करके, स्टेट गवर्नमेन्ट की मशीनरी इस प्रकार से टोन—अप होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हो, इसकी पहले से ही जानकारी होनी चाहिए, ताकि बाहर से मंगाने का इन्तजाम कर सकें। यह बात नहीं होनी चाहिए कि जब मवेशी माइग्रेट करने लगें तब पता लगे कि माइग्रेट कर गये हैं। ३०—४० पर्सेन्ट मवेशी माइग्रेट कर लें तब इसका पता लगे, यह बात अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस प्रकार से टोन—अप होनी चाहिये कि ग्रास पैदा नहीं हुआ है, फोडर पैदा नहीं हुआ है यह पहले से मालूम होना चाहिए, ताकि बाहर से मंगाने का इन्तजाम कर सकें, that will be an ideal condition for scarcity in a welfare State. इसको लाने के लिए जो मशीनरी है उसको सिर्फ ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलेगा। They should remain abreast of the things. जो काम करते हैं they should remain alert. जिसमें ऐसा मौका आयन्दा नहीं आवे। इतना कहकर अपना कट मोशन मूव करके स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : There are so many cut motions.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष, अभी अभी इस सदन में दो माननीय सदस्यों ने दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा किये जाने वाले राहत कार्यों के संबन्ध में कुछ चर्चा की। मैं उन बातों को दुहराता हुआ तो नहीं, बल्कि उन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज हमारी सरकार के ध्यान में दुर्भिक्ष क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह कहूँ तो

(श्री भैरोंसिंह)

वाजिब होगा कि राजस्थान में दुर्भिक्ष बिकता हैं और उसकी बिक्री किसी दुकान पर नहीं होती, किसी स्टोर में नहीं होती बल्कि उसकी बिक्री सरकारी अधिकारी करते हैं। यह तो एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस राजस्थान के अन्दर ३ वर्षों के आल्टर्नेटिव टर्म के अन्दर अकाल पड़ता था वहां भगवान की कुदरत के कारण अब हर साल पड़ने लग गया है। लेकिन इस स्थिति में सरकार का, जिस तरह से माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं, उन्होंने बताया कि इस बात को मान भी लिया जाय कि सरकार की कुछ ऐसे अकाल पीड़ितों के प्रति सहानुभूति होती है तो इस स्थिति में सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वास्तव में जो अकाल पीड़ित हैं उनको सुविधा मिलेगी या नहीं। आज के दो दिन पूर्व माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कुछ बातें बताई थीं, जिनको सुनने के बाद मुझे इस बात का निश्चित रूप से इत्मिनान हो गया कि अकाल राहत के संबन्ध में जितना कार्य सरकार को करना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है।

सबसे पहले अकाल कहां है, उसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने एक क्राइटेरिया फिक्स-अप कर रखा है और वह यह कि जहां एक रुपये में १० आना या इससे ऊपर फसल खराब हो जाये वहां के बारे में इस प्रकार से मानकर चलते हैं कि यहां पर अकाल पड़ गया और उसके बाद वहां की सारी स्थिति कागजों में आती है। कलेक्टर्स की रिपोर्ट बनती है और सरकार उस पर विचार करती है। लेकिन आज यदि सरकार को कोई पूछे और गांवों में जाकर वस्तु-स्थिति को देखे तो इस बात का उन्हें पता चलेगा कि अकाल पड़ना और अकाल पटकना प्रकृति के हाथ में नहीं है। प्रकृति के हाथ में है,लेकिन उसको सही रूप में रखने का काम हमारी सरकार की मशीनरी के हाथ में है। सरकार के पटवारी यदि किसी गांव से चिड़े हुए हैं, यदि किसी किसान से चिड़े हुए हैं तो यह उनका कर्त्तव्य होता है कि यदि किसी प्रकार से पूर्ति न की जाय तो भी छोटा सा डिफरेन्स होता है १० आना और ६ आना में। इस डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं जिसे फसल पर लगाने से पता चल जाय कि फसल को हानि १० या ६ आना हुई है, तो यह पटवारी पर मुनस्सर होता है कि वह जिस गांव के लिए कह दे कि अमुक गांव में फसल कम हुई तो हमारी सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी की दृष्टि से वहां पर अकाल पड़ जाता है और जैसेकि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, कुछ राजनैतिक आधारों पर भी अकाल घोषित कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ, यह तथ्यपूर्ण बात है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिन गांवों में निश्चितरूप से अकाल हुआ है और राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि अमुक तहसील में १० लाख रुपयों का नुकसान हुआ है ....

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां ?

श्री भैरोंसिंह : कोटपुतली के बारे में आपने पिछली बार सदन में स्टेटमेंट दिया था कि कोटपुतली में १० लाख रुपयों का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूँगा कि आज वहां से जनसंघ का एम.एल.ए. चुनकर आया है इसलिये वहां अकाल होना सरकार ने स्वीकार कर लिया है, फिर भी वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। एक और

(श्री भैरोंसिंह)

घटना का मैं जिक्र करूंगा। पिछली बार पंचायतों के चुनाव हो रहे थे। मंत्रीजी गांवों में गये, एक गांव में एक सभा का उद्घाटन किया और उस गांव में अकाल नहीं था, वहां राहत देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको उन गांववालों को राहत देनी थी इसलिए वहां आपने घोषणा कर दी कि वहां पर राहत मिलेगी। वे मंत्री कोई उद्योग विभाग के मंत्री नहीं थे, दूसरे विभाग के नहीं थे बल्कि राजस्व मंत्री स्वयं थे। उन्होंने रायपुर तहसील के बरांटियां गांव में जाकर घोषणा की लेकिन जिस बरांटिया गांव में अकाल पड़ा था वह दूसरा था। लेकिन क्योंकि उस गांव से वोट लेने थे इसलिये वहां पर घोषणा कर दी कि राहत मिलेगी। जिस बरांटिया गांव को राहत मिलनी चाहिये थी वहां के लोगों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं लेकिन वहां पर राहत नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में अकाल की स्थिति राजनैतिक आधार पर घोषित की जाती है। अकाल की स्थिति सरकारी अधिकारियों और पटवारियों द्वारा बेची जाती है। मैं समझता हूँ सरकार की सहानुभूति होने पर भी सही प्रकार से राहत मिल जाय, ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ जो यह है कि जिस राजस्थान को यहां के लोग, सरकार और बाहर के दूसरे लोग कृषि प्रधान प्रान्त मानकर चलते हैं, जिसमें पशु—धन आजीविका का मुख्य साधन है उस राजस्थान की सरकार विचार करे कि कितने पशुधन का नुकसान हो रहा है। मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि वाकई में जो दुर्भिक्ष के कार्यकर्ता हैं वे बतावें कि आज तक कितने आदमी और कितने मवेशी राजस्थान से बाहर गये है और किस किन जिले से बाहर गये हैं? यहाँ बैठे बैठे मध्यप्रदेश के कलेक्टर को लिख कर पूछें या बाहर के आंकड़े यहां तैयार करें तो यह बेकार है। कितने मवेशी और कितने दुर्भिक्ष या अकाल पीड़ित लोग बाहर गये, इसके आंकड़े आपके पास साफ नहीं हैं। राजस्व मंत्रीजी बतावें कि किस किस गांव से कितने मवेशी और आदमी बाहर गये। इस प्रकार के आंकड़े तैयार नहीं हैं। आप अन्दाज से चलते हैं कि इतने लाख का बजट चाहिये। किस आधार पर आप १५ लाख का बजट बनाते हैं? किस आधार पर अकाल घोषित करते हैं और किस प्रकार से मवेशियों के बाहर जाने का जिक्र करते हैं? जिस प्रकार से फ़ुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि चारे की व्यवस्था करने के बारे में सरकार किस प्रकार से सतर्क रही है, इसका उदाहरण गत वर्ष का पेश करना चाहूँगा।

हमारे यहां सूरतगढ़ फार्म है। वहां जितना अच्छा बीज और चारा होता है उतना दूसरी जगह नहीं होता। वह सूरतगढ़ फार्म राजस्थान सरकार को प्रायोरिटी देता है कि बीज, अनाज और चारा खरीदना हो तो हम पहले आपको देंगे। खरीफ की फसल के समय हमारी राजस्थान सरकार को सूरतगढ़ फार्म ने इत्तला दी कि हमारे यहां ३ लाख मण चारा पड़ा हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिये उन्होंने तार दे दिया। लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। आज नहीं तो कल सदन को सुन कर दुःख होगा कि वह ३ लाख मण चारा पड़ा पड़ा सड़ गया, उसमें दीमक लग रहे हैं। सूरतगढ़ फार्म का मैनेजर

Page No 67

(श्री भैरोंसिंह)

उसकी कीमत मांगेगा । राज्य सरकार के पास टेलीग्राम आ जाने के बाद उनको कीमत चुकानी पड़ेगी । जिस आदमी ने इसकी सुनवाई नहीं की और लापरवाही की वह विभाग का अध्यक्ष अब भी बना रहेगा क्योंकि सरकार इस प्रकार के अधिकारी, जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है ।

मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत इस बात की थी कि हम कुछ स्थानों पर राजस्थान में इस प्रकार के डिपोज़ खोलते, गांवों में टीम जाती और जो आज कहते हैं कि हम रचनात्मक कार्यकर्ता हैं, आज सरकार कहती है कि हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं को लाखों रुपया देते हैं, उन सब की रिलीफ कमेटी बनाते और रिलीफ कमेटी बनने के बाद एक एसोसियेशन बनती । उसके आधार पर किस किस गांव में कितना कितना खर्चा करना चाहिए, किस किस व्यक्ति को कितना कितना खर्चा चाहिए, कितने कितने मवेशियों के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, चारा कितना चाहिए, उनके लिए दवा कितनी चाहिए, इस सब की सरकार व्यवस्था करती । माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे कि झालावाड़ के कलेक्टर और चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर मध्य प्रदेश के कलेक्टर से मिले । मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि वे इस सदन को जानकारी दें कि झालावाड़ और चित्तौड़ के दोनों कलेक्टर महोदय, मध्य प्रदेश में जहां जहां पर हमारे अकाल पीड़ित घूम रहे हैं, उस एरिया में कितने दिन घूमे । वे बतायेंगे कि एक कलेक्टर दो दिन और दूसरे कलेक्टर छः दिन घूमे । दो दिन और छः दिन; इस प्रकार आठ दिन में राजस्थान के लाखों अकाल पीड़ित लोगों का समाधान कर दिया, मैं इस प्रकार की योग्यता कलेक्टर में नहीं पाता । मैं कह सकता हूँ कि वहां के कलेक्टर से मिल कर आना और यह आशा करना कि वहां के कलेक्टर सारी व्यवस्था कर देंगे, इस पर मैं विश्वास करने में असमर्थ हूँ, यह असम्भव है । आज कलेक्टर के पास काम ज्यादा है, आज मध्य प्रदेश के कलेक्टर आकर सीकर के कलेक्टर को यह कह दें कि मध्य प्रदेश के मवेशी आये हैं, अकाल पीड़ित लोग आये हैं, उनकी व्यवस्था करनी है, तो आप मान कर चलिये, यह नामुमकिन है कि सीकर के कलेक्टर कोई व्यवस्था कर देंगे । मैं यह कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर, झालावाड़ और चित्तौड़ के कलेक्टर के कह देने से, अकाल पीड़ितों की पूरी व्यवस्था कर देंगे, पूरी राहत दे देंगे, यह सम्भव नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, हमें शर्म आती है उस समय जिस समय मध्य प्रदेश की सरकार और जनता अखबारों में इस प्रकार के समाचार पढ़ती है कि राजस्थान में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, राजस्थान में काम—धन्धा खूब मिल रहा है, लेकिन जिस समय मध्य प्रदेश में जाकर हमारे यहां के लोग भिखारियों की तरह मांग कर राजस्थान सरकार को नीचा दिखाते हैं, मरते हैं, और पशुओं को कसाई खानों में ले जाकर हत्या कराते हैं, और जिस गाय की कीमत ढाई सौ रुपये है उस गाय को पांच रुपये में बेच देते हैं, उस समय हमें शर्म आती है । या तो जो हमारी सरकार के भुलावे में डालने वाले आंकड़े आते हैं, वे गलत हैं या सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

और सरकार की नीति, जो अकाल पीड़ितों के बारे में है और होनी चाहिए, उसमें सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण उसे नीचा देखना पड़ता है । ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपने एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के आधार पर आप दुनिया के सुझाव ले रहे हैं । पर मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज भी हमारी सरकार ने, जो लोग वापिस आने को तैयार हैं, उनके लिए केवल १६ डिपोज़ खुलवा दिये चारे के, उससे व्यवस्था नहीं होने वाली है, क्योंकि वे लोग उसी रास्ते से आयेंगे, यह सम्भव नही है जब तक कि उनको उसके बारे में ज्ञान कराने के लिए, गाइडेन्स देने के लिए एक एक टीम के साथ सरकारी अधिकारी नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि वे लोग उधर से ही आयेंगे जिधर से उन्हें हरा चारा नजर आयेगा, जो रास्ता उन्हें नजदीक दिखाई देगा । अब भी वे लोग उधर से ही आ रहे हैं । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज गांव गांव में भयंकर रूप से समस्या पैदा हो रही है और वह है कि चलते चलते जानवर थक गये, उनको रास्ते में चारा मिलता नहीं, कुछ जानवर लंगड़े हो गये, थक गये, उनको मजबूर होकर किसान और मजदूर रास्ते में छोड़ कर आते हैं और फिर जो उनके भाग्य में होगा वही होता है । वे जानवर राजस्थान सरकार को कोसते हुए मर जाते हैं ।

मैं यह कहता हूँ कि राजस्थान इस बात के लिए मशहूर है कि राजस्थान के अन्दर गायकशी नहीं होती है । मैं कहता हूँ कि राजस्थान के मवेशी भूख के कारण मरते हैं, राजस्थान में नहीं मरते हैं, राजस्थान से पांच सौ मील पैदल यात्रा करके भूख—भूख करके, त्राहि—त्राहि करके कसाईखाने जाते हैं और उन कसाई खानों में गायें कटती हैं, उस वक्त लगता है कि पंजाब की गायें गाड़ी में कलकत्ता जाती हैं और वहां पर कटती हैं लेकिन राजस्थान की गायें कलकत्ते तक पैदल जाती हैं और इतनी दूर की यात्रा के बाद कसाईखाने में कटने पहुँचती हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सबकी जिम्मेदारी हम सब की है, सरकार की है, रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की है, मंत्रीजी जिन कार्यकर्त्ताओं पर विश्वास करें, उनकी भी है । सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार के वॉलन्टियर्स की एजेन्सी कायम करे और यह सावधानी रखे कि इन एजेन्सियों में आज के तथाकथित राजनैतिक नेता न आ जायं, वे इन एजेन्सियों में घुस न जायं, नहीं तो जिस तरह सहकारी समितियों का हाल हो रहा है, जिस तरह बाको सरकारी समितियां बनाई हैं, उनका जो हाल हुआ है, वही इसका भी हाल होगा । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इसे प्रान्तीय दृष्टि से, एक दल की दृष्टि से नहीं देखे, यह पूरे राजस्थान की समस्या है, इस समस्या का हल एक आदमी नहीं कर सकता, जो राजनैतिक दल हैं, जो आदमी वालंटियरिली अपनी सर्विसेज़ ऑफर करते हैं, उनका एक संगठन बनाया जाय और उसके आधार पर अकाल व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूँ कि सरकार ठीक प्रकार से व्यवस्था कर सकेगी ।

अब मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से एक बात और पूछना चाहूँगा । उन्होंने शायद पिछली बार भाषण देते हुए बतलाया कि

(श्री भैरोंसिंह)

फेमिन कोड के अनुसार जिन डिसएब्ल्ड पर्सन्स को सहायता मिलनी चाहिए, उनको उन्होंने सहायता दी है। मैं समझता हूँ कि उसकी सारी डिटेल्स मैं इस समय न बतला कर माननीय राजस्व मंत्रीजी से उत्तर के समय जानकारी करना चाहूँगा कि आपने कितने लोगों को सहायता दी है, कितने डिसएब्ल्ड पर्सन्स हैं जिनकी हमदर्दी में आपने कलम चला कर मदद दी है। ऐसी स्थिति में हम यह देखना चाहते हैं कि आज कितने लोगों को मदद देनी चाहिए और कितने लोगों को मिल रही है। यह माननीय राजस्व मंत्रीजी जब बतायेंगे, उसके बाद जब मौका मिलेगा, उसकी सारी डिटेल्स मैं प्रस्तुत करूंगा।

अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, वह है एक प्रत्यक्ष नमूना हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा मदद करने का। आज जयपुर के बाहर जाकर, गांवों में जाकर प्रत्यक्ष सर्वे करनी चाहिए और ईमानदारी से सर्वे करनी चाहिए। अगर इस तरह सर्वे की जाती है तो मालूम होगा कि प्रान्त का प्रत्येक गांव आज अकाल पीड़ित है। गांव के अन्दर जिनके पास मवेशी थे वे बाहर चले गये हैं, लेकिन जो मवेशी और खेती के ऊपर डिपेन्डेंट लेबरर्स हैं, जो खेती की कटाई, बुवाई, जुताई से लेकर कटाई तक परिश्रम करते हैं, और जो मजदूर वर्ग के थे, वे किसी दूसरी कौम के नहीं, बलाइयों की कौम के थे और लेबरर्स थे। राजस्थान सरकार के माननीय राजस्व मंत्री मोटर में बैठ कर मेरे साथ चलें और किसी जिले में चले जायं और किसी गांव में देखें कि उस गांव में बलाइयों के कितने घर हैं, तो पता लगेगा कि २०० घर हैं। यह जानने की कोशिश करें कि उनमें से कितने लोग गांव में हैं तो पता लगेगा कि किसी गांव में चार घर हैं, किसी में छः घर हैं। यह हाल है। वे सब छोड़ कर चले गये हैं, मकान बन्द कर चले गये हैं। किसी के पास ताला था तो ताला लगा कर चला गया है, ईंट चुन कर चला गया है, मकान की कुंडी में छड़ लगा कर चला गया है। वे क्यों चले गये? सरकार कहती है कि राजस्थान आज भूखा नहीं है, राजस्थान में बारह लाख टन अनाज ज्यादा पैदा होता है। राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री कहते हैं कि हमने इतने व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, राजस्थान में बेकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी गांवों में जाकर गांवों की स्थिति को देखें और राजस्थान में जो बलाई थे, उनकी हालत को देखें कि जो लेबरर्स थे उनमें से आपने कितनों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। उनमें से कई आपको दिल्ली मिलेंगे, कई कानपुर मिलेंगे, कई नागपुर मिलेंगे, कई अहमदाबाद मिलेंगे, कई बीमार पड़े हैं, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई ठेला ढो रहा है, कोई अमानवीय व्यवहार बरदाश्त कर रहा है। उस स्थिति के अन्दर हमारे प्रान्त के नेता, मुख्य मंत्रीजी कहें कि हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, तो मैं समझता हूँ कि जिन आंकड़ों के आधार पर वे ऐसा कहते हैं, वे आंकड़े गलत हैं, सत्यता से परे हैं। आप गांवों में जाकर इनकी सत्यता की जांच कीजिये, चाहे लोकनाथन की कमेटी, चाहे भारत सरकार की सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जाय, मैं केवल आज बलाई कौम का जिक्र नहीं करता, लेकिन बाकी जो कौमें हैं, वे भूखी हैं और राजस्थान

Page No 70

(श्रीभैरोंसिंह)

से भाग कर गई हैं । आप किसी भी गांव में जांच कर लीजिये आपको बलाई कौम के आदमी नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका जो जूते बनाने का काम था वह छिन गया, खेतों में मजदूरी करने का काम था, जब गांव में अकाल पड़ गया तो मजदूरी करने का सवाल पैदा नहीं होता । इस तरह सारे के सारे गांव खाली हो गये हैं । अभी पंचायत के इलेक्शन हुए, उनमें आपने देखा होगा कि जहां बलाइयों के ५०० वोट पड़ने चाहिए थे, वहां १० पड़े हैं । उन लोगों को लाने की कोशिश की गई, लेकिन भूख इस तरह की है कि वे लोग किसी तरह से भी रुक नहीं सकते हैं । इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्व मन्त्रीजी अकाल पीड़ितों के लिए राजनैतिक दृष्टिकोण न रख कर थोड़ा बहुत सर्व हितकारी दृष्टिकोण रखें, किसको लाभ होगा, किसको लाभ नहीं होगा, उस दृष्टि से नहीं देखें बल्कि किस प्रकार सबको लाभ होगा, इस दृष्टिकोण से सब लोगों को देखें और इस दृष्टि के आधार पर जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिये उन्हें राहत दें । सरकारी मशीनरी ठीक तरह से राहत नहीं दे सकती, इसलिए वॉलेन्टरी सर्विस शुरू करें और सर्वे करें, जिन लोगों को आवश्यकता हो उन्हें राहत दें ।

इन्हीं शब्दों में अपना कट मोशन पेश करते हुए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इन सब बातों की ओर आकर्षित करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अपने इस कट मोशन के जरिये, सरकार की ओर से उदयपुर जिले में राहत कार्य शुरू नहीं किया है, इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर जिले के बारे में जो कहा उसका सबसे पहले उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूँ ।

माननीय उपाध्यक्ष, ऐसा समझा जाता है कि उदयपुर जिले में कभी काल पड़ता ही नहीं, जो कुछ पड़ता है जयपुर और बीकानेर में ही पड़ता है । यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि राजस्थान के विभिन्न इलाकों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, आब-हवा, पैदावार और पानी के लिहाज से । उदयपुर जिले में पानी बरसने की औसत तीस-पैंतीस इंच है, पर इस बार औसत से भी कम वर्षा हुई है । मैंने गत सत्र में माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था कि उदयपुर जिले में जुलाई में वर्षा हुई, उसके बाद कोई वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप सारी फसल खत्म हो गई है । उस समय माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि वर्षा होने वाली है, बादल मंडरा रहे हैं, पर वहां वर्षा अभी तक नहीं हुई है । हमें उम्मीद थी कि राहत कार्य प्रारम्भ किया जायगा, सलूम्बर, सराड़ा और लसाड़िया आदि क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा पर अभी तक वहां किसी भी प्रकार का राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । जनवरी के अन्त में और फरवरी के प्रथम सप्ताह में कुछ गांवों को फेमीन इफेक्टेड

(श्री मोहनलाल भटनागर)

घोषित किया गया है जिसके फलस्वरूप वहां लगान वसूल कर लिया है। जिन गांवों को फेमीन इफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है उन गांवों की संख्या बहुत कम है। जांच करने का तरीका है वह सरकारी हैं और कई नियम हैं उनमें परिवर्तन किया है, पंचायतों का सहयोग लेने की कोशिश की है, पर अब भी पूरी स्थिति पटवारियों के हाथ में है और पटवारी जिन गांवों को चाहते हैं उन गांवों को फेमीन इफेक्टेड डिक्लेअर करवा देते हैं। पंच या सरपंच इस प्रकार की जांच में पटवारियों के साथ रहें, इस प्रकार का नियमों में प्रावधान किया है पर पंचों और सरपंचों को इतना टाइम कहां, वे साथ में नहीं जाते हैं, या साथ में रहते भी हैं तो पटवारी अपनी इच्छानुसार जैसा चाहते हैं वैसा आगे भेज देते हैं। नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है कि पटवारी, पंच और सरपंच की राय में भेद होता हो, उनकी राय नहीं मिलती हो तो तहसीलदार को जांच करनी चाहिये। तो नियमों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। आदेश इस प्रकार का है कि आठ आने से ऊपर जहां नुक्सान हुआ है उन्हीं गांवों को राहत देनी चाहिये जबकि टिनेन्सी में प्रावधान है कि जिस जगह ६ आने नुक्सान हो वहां राहत दी जानी चाहिये। तो इन नियमों में परिवर्तन नहीं करके सरकार ने ८ आने जहां नुक्सान हो उसकी जगह राहत देने के नियमों के खिलाफ जो आदेश दिया है, वह नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट ६,३०,००० की तो राहत कार्य के लिए मांगी जाती है, ३१ मार्च तक के लिए मांगी जाती है। मेरा ख्याल है कि कहीं काम शुरू नहीं किया है। ३०० गांव फेमीन इफेक्टेड डिक्लेअर हुए हैं, पर उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहूँगा राजस्व मन्त्रीजी से कि यह रकम किसलिये मांगी जा रही है, यह फिर सरप्लस होगी। मैं फिर निवेदन करूंगा कि सराड़ा, लसाड़िया आदि इलाकों में ज़ल्दी से जल्दी राहत कार्य शुरू किया जाय, वहां आदिवासी लोग हैं सरकारी जंगलों से बिना पर्मिट लकड़ी काट काट कर ला रहे हैं और फिर से चोरियां करना शुरू कर रहे हैं।

इसलिए इस कट मोशन के जरिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी राहत कार्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान में प्रतिवर्ष अकाल किसी न किसी हिस्से में पड़ते रहते हैं, पर इस वर्ष एक विकट अवस्था पैदा हुई है और इसी कारण एक विशेष कमेटी मुकर्रर करके विशेष धन–राशि इसके लिए रखी है। पर सरकार ने पूरी योजना बनाई है, सरकार के पास यह पूरी जानकारी नहीं है कि कितने जानवर बाहर गये हैं, कितने व्यक्ति बाहर गये हैं इस दृष्टि से जो रिलीफ की योजना बनाई है पूरी नहीं बनी है। जिस समय पशु बाहर जा रहे थे सरकार ने व्यवस्था की कि प्रत्येक पशु को तीन सेर चारा दिया जाय। एक पशु को तीन सेर से ज्यादा चारा दिया जाना चाहिए। निरन्तर प्रवास में रहने वाले

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पशुओं को तो और भी ज्यादा चारे की जरूरत रहती है, तीन सेर चारे से तो पशु भूखा रहेगा। सरकार ने यह तीन सेर चारे की व्यवस्था इसलिए की कि जिस समय पशु निकल रहे थे तो सरकार को पता नहीं था कि कितने पशु बाहर जा रहे हैं। सरकार के पास सही इत्तला नहीं होने के कारण थोड़े फोडर का इन्तजाम किया, पर जब ज्यादा पशु निकले तो मौके पर जो इमीजियेट ऑफिसर थे उन्होंने देखा कि चारा तो कम है और पशु बाहर जाने वाले बहुत ज्यादा हैं तो उन्होंने सरकार को कह दिया कि प्रति पशु तीन सेर चारा ही दे सकते हैं, इस कारण उनको ३ सेर चारा दिया गया और इस कारण उनकी हालत खराब हो गई।

राजस्थान से बाहर जाने इन पशुओं को बाहर ले जाने के लिए कुछ मार्ग निर्धारित हैं, जिन मार्गों से हमारे पशु मध्यभारत में जाते हैं; वैसे चले गये, यह कोई खास बात नहीं है, हर साल कहीं न कहीं अकाल पड़ता रहता है या कुछ भी हालत खराब होती है तो नागौर, चित्तौड़ जिले के लोग जाते हैं; वहां लोगों की आदत है कि फसल हो जाती है तो अपने पशुओं को बाहर ले जाते है, तो इनके बाहर जाने के मार्ग निर्धारित हैं। मार्ग निर्धारित हैं, तो सरकार को मालूम था कि इन इन मार्गों से पशु बाहर जायेंगे। कितनी मात्रा में पशु बाहर जायेंगे यह भी सरकार को आंक लेना चाहिये था, पर वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के अधिकारी पहले सोये हुए थे; यही कारण है कि समय पर सरकार प्रबन्ध नहीं कर सकी। अधिकतर लोग मध्यभारत में चले गये हैं, सरकार की ओर से कहा गया कि वहां लोगों को कम्बलें बांटी हैं पर वस्तुस्थिति यह है कि उनमें से ४ पर्सेंट लोगों को कम्बलें मिली हैं। आवश्यकता अनुसार कम्बलें बांटी पर ४ पर्सेन्ट को कम्बलें मिली हैं, ये आंकड़े हमारे कार्यकर्ताओं से मिले हैं।

चित्तौड़ और झालावाड़ के कलेक्टर गये, यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट है, इमीग्रेशन ऑफिसर के लिए मांग की है। पर वहां दवाइयों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। जंगलों में पशु गये हैं, वहां जंगलों में मध्यभारत की सरकार कोई व्यवस्था नहीं करने वाली है। मार्ग में कहीं बड़े कस्बे हों, डिस्पेन्सरीज़ हों तो वहां भले ही व्यवस्था हो सकती है, पर जंगलों में मध्यभारत की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। वहां हमारे अधिकारी नहीं गये, कितने वेटरनरी डॉक्टर, कितने कम्पाउन्डर, तहसीलार, नायब तहसीदार सरकार ने वहां भेजे जिन्होंने उनकी सहायता करने की कोशिश की हो; वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर उनकी देख भाल करने के लिए कोई नहीं गया, उनकी वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई। केवल एक अधिकारी को नियुक्त करके बजट में प्रावधान कर दिया तो इससे कोई व्यवस्था नहीं होगी। सरकार को इस सम्बन्ध में स्थाई व्यवस्था करनी चाहिये। यहां हर साल अकाल पड़ते रहते हैं, इसलिए इसका अलग विभाग कायम करना चाहिये। गत वर्ष बीकानेर में अकाल पड़ा तो गैर सरकारी संस्था ने काम किया। पर इस वर्ष जो भी कार्य किया जा रहा है सरकारी आधार पर किया जा रहा है और वह बिल्कुल अपर्याप्त है। यह एक दिन का काम नहीं, विशेष अधिकारी नियुक्त करके

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विशेष विभाग खोलें और जिन जिन मार्गों से पशु जाते हैं, जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहां वहां इनके लिए स्थाई व्यवस्था करें नहीं तो इसी तरह परेशानी और नुकसान होता रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव इस डिमान्ड पर रखता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से इस वर्ष भी पाली जिले के कुछ गांवों में अकाल पड़ा। इसके लिए यह स्थिति हो रही है कि राज्य सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। पहले जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई, सब ऑफिसर्स इकट्ठे हुए। उसी के आधार पर दूसरी तहसीलों में और गांवों में ग्राम पंचायतों की मीटिंगें हुईं। और मैं समझता हूँ कि जनता को राहत पहुंचाने का एक तरीका सरकार ने निकाला, वह यह था कि मीटिंगों का आयोजन करना और प्रस्ताव पास करना। मेरी समझ में सारी पंचायतों ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये और बहुत बड़े स्तर पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसका ध्येय यह था कि अगर हमने प्रस्ताव पारित कर दिये तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हमने सारे डिविज़न में रिलीफ काम शुरू कर दिया। यह तो एक इस प्रकार की बात हुई कि जब कभी बुढ्ढी मां, जब उनकी असली मां बाहर जाती है तो उनको रखती है और बच्चा जब रोने लगता है तो वह उस बच्चे के मुंह को अपने स्तनों के लगा लेती है। उनमें दूध तो बच्चे को मिलता नहीं है। उसी प्रकार से आप एक मीटिंग का आयोजन करके अकाल पिडित लोगों को उन बच्चों की तरह से बूढ़ी मां जिस तरह से उन्हें छाती से लगाती है लगाना चाहते हैं। मगर बच्चा, जब उसको दूध नहीं मिलता तो फिर रोने लगता है। एक दफा सारे पंच इकट्ठे हो गये और उन्होंने कहा कि हमको काम दीजिये, मगर उनको काम नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, काम दो हम करने के लिए तैयार हैं; लेकिन काम कहां? प्रस्ताव पास करने को तैयार हैं। इसके अलावा आपके पास रुपया कहां जो लोगों को दिया जा सके? लोगों ने कहा कि हम सब दुखी हैं, बेकार हैं हमको काम दिया जावे, मगर आप उनको कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पाली में १४५ अकाल-ग्रस्त गांव हैं। आपकी सारी स्कीमें और सारे काम कागजों में चलते हैं और पूर्ति कागजों से ही होती है। पूरा मेड़ता अकाल ग्रस्त है। पाली के अकालग्रस्त गांवों के लोगों ने कहा कि पाली में तालाब की खुदाई करनी चाहिए ताकि वह बरसात में भर जाए और हमें काम मिल जाए। मगर न जाने आपका क्या तरीका है काम कराने का? मैं यह कहूँगा कि इन सभी गांवों में से किसी एक गांव में भी आज तक राहत का कार्य शुरू नहीं किया गया और जब शुरू करने को कहते हैं तो कहते हैं कि हम आपको मजदूरी के ८ आने और १० आने देंगे। ये दरें सन् ४७ में पास हुई थीं। अब उस समय के भावों में और आज के भावों में काफी अन्तर है और इस हिसाब से आपको उन्हें १।।) रु० देना चाहिए, मगर आप कहते हैं कि उनको ४७ की दरें जो पास हुई हुई हैं दी जानी चाहिए। इसके अलावा अकाल की स्थिति में लोग अपने घर-बार छोड़ कर चले जाते हैं इसलिए

(श्री मूलचन्द डागा)

आप उनके खिलाफ कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग्ज़ को तो स्टे कर दें।

पीने के पानी की व्यवस्था उनके लिए नहीं है। जवाई बांध से पानी आप कहते हैं कि जोधपुर शहर में जावेगा। जोधपुर शहर में जवाई बांध से पानी जा सकता है मगर गांव जो रास्ते में पड़ते हैं उनको आप पानी नहीं देते। वे प्यासे हैं, वे कहते हैं कि हम खोद कर नहर ले जावेंगे, मगर आप उसको भी मंजूर नहीं करते। आप यह कहते हैं कि राजस्थान के शहरों के बाग—बगीचे बर्बाद हो जावेंगे, मगर मैं यह कहूँगा कि जहां पशुधन को हमें पालना है तो जब जवाई बांध से पानी जोधपुर को दिया जाता है तो वहां से आधा मील या मील पर गांव के लोग उसमें से अपनी मज़दूरी से नहर खोद कर पानी लेने को तैयार हैं; तो उनको पानी क्यों नहीं दिया जाता? जहां पानी का प्रश्न आता है तो यह कहा जाता है कि अभी ओवरसियर साहब नहीं हैं, हम इस सम्बन्ध में कोई एडवाइस नहीं दे सकते। सारा काम एक मकड़ी के जाले की तरह व्यवस्था के जाल में फंस गया है।

जहां तक चारे का प्रश्न है मैं कहूँगा कि इसका भी कोई प्रबन्ध नहीं है। राजस्व मंत्री को चाहिए कि वे स्वयं उन स्थानों का दौरा करें और देखें कि राहत कार्य हो रहा है या नहीं और जानवरों को चारा मिल रहा है या नहीं। मैं यह कहूँगा कि जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है। अगर इसका प्रबन्ध नहीं किया गया तो सारा राजस्थान का पशुधन बर्बाद हो जावेगा। जानवरों के दस्ते बाहर जाते हैं और आप कहते हैं कि राहत कार्य के लिए हमने इतने लाख रुपये मंजूर किये हैं। मगर राहत कार्य अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। इसके लिए नायब तहसीलदार मुकर्रर किये गये मगर मैं कहूँगा कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार आदि क्या करेंगे? वे लोग इधर से उधर का दौरा करेंगे। मैं यह कहूँगा कि पंचायतों के पंच लोग काम करने को तैयार हैं, पंचायत समितियें हैं; फिर तहसीलदार आदि की क्या जरूरत है? लेकिन यह एक मशीनरी है जो काम करेगी और दिखावे मात्र का काम होगा और एडवर्टाइज़मेंट होगा, लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं होगा। जानवरों के लिए घास का प्रबन्ध नहीं हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): आपने बताया कि नायब तहसीलदार मुकर्रर होकर आये। कौन थे और कहां पर नायब तहसीलदार बनाये गये?

श्री मूलचन्द डागा : पाली जिले में नायब तहसीलदार मुकर्रर हुए जो सभी गांवों में जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन नायब तहसीलदार हैं जिनसे आपने बात—चीत की है, जो इस सिलसिले (फेमिन) में मुकर्रर हुए हैं। नाम तो बतावें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उनके नाम नहीं जानता, मैं उनको शक्ल—सूरत से जानता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे पाली

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिले में किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके नाम क्या हैं ? क्योंकि सारा पाली जिला स्केयर्सिटी एरिया में नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में सोजत, और पाली तहसील के अकाल ग्रस्त गांव हैं जहां नायब तहसीलदार मुकर्रर किये हैं। ऑफिसर लोग सभी दौरा करने जाते हैं, मगर आज तक राहत का काम शुरू नहीं हुआ। हर रोज मीटिंगें बुलाई जाती हैं तहसील के स्तर पर और सरपंच खर्चा करके आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस सीमा को लांग दिया जावे और आगे बढ़ा जावे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर जो राहत कार्य कर रहे हैं वह संतोषजनक नहीं है। अगर हमें उनको किसी प्रकार से राहत पहुँचानी है और काम शुरू करना है तो शीघ्रातिशीघ्र पंचायत समितियों और पंचायतों को यह काम सौंप दिया जाना चाहिये और फन्ड्स एलॉट कर दिये जाने चाहिये, ताकि काम शुरू करें और काम करने वालों को क्या रेट दी जावे, उसको मुकर्रर करें। केवल पंचायतों द्वारा ही फेमिन का काम होना चाहिये।

इसके अलावा अभी तक गांवों में सस्ते धान की दुकानें नहीं खोली गई हैं और वहां धान मंहगा मिलता है। धान की दुकानें हमारे विकास क्षेत्र हैं वहां खोली जानी चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, सलूंबर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग प्रस्तुत की है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सलूम्बर और लसाड़िया में रिलीफ वर्क कतई नहीं हो रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी मांग है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! What is your point of order ?

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सी मांग है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : सलूम्बर और लसाड़िया, इन दोनों तहसीलों में अकाल पड़ जाने के कारण वहां के पहाड़ी एरिया में बसने वाले आदिवासियों को बहुत........

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन सी तारीख को अकाल पड़ा ?

श्री हरिप्रसाद यादव : वर्षा न आने से अकाल पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री से आपके जरिये निवेदन करूंगा कि पहाड़ी इलाके में जो हालत है उस पर मेहरबानी फरमावें। लसाड़ियां में दो-तीन आदमी भूख से मर गये, परन्तु हमारी सरकार के सामने इतनी बहस के बाद भी कुछ राहत नहीं। मैं वहां के लोगों की हालत सुनकर आप तक उन गरीबों की आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूँ और निवेदन करूंगा कि इस पर एक्शन लिया जावे। अगर इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जावे तो आगे जाकर उनकी क्या दशा हो सकती है ?

(२. ४०. म. प.)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

(श्री हरिप्रसाद यादव)

राजस्व मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी राहत कार्य शुरू होने चाहिये । अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि जवाई बांध से शहर के बाग—बगीचों में पानी मिलना चाहिये और वे लहराते रहने चाहिये । मगर राहत के कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों को मजदूरी मिलेगी । कोई इंजीनियर, डागा या भीखा भाई का आदमी एंगेज किया गया तो वहां काम पूरा नहीं होगा, लेकिन बाधा ही होगी । मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में राहत-कार्य शुरू किया जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि 'दो—तीन आदमी; जैसा उन्होंने कहा कि भुखमरी से मर गये, तो कहां मर गये यह बता दें ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बाद में जान लें ।

श्री हरिप्रसाद यादव : लसाड़िया में भूखमरी से दो—तीन आदमी मरे हैं ।

श्री सभापति : पर्टीकुलर्स हैं क्या आपके पास ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरी कॉन्स्ट्यूएन्सी में बल्लभनगर, भोपाल सागर और लसाड़िया क्षेत्र आते हैं । पहाड़ी इलाकों में रिलीफ कार्य शुरू नहीं किये हैं जब कि बरसात के अभाव के कारण वहां भयंकर अकाल **है,** फसलें सूख गई ।

श्री सभापति (श्री हरिप्रसाद यादव से): Take your seat please.

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय राजस्व मंत्री जी इसका पता लगायें और उदयपुर कलेक्टर को चिट्ठी लिख कर जांच करवायें । उधर पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं । जंगलात के बड़े बड़े ठेकेदार हैं

(घंटी)

श्री सभापति : (पुनः श्री यादव से) Take your seat please.

श्री हरिप्रसाद यादव : तो मैं आपके जरिये फिर एक बार अपील करूंगा कि उन आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत कार्य शीघ्र ही शुरू कराये जायें ।

(घंटी)

मवेशियों के लिए और मनुष्यों के लिए खाद्य का इन्तजाम किया जाये ।

श्री सभापति : (पुनः श्री यादव से) Please take your seat.

डॉ० बहादुरसिंह : हिन्दी में बताइये ।

श्री हरिप्रसाद यादव : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच करायी जाये और रिलीफ कार्य शुरू कराये जायं ।

(घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में........

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, मुझे अकाल की समस्या पर इतना ही कहना है कि उदयपुर जिले में पहाड़ी स्थान हैं। अभी एक मेरे मित्र ने....

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूँ।

(घंटी)

मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले शुरू किया था।

श्री सभापति : I have permitted him to speak.

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे माननीय मित्र ने लसाड़िया के बारे में जिक्र किया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि वहां पर अकाल से मृत्यु हो गई है, क्योंकि ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरे पास है।

श्री जनार्दनराय नागर : लेकिन यह बात सही है कि उदयपुर जिले में पहाड़ी हिस्सों में अकाल है और अभी तक, जहां तक मेरी सूचना है वहां पर, सभापति महोदय, राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको धरियावद के विषय में जानकरी दूंगा कि वहां पर १४ गांवों में राहत कार्य की आवश्यकता है। वहां के कार्यकर्त्ताओं ने मुझे इसकी सूचना दी है। मैंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर उदयपुर से बात की और सम्बन्धित लोगों से भी बातचीत की। मुझे पता नहीं, कोई तकनिकी कठिनाई थी अथवा कोई अवरोध था इसके बारे में। राहत कार्य जितने शीघ्र होने चाहिये थे शुरू नहीं हो पाये। यह सही बात है कि उदयपुर जिले में ही नहीं, राजस्थान से अन्य जिलों में भी अकाल की स्थिति है और सैकड़ों गांव अकाल की परिस्थिति में आग्रस्त हैं। सभापति महोदय, एक बात मैं बड़ी नम्रता के साथ राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि अकाल की संक्रमण की सी स्थिति राजस्थान में बनती चली आ रही है। सन् ५० से लेकर ५५ तक लगातार अकाल की संख्या में परिस्थिति बनी रही। अकाल की स्थिति निरंतर राजस्थान में काफी गांवों में आती रही है। दूसरे प्रान्तों में भी सक्रिय उपायों द्वारा काबू पाने का प्रयत्न किया गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस अकाल की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए कोई सक्रिय और दृढ़ प्रयत्न न किया हो अथवा कर रही है। लेकिन यह कह देना चाहता हूँ कि उन उपायों को या तो टटोला नहीं गया है या सम्पूर्ण रूप से उन अकाल की परिस्थितियों पर काबू पाने का उपाय राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है कि अकाल की परिस्थिति जब सामने आती है तो तुरन्त ही उस पर काबू पा लिया जा सके। अब तक उन हिस्सों में जहां कि अकाल की परिस्थिति है, राहत कार्य शुरू न होना एक चिन्ता का विषय जरूर है। मैं जानता हूँ, सरकार के पास कुछ कारण होंगे इसके लिए और राज्य सरकार चाहते हुए भी समय पर राहत कार्य शुरू नहीं करा पायी। कुछ औपचारिक कारण होंगे, या कुछ और कारण होंगे; राजतन्त्र के ढच्चर में जो कारण होते हैं रोजमर्रा, अकाल की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार का प्रयत्न होते हुए भी राहत—कार्य शुरू नहीं हो पाये, मैं यह कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय, यह मानते हुए भी निरन्तर राजस्थान

(श्री जनार्दनराय नागर)

मैं यह गत सात–आठ वर्षों से अकाल पड़ते रहने के कारण, राज्य सरकार इस ओर सक्रिय रह कर कई तरीकों से प्रयत्न कर रही है, लेकिन जहां तक राहत कार्य चलाने का सवाल है, उसके विषयक एक संगठन का सवाल है । राहत कार्यों को तुरन्त प्रारम्भ करने का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है, सभापति महोदय, कि राजतन्त्र के इस ढचरे के कारण ज्यादा शीघ्रता और तत्परता के साथ जहां ये कार्य शुरू होने चाहिये थे और उस अकाल की परिस्थिति पर पूर्ण रूप से काबू पाना चाहिये वहां वे कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं और यह सत्य है और इसको स्वीकार करना पड़ता है । मैं सरकार पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार की कुछ सीमा है, हो सकता है कुछ अड़चनें हों, धीरे २ राजतन्त्र के ढचरे में चलने की एक प्रवृत्ति है, लेकिन यह अर्थ पूर्ण बात है, जो मैं आपके जरिये सभापति महोदय, राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि अकाल मान लेना, अकाल ग्रसित गांव घोषित हो जाने पर भी और सारी बातें होने पर भी समय पर राहत कार्य नहीं हो पाते हैं । धरियावद का उदाहरण पेश करें । पंचायतों के जरिये काम–काज शुरू करायें, छोटी २ सिंचाई योजनायें शुरू कराई जा सकती हैं, सड़कों के काम शुरू कराये जा सकते है, लेकिन कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं इस राजतन्त्र के ढन्चर की कि वे काम शुरू ही नहीं हो पाते हैं । आदिवासी क्षेत्र है, रोजी–रोटी उनको लानी पड़ती है; मजदूरी करके खेतों में या जो थोड़ा बहुत नाज पैदा होता है कर्ज में देकर सुबह–शाम जिन्दगी की सांसों के साथ उनको झगड़ना पड़ता है । हमारे राजस्थान के शहरों या कस्बों के निवासियों की जो जिन्दगी है वह उन भील लोगों की जिन्दगी नहीं है । शहरों में अकाल जैसे संकट के समय में लोग ला सकते हैं, पड़ोसी से ला सकते हैं, कर्ज ला सकते हैं लेकिन जो भील लोग हैं और खास कर उदयपुर डिविज़न के और खासकर उदयपुर जिले के, उधर के हिस्से के रहने वाले भील लोग हैं वे बहुत गरीब हैं । सभापति महोदय, मैं भारतीय नागरिक के लिए 'गरीब' विशेषण का प्रयोग नहीं करना चाहता । स्वतन्त्र देश का कोई नागरिक गरीब नहीं कहा सकता, लेकिन कहना पड़ता है; जहां तक भील मीणा और आदिवासियों का सवाल है । हमारे दिल में निरन्तर उनकी दयनीय स्थिति के लिए दर्द बना रहता है और नेता हैं उन्होंने उस दर्द को देखते हुए उसको मिटाने के लिए समाज के सम्मुख आवाज पहुंचाने का निरन्तर प्रयास और संगठन किया है और मैं सभापति महोदय, निहायत नम्रता के साथ, इस ओर निरन्तर रूप से प्रयत्न शील राजस्थान के नेता माणिक्यलालजी वर्मा का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने उदयपुर जिले के आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जिन्दगी भर प्रयास किया है । ऐसे संकटपूर्ण समय में उनके सक्रिय प्रयास हमको आपको दिखाई देते जिनसे राज्य सरकार हिलती है और हमारे दिमाग में एक चेतना बनी रहती है कि उन भील, आदिवासियों का, पिछड़े लोगों का जहां तक उनका विकास करने का सवाल है, उनको सहायता देने का सवाल है उसको विशेष महत्व दें । हमारे बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा पिछड़े लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए विशेष धन देने का

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रयत्न किया है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने प्रयत्न किये हैं किन्तु जहां तक अकाल का सवाल है आदिवासी इलाकों के अन्दर औद्योगीकरण नहीं कर पाये हैं, वहां कुटीर उद्योग नहीं; कोशिश हुई थी,इस प्रकार की सहकारी समिति बनाई भी गई थी जो जंगली उत्पादन को बेचकर अपना निर्वाह कर सके। लेकिन जब व्यापक प्रसंग आता है, दिल में चुभने वाला प्रसंग आता है; जैसा अकाल का प्रसंग है जब ऐसे समय में देर हो जाती है, अच्छे इरादे होते हुए भी प्रणाली होते हुए भी समय पर अकाल की स्थिति में राहत नहीं पहुंच पाती; इस कारण हमारा जो उद्देश्य होता है वह निष्फल हो जाता है।

आदिवासी नागरिक राजस्थान के ऐसे नागरिक हैं जो पहाड़ों पर और जंगलों में रहते हैं और दिन—रात गरीबी से मुकाबला करते रहते हैं जिसका अनुभव हम लोगों को नहीं है, किसी को नहीं है। लसाड़िया ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्थान के आदिवासी रहते हैं, जहां अकाल का संकट उत्पन्न हैं, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून का सम्मान करते हुए, यह मैं नहीं कहता कि कानून को तोड़कर बल्कि उसको गौण बनाकर तुरन्त राज्य सकार को राहत पहुंचानी चाहिये इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ वह यह कि इसके लिये दृढ़ आधार पर प्रबन्ध करने के लिये उच्च स्तरीय कमीशन होनी चाहिये जो सारी परिस्थितियों को देखे। पिछले दस वर्षों में इस सम्बन्ध में इस प्रकार की अभाव की परिस्थितियों का दूर करने के लिये क्या क्या किया गया है, कितनी उसमें सफलता मिली है और किस स्तर पर कार्य हो पाया है। ऐसे कौन से उपाय हैं जो गये दस वर्षों में किये गये हैं, जिनके कारण आयन्दा इस प्रकार के अकाल की संभावना न हो। जिस प्रकार हम मलेरिया उन्मूलन कर रहे हैं, इस ओर जो प्रयत्न किया जा रहा है उससे आयन्दा दस—बारह सालो में इस रोग पर काबू पाने के जो कुछ प्रयत्न हुए हैं उससे मलेरिया का उन्मूलन काफी अंश में हो गया है उसी प्रकार यह काल का जो रोग है सभापति महोदय, ऐसा रोग है जिस पर काबू हम नहीं कर पाये हैं। देश में सिंचाई के इतने बड़े—बड़े साधन हो जाने पर भी, नहरें निकल जाने पर भी, उद्योग—धंधों में वृद्धि हो जाने के बावजूद भी हमें यह मान लेना चाहिये कि हमारा सामाजिक और आर्थिक तंत्र या योजना का विस्तार इतना नहीं हो पाया है जिससे हम यह कह सकें कि आयन्दा अकाल की परिस्थितियां नहीं आयेंगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सभापति महोदय, जो दुर्भिक्ष का विभाग और जिसके माननीय मंत्री महोदय हैं मैं उनके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, राजस्थान के अन्दर खास तौर से जो दुर्भिक्ष की स्थिति रहती है, वह साल दो साल में हमेशा आता रहता है और खास तौर से राजस्थान का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जहां हर समय अकाल पड़ता रहता है। जिस हिस्से में जितना अकाल पड़ता हैं उस हिस्से में उतनी ही कम सहायता इस विभाग की ओर से दी जाती है और यही कारण है कि राजस्थान में हर साल ये परिस्थितियां पैदा होतो हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान का ७५ प्रतिशत इलाका ऐसा

(श्री मुरलीधर व्यास)

इलाका है जहां अकाल की नौबत आती रहती है, उस समय इस इलाके के लोगों के सामने दो परिस्थितियां पैदा होती हैं। एक तो यह कि वहां जो व्यक्ति रहते हैं उस व्यक्ति के सामने अपने खुद के परिवार के जीवन मरण का प्रश्न रहता है और दूसरा उसके साथ साथ उसके पास जो अन्य प्राणी रहते हैं, जानवर आदि, उनको भी किस प्रकार से जीवित रखा जाय, यह परिस्थिति पैदा होती है। ऐसी परिस्थिति में जब कि खुद को खाना नहीं मिलता है, अनाज उनके सामने नजर नहीं आता है तो उनको घर छोड़ कर बाहर जाने के अलावा और कोई चारा उनके सामने नहीं रहता।

दूसरी परिस्थिति जो उनके सामने होती है वह यह कि जहां एक तो उनके अपने बच्चों के पालन-पोषण का सवाल रहता है दूसरी और जो उनके साथ जो जानवर रहते हैं उनका क्या करें? खुद के बच्चे साथ लें; उनकी रक्षा करें और फिर उनकी रक्षा के साथ साथ उनके रहने वाले जानवर हैं उनकी रक्षा करें; इस तरह से दो परिस्थितियां उनके सामने आती हैं। इस तरह से जब यह बाहर जाता है तो उसके लिये डबल खर्चे की व्यवस्था करनी पड़ती है। या तो वह प्राणियों को छोड़ कर चला जाता है, इसके सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। हम देखते हैं कि बीकानेर के इलाके में जहां मुझे जाने का मौका मिलता है हम देखते हैं गांव के रास्तों पर ऐसा नजर आता है कि सैकड़ों पशु मरे हुए दिखाई देते हैं, उन पर रेत पड़ी हुई दिखाई देती है, उनको संभालने वाला कोई नहीं। ये परिस्थितियां हर तरफ उस समय देखने को मिलती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह महकमा इस प्रकार का होना चाहिये जिसको यह पता चल सके राजस्थान में कहां क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों का निर्वाह हो रहा है, उसके साथ साथ साथ उसके पास जो जानवर आदि हैं उनका भरण पोषण भी होता है या नहीं, अगर किसान ऐसी हालत में अपने जानवरों को छोड़ देता है और वे मर जाते हैं, उसका उत्तरदायित्व अगर वे सम्भाल नहीं पाते हैं तो यह राजस्थान के फन की अपार क्षति है। अगर वह अपने बच्चों के साथ साथ उन जानवरों को भी ले जाता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर वह जानवरों को बचा नहीं पाता तो हमारी दौलत घट जाती है। यहां यदि हम उस धन को बचा पाते हैं तो हमारी दौलत बढ़ती है, हमारे राजस्थान के प्रति व्यक्ति की औसत आय बढ़ती है और इससे हमारा प्रान्त आबाद होता है। राजस्थान का जो विस्तृत इलाका है उसको देखते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान से आये हुए डिसप्लेस्ड पर्सन्स को पुनर्वास के लिये आपने अलग महकमा खोल रखा था वह इसलिये कि उनको आबाद करना चाहिये, उनको मरने देना नहीं चाहिये, उसी तरह से इस अकाल के लिये भी हमें स्थायी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां यहां हमेशा होती रहती हैं, इन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिये उन जानवरों को और प्राणियों को संभालने के लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था की है? आज तक जिस प्रकार की व्यवस्था चली है उसके अनुसार किसी ने कह दिया, हमारे यहां अकाल पड़ा है, सहायता दे दी गई लेकिन

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार की सहायता देने से समस्या का हल नहीं होता। इस समस्या के विस्तार को देखते हुए हमें इसके लिये स्थायी हल पैदा करना होगा। आज तक स्थायी हल के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया, इसीलिये वह समस्या उसी तरह की बनी हुई है।

राजस्थान का ७५ प्रतिशत इलाका ऐसा है जहां लोग पशुओं पर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, वहां जानवर इतने ज्यादा हैं कि जब वे अकाल के मारे दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी रक्षा नहीं हो पाती। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह ऐसी समस्या है कि इसका स्थायी हल हमें ढूंढना होगा, उसके बिना इसको कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता। आज हम राजस्थान की आबादी का हिसाब लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ७५ प्रतिशत जानवर उस इलाके में रहते हैं जहां अकाल पड़ता है। उन सब की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि इस महकमे को कोई छोटा-मोटा महकमा नहीं मानना चाहिये, इसके लिये एक स्थायी मंत्री नियुक्त होना चाहिये जो इसके बारे में अध्ययन करे और इसका स्थायी हल किस प्रकार से हो सकता है उस पर वह विचार करे। ऐसे समय में जनता को ठीक समय पर राहत मिलती है या नहीं? जहां तक राहत का सवाल है, एक ओर तो अकाल पड़ता है, या तो वर्षा के अधिक होने के कारण पड़ता है; वहां लोगों के मकान गिर जाते हैं उनको भी राहत पहुंचानी पड़ती है और जहां बिना पानी के अकाल पड़ता है वहां भी राहत पहुंचानी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि कहीं आदमी भी मर जाते हैं जैसा कि एक सम्माननीय सदस्य ने जो बल्लभनगर से आये हैं कहा है, उनके क्षेत्र में भूख के मारे दो आदमियों की मृत्यु हो गई।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): उन्होंने कहा, चार गांवों में दो व्यक्ति मर गये।

श्री मुरलीधर व्यास: दो व्यक्ति मरे या नहीं, जब कि माननीय सदस्य ने कहा है तो मानना ही चाहिये। परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर एक माननीय सदस्य कहते हैं कि अकाल पड़ने से वहां लोग भूखों मरते हैं और उस इलाके का वे प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिये और इससे अन्दाज लगाना चाहिये कि जहां से हमें मालूम नहीं हो सकता वहां क्या हालत होगी? गरीब आदमी किस प्रकार से मरता है, कब मरता है इसका हिसाब नहीं लगाया जाता। पता ही नहीं चलता उनका किस प्रकार से वह मर गया और चला गया। तो इन परिस्थितियों में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि हमारे यहां तो किसी के मरने की सूचना नहीं और राजस्थान के लिये यह कलंक की बात भी हो जाती है कि कोई भूख से मरे, पर परिस्थितियां जो पैदा होती हैं उनसे अन्दाज लगा सकते हैं कि जब किसी आदमी के पास खाने को नहीं होगा या काम नहीं होता तो कितने मरते होंगे। खबर नहीं लगती, यह दूसरी बात है। तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में स्थायी हल सरकार को खोजना चाहिये। कहते हैं, २५ लाख में से १५ लाख स्थाई रूप से डिपार्टमेन्ट खोला, आदमियों को लगाया; अब आदमियों का खर्चा ज्यादा

(श्री मुरलीधर व्यास)

है और प्राणियों को खिलाने के लिये, मरने वालों को बचाने के लिये कितना रुपया लग रहा है। इन स्थितियों में हमें पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी होगी, इसके बिना हम राहत कार्य सुचारू रूप से नहीं चला सकते।

आज विकेन्द्रीकरण हो गया, कलेक्टर की सूचना पर आज भी आप निर्भर रहते हैं, यह आवश्यक नहीं। पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदें हैं; वे अगर अपने अपने क्षेत्रों की देखभाल करें, उनकी सूचनाओं पर सरकार को विश्वास करके कार्य करना चाहिये। जहां अकाल हो वहां स्थायी सेन्टर्स होने चाहिये। आप वहां जब कभी अकाल पड़े कहें कि यह आपका सेन्टर है, आप इनको सम्भालिये महीने दो महीने तक। सरकार कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो सम्भाले कि दो-तीन महीने उन प्राणियों को बचाने के लिये जिम्मा ले और कहे कि राहत कार्य हमने चला दिये हैं, उनके द्वारा हम उनको बचावेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी न हो कि आप उनकी मुफ्त में मदद कर सकें तो कह दें कि बाद में इतना पैसा देना पड़ेगा जब कि अकाल की स्थिति समाप्त हो जावे। इस प्रकार भी आप बचा सकते हैं। इससे आपका ही पशुधन बचेगा। अगर इसमें कुछ खर्च करके भी इस पशुधन को बचा लेंगे तो इससे आपकी ही दौलत बढ़ने वाली है, वे आपकी दौलत बढ़ाने में ही आपकी मदद करेंगे। इससे प्रति व्यक्ति की आय भी राजस्थान में बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, पाली जिले की रायपुर तहसील में भयंकर अकाल की स्थिति होते हुए भी अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, जिन नियमों के अनुसार वे और क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : I think we are discussing the cut motions moved by the Hon'ble member. We are not having any general discussion on scarcity.

श्री सभापति : आप किसके विरोध या पक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री शंकरलाल : डागाजी ने जो कहा है उसके समर्थन में बोल रहा हूँ। So I have got every right to say that certtain part was not declared to be scarcity area.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not the question of discussion here.

श्री शंकरलाल : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रायपुर को अभावग्रस्त नहीं घोषित किया गया और क्यों नहीं किया गया इसके लिये तो सम्बन्धित मन्त्री महोदय ही कह सकते हैं। पर यह याद दिला देना चाहता हूँ मन्त्री महोदय को कि २४ नवम्बर, १९६० को मीटिंग में जब वे जोधपुर पधारे थे तो कहा था कि सरकार को रिपोर्ट आई थी और उसमें यह था कि रायपुर तहसील में १४ गांवों में अकाल की स्थिति है और उस पर स्वंय ने राहत कार्य खोलने का आश्वासन दिया था। जब क्षेत्र की पंचा-

(श्री शंकरलाल)

यत, पंचायत समिति और जिला परिषद् तक प्रस्ताव पास करके भेजती हैं तो फिर उसके अन्दर अकाल घोषित किया जाकर राहत-कार्य क्यों नहीं किया गया ? इतना ही नहीं वहां के तहसीलदार एस. डी. ओ. तक की रिपोर्ट है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि रायपुर तहसील में विराटिया गांव में राजस्व मन्त्री ने आकर ग्राम सभा में घोषणा की कि बीघोड़ी माफ की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं वह बीघोड़ी आज तक माफ की गई ? बल्कि इस घोषणा के बाद भी वसूल की गई। इस घोषणा का कोई असर राज्य कर्मचारियों पर नहीं पड़ा ! मुझे इसका खेद है। उस विराटिया ग्राम के लिये यहां भी कई बार सवाल उठाया गया। पर्सनली भी मैंने मन्त्री महोदय से कहा था। वे कहते हैं, पंचायत समिति रिलीफ देगी; हम यह नहीं कर सकते। अगर यही था तो पहले उन्हें घोषणा नहीं करनी थी। अगर आप यह कहते हैं कि आपका पटवारी ही सही रिपोर्ट देता है तो मेरे पास इसके उदाहरण हैं, पाली जिले के हैं कि उनकी रिपोर्ट कैसी सही होती है। बाली और देसूरी में खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, सरकार के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी पटवारियों ने कि नहीं नष्ट हुई, जांच करने पर सही पाया कि पटवारी और गिरदावर गलत थे। गांवों में पटवारियों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमें इस प्रकार के प्राइवेट इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि ज्यदा नुकसान हम दर्ज नहीं कर सकते। जब आप लोकतन्त्र का विकेन्द्रीकरण का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ आप पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कथन पर विश्वास नहीं लाते। आप अगर सही हालत रायपुर के पहाड़ी इलाकों की देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक साल के बाद दूसरे साल हमेशा वहां अकाल की स्थिति बनी रहती है। जब जोधपुर में उकान्तर साल अकाल की स्थिति घोषित होती है तो उन पहाड़ी इलाकों की स्थिति जहां रावत, मेरात रहते है आदिवासियों जैसी जिनकी स्थिति है उनकी क्या हालत है, जिनके खेती नहीं हुई, कुओं में पानी नहीं और जहां एम्प्लोयमेन्ट नहीं ? वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इस क्षेत्र का विधान सभाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचाऊं।

इतना ही और निवेदन करूं कि वर्षा न होने के कारण कुओं में पानी नहीं रहता। जितनी खेती एक किसान करता है उतनी नहीं सींच सकता, जहां तीस बीघा होती है वहां पांच बीघा में ही पानी दे पाता है और पटवारी रिपोर्ट करता है कि वहां फसल अच्छी है। मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा कि जहां एक कुए से सौ बीघा सिंचाई होती है वहां अगर पांच बीघा में ठीक है और बाकी सूखा है तो आप क्या वहां अच्छी फसल मानेंगे। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि पांच में तो ठीक है इसलिये नहीं कह सकते कि फसल खराब हुई है। तो क्या सरकार भी उसको खराब नहीं मानेगी जब कि पांच बीघा में फसल हुई और ९५ बीघा में नहीं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को इस बात को जांच करनी चाहिए और खासतौर से मेरे क्षेत्र के बारे में इस बात का पता लगाना चाहिए कि

(श्री शंकरलाल)

वहां के सारे अधिकारियों की रिपोर्ट होते हुए, संस्थाओं की रिपोर्ट होते हुए और उनके खुद का आश्वासन होते हुए उसका पालना क्यों नहीं किया गया ? मैं आपको बताऊं कि आज भी वही स्थिति है । कुछ दिनों पहले राजस्व मंत्री महोदय ने कहा था कि हमें १५ हजार मन घास की आवश्यकता है, लेकिन उसका आज तक प्रबन्ध नहीं हो सका है । आज भी मवेशी घास के बिना तड़प रहे हैं । इसके साथ ही सरकार को यह ऑफर भी दी है कि वाजिब पैसों पर घास दे दी जाये लेकिन सरकार वाजिब पैसों से भी घास को उपलब्ध नहीं करा सकी । यह सात-आठ दिन पहले की ही बात है । तो अब आप ही बतायें कि किस तरह से कहा जाये कि उस क्षेत्र में अकाल की स्थिति नहीं है । अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती तो क्यों वहां के लोग खराब घास को खरीदने के लिए तैयार होते ? लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति है और मैं अब भी निवेदन करूंगा कि उसके लिए व्यवस्था खास तौर से घास की जल्दी से जल्दी की जाये और ज्यादा से ज्यादा राहत पहुँचाई जाये और राजस्व मंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, अगर सरकार की प्रेस्टिज रखनी है तो उस गांव से जो बीघोड़ी वसूल कर ली है तो वह वापिस दिलाई जाये । जो कुछ मैंने कहा है वह अपना उत्तरदायित्व समझते हुए कहा है और मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वास्तव में उस क्षेत्र की जनता और जो अकाल से पीड़ित जनता है उसकी तरफ ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर कई माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । कई माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्तावों पर बोलते समय सरकार की आलोचना की है कि कहत में कौन कौन गांव लिए जायें और इस बात की घोषणा करने के लिए सरकार को पटवारियों पर निर्भर रहना पड़ता है । सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए ऐसे नियम बनाये हैं कि पंचायतों की राय से गश्त गिरदावरी तैयार की जाये....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : On a point of order sir, यह रिप्लाई हो रहा है ?

श्री भीमसेन : इसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने अपने टीनेन्सी रूल्स में जो कि गवर्नमेंट के बनाये हुए हैं उसके ३० (सी) में ऐसा प्रावधान किया है कि जहां की नेचुरल केलेमिटी हो उसकी इत्तला संबंधित गांव के लोगों द्वारा, ढोल द्वारा गांव के लोगों को करा दी जाये जिसकी तीन दिन के अन्दर अन्दर इत्तला, तहसील को उसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए जिसको भी कोई एतराज हो । इस तरह से सभापति महोदय, सरकार ने इस बात का ख्याल रखते हुए कि ऐसे समय में सरकार को पटवारियों पर डिपेण्ड करना पड़ता है, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ऐसे रूल्स बनाये हैं । लेकिन सभापति महोदय, रूल्स का बनाना और उनका पालन करना दो अलग अलग बातें हैं । अभी बीकानेर जिले में वहां की जिला परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया कि रेवेन्यू एजेन्सी ने,

(श्री भीमसेन)

जो सरकार द्वारा नियम बनाये हुए हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है और इस कारण ऐसा प्रस्ताव जिले के अधिकारियों के पास भेजा कि जो नियम बनाये गये हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। इस तरह से हमें शिकायत रहती है कि वहां की पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् एक तरफ मांग करती है कि यह क्षेत्र कहत में हो, फिर भी उन क्षेत्रों को गांवों को कहत में घोषित नहीं किया। तो सरकार द्वारा जो नियम बनाये गये हैं उनका पालन होना चाहिए।

दूसरे सभापति महोदय, अभी तक हमारे राजस्थान में फेमिन कोड नहीं बना है। राजस्थान सरकार अभी तक अपना फेमिन कोड नहीं बना सकी है और अब भी जो उत्तर प्रदेश का कोड है उसको मोडल के रूप में लेकर काम चला रहे हैं। सभापति महोदय, यह भी एक ऐसी बात है कि पता नहीं फेमिन कोड के अभाव में किस तरह से सरकार फंक्शन कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी बात सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मजदूरी की दरें, फेमिन कोड जो कि १६२०—२५ में बना था उस समय अनाज की क्या दरें थीं, उसको देखकर मजदूरी की दरें तय की गई थी और हमारी राजस्थान सरकार उन्हीं दरों को बेसिस मानकर काम कर रही है। आज कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि अनाज के भाव जो १६२०—२५ में थे उनसे कई गुना महगाई आज है। इसलिए उन भावों को देखते हुए जो फेमिन के अन्दर लेबर की रेट्स हैं उनमें वृद्धि की जानी चाहिये।

अभी राजस्व मन्त्री कह सकते है कि दरों में परिवर्तन किया गया है। माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से राज्य सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है और वह परिवर्तन इतना किया है कि जहां १४ आने प्रति व्यक्ति दिया जाता था वहां राज्य सरकार ने उसको बढ़ाकर १ रुपया कर दिया और जहां एक औरत को १२ आने देते थे वहां उसको बढ़ाकर १४ आने कर दिये और एक बच्चे को जो पहले ८ आने देते थे वहां अब उसे १० आने कर दिये हैं। अब आप ही अन्दाजा लगायें कि एक अडल्ट आदमी जो ८ घन्टे काम करता है वह मुश्किल से एक रुपये में अनाज का काम चला सकता है। अगर वह अनाज से ही पूरा पेट नहीं भर सकता तो फिर उसके बाद में उसे कपड़ा भी चाहिए और जो दूसरे साधन हैं वे भी चाहिये। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस एरिया में जो लेबर की प्रिवेलेन्ट रेट्स हैं फेमिन रिलीफ में, वही रेट्स दी जायें क्योंकि एक तरफ एक आदमी जो आज मजबूर है तो उसकी मजबूरी का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रिलीफ वर्क्स के लिए रेट्स में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

तीसरी बात, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी फैमिन रिलीफ कमेटी बनी है और राज्य सरकार ने उसके पर्सोनल तय किये हैं। उसमें जो उस इलाके का प्रतिनिधि एम० एल० ए० होता है उसको उस कमेटी में कोई स्थान नहीं दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एम.एल.ए. के सामने अपने इलाके की तस्वीर होती है। तो ऐसी कमेटी में एम० एल० ए० को

(श्री भीमसेन)

जरूर स्थान दिया जाना चाहिये । राजस्व मन्त्रीजी कह सकते हैं कि जिला स्तर पर जो कमेटीज़ हैं उसमें उनको रखा है, लेकिन माननीय सभापतिजी, यह वाजिब है कि उनका होना जरूरी है लेकिन जहां वर्क्स का एग्ज़ीक्यूशन होता है और जहां डिवीज़न लिये जाते हैं तो वहां भी उनका रहना जरूरी है । इसलिए मैंने कुछ सुझाव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं और मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी इन पर विचार करेंगे ।

श्री सभापति : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, आज यहां कहतसाली पर काफी वादविवाद हो चुका है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस साल बहुत से ऐसे भूभाग हैं जिनके अन्दर शायद ५६ की साल के अन्दर जैसा कहत पड़ा हो उसके सिवाय पड़ा है क्योंकि कहीं पर बारिश हुई और कहीं पर नहीं हुई, ये दोनों बातें यहां पर रही हैं । जयपुर और नागौर डिवीज़न के बीच का हिस्सा है यह बिल्कुल ही सूखा रहा है, इसके अन्दर बारिश की बहुत कमी रही है । इसके कारण बहुत अर्से तक जमीन बह नहीं सकी । तो इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और काफी नुकसान हुआ है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव आगे भी आ रहे हैं, लेकिन इस समय जो यहां सवाल उपस्थित हो रहा है इसमें खास जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार का आयोजन किया जाये कि यहां राजस्थान के अन्दर जब फेमिन आ जाये तो इसके लिए बाहर न जाना पड़े और उसका प्रबन्ध यहां का यहीं हो जाये तो अच्छा हो । पहले जब कि हमारे पास पूरे साधन नहीं होते थे तो मवेशी वगैरह राज्य से बाहर चले जाते थे और अब जब कि राजस्थान में जगह जगह प्रचुर साधन उपस्थित हो गये हैं, जैसे गंगानगर का नहरी इलाका है, जवाई बांध और कोटा के अन्दर आयोजन हैं, तो यहां ही इसका प्रबन्ध हो जाये और यहां के मवेशी यहां ही रहें तो ज्यादा अच्छा रह सकता है बनिस्पत इसके कि बाहर भेजने की आवश्यकता पैदा होती है, तो जिस समय मवेशियों के बाहर जाने का सवाल आता है उससे पहले ही यहां पर ही इन्तजाम हो जाना चाहिये । अभी जो पंचायतों और जिला परिषदों का बन्दोबस्त हो गया है; जैसे एस. डी. ओ और कलेक्टर महोदय हैं, वे भी क्या करते हैं ? जब ऐसा समय उपस्थित होता है वे बड़े ऑफिसर्स के पास उसी समय जो सही राहत हो उसका वास्तव में प्रबन्ध करें और उसके वास्ते यह व्यवस्था हो । बहुत सा भू—भाग और उसमें खास करके पूर्व का भाग और उत्तर का भाग है उसमें वैसा ही हो जाता है । वहां इस प्रकार के ठहरने की चेष्टा है, वहां बाहर मालवा और गुजरात में जावें तो वहां खुद की भी सुभीते की चीज हो सकती है । पशु—धन के वास्ते जहां का प्रान्त है वही वह जैसा प्रबन्ध कर सकता है वैसा दूसरा नहीं कर सकता इसलिये वहीं पर इसका आयोजन होना चाहिये । राजाओं के समय से जब ऐसा समय आया था तब ५० लाख रुपयों से महाराजा माधोसिंह जी के टाइम में फंड कायम करके बाबू कान्तिचन्द्र जी मुखर्जी को आयोजन करने के लिये कहा था । यहां छोटे छोटे मामलों में करोड़ों—अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे है या पुरानी गाथा गा रहे है ?

एक माननीय सदस्य : दोनों ही बातें हो रही हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (जारी) : कटौती प्रस्ताव हो या न हो, लेकिन इसका आयोजन होना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई फंड मुकर्रर हो जाय और उसमें से इसका आयोजन हो। जिस गांव में कहतसाली हो वहीं पर इसका इन्तजाम किया जाय तो टीक है। मैं खुद फेमिन मिनिस्टर रह चुका हूँ। यह हँसने की बात नहीं है, आपके लिये खेद की बात है। जोधपुर में जब अकाल पड़ा था तब १ करोड़ रुपये महाराजा साहब ने खर्च कर दिये थे और एक भी आदमी नही मरा था और न एक भी मवेशी मरा था....

श्री मूलचन्द डागा : लाखों रुपये उस समय अधिकारी खा गये थे जोधपुर स्टेट में।

रावल श्री नरेन्द्रसिह : महाराजा उम्मेदसिंह जी के समय की बात है। उस समय आप नाबालिग होंगे। यदि खा भी गये तो भी व्यवस्था तो हो गई। अब क्या टीक तौर से आयोजन हो सकता है, इसको क्या गारन्टी है ? छोटी बातों का प्रबन्ध होता है उसमें भी करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इसकी राजस्थान में सबसे पहली जरूरत है। वैसा देखा जाय तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अकाल पर्सोनिफाइ होकर बैठता है। वहां पशु—धन भी काफी है। वहां से पशु—धन को बाहर ले जाने में दिक्कत होती है, इसलिये टोस कार्य होना चाहिये। गवर्नमेंट और जनता दोनों ही इस पर विचार करके ठोस कार्य करें। राजस्थान में जो डींग मारी जाती है कि हमारे यहां ऐसी व्यवस्था हो रही हैं, जिसका भारत के दूसरे प्रान्त नमूना लेंगे और अनुसरण करेंगे, उसकी एग्जेम्पल सेट करना चाहते हैं; तो जब तक फेमिन का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक सभी चीजें अधूरी रहेंगी।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, अकाल के बारे में यहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हुआ सरकार की जो रफ्तार है देश को चलाने की और अकाल को दूर करने की और हमारे देश में व्यवस्था रखने की जो मौजूदा सरकार की रफ्तार है उसको देख कर आज देश भी विश्वास कर रहा हैं, लेकिन माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि यदि इसी तरह से सरकार चलती रही और इसी तरह से लोगों को राहत पहुंचाई तो कौन कह रहा है कि अकाल दूर हो रहा है। आज विधान सभा के सम्मुख ऐसी बातें लाकर फालतू समय नष्ट करना है। सन् ४९—५० और ५१ के कर्जे को अब चुकाया जा रहा है और कुछ राशि इस साल भी अकाल ग्रस्त इलाका घोषित करने के कारण रखी है। अब माननीय चेयरमैन, यह भी टाइम निकलता जा रहा है। उस समय विधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे और सरकार वैसे ही नोमिनेटेड थी। उस वक्त खर्च गई की रकम की मांग सरकार आज कर रही है। आज दुःख हो रहा है। उसका दुख कब दूर होगा, जब दूसरा डॉक्टर मर जायगा और उसकी जगह दूसरा अपोइन्ट होगा तब। इस तरह से लोगों को

Page No 88

(श्री हीराभाई)

बताना कि सरकार कितना भला करना चाहती है, देश को अन्धेरे में रखना चाहती है क्योंकि आज सरकार कब चेतती है ? मार्च के महीने में, जब कि अक्टूबर के महीने में जहां जहां अकाल है उसकी घोषणा हो जानी चाहिये और कितना नुकसान हुआ है इसका अनुभव सरकार को पहले ही कर लेना चाहिये। लेकिन इस वक्त अनुनव करने का कारण यह हैं कि आंखों से दिखाई देने वाली बात तो है नहीं जिसे देख कर लोग कह दें कि गलत बात हैं। अब मार्च–अप्रेल होने जा रहा है, इस समय हम मांग करेंगे तो कोई देखने वाला है नहीं। अगर सरकार को यह चिन्ता हो कि लोगों को राहत देनी है, तब तो सितम्बर अक्टूबर में काम चालू हो तब तो लोग भूखों नहीं मरते।

उदयपुर डिवीज़न के बारे में आपने बताया है। उसके बारे में मैं भी कहूँगा। खास करके बासवाड़ा जिला के पश्चिमी भाग में बागीडोरा तहसील और गढ़ी जैसी जगह है, जहां पर बरसात के दिनों में घोड़ा भी न जाय और न गदेड़ा जाय, वहां क्या धांधलपट्टी में फंस कर, सरकार के विश्वास में आकर लोगों को मारना है। परिवार नियोजन का कार्य वहां लागू करने जरूरत नही हैं जहां लोग भूख से मर रहे है। खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलता। अकाल के कारण वहां के लोग बम्बई प्रान्त में जाकर मजदूरी करते हैं। दिवाली लगने के साथ ही लोग बम्बई पहुंच गये। कई लोगों ने मिनिस्टरों के पास रिपोर्ट दी होगी, हमने भी सदस्य पद से रिपोर्ट दी होगी। लेकिन मिनिस्टर महोदय को वहां जाने की पुर्सत नहीं मिली। वे वहां पर जा कैसे सकेंगे, पहले १५,००० रुपये मंजूर करने पड़ेंगे एरोड्रोम बनाने के लिये और सब जगह एरोड्रोम बनाने के लिये २ लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाकर देख सकेंगे। इसलिये पहले उनके लिये वहां जाने की पक्की व्यवस्था करनी होगी, तब राहत मिलेगी।

मैं तो माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सरकार बिल्कुल नाकाबिल बन चुकी है, इसलिये इस सरकार के विश्वास पर न रहो और अपनी पूरी व्यवस्था कर लो। जनता सरकार को चलाती है, लेकिन सरकार जनता को नहीं चला सकती। दुनिया कह रही है, मैं हो नहीं कह रहा हूँ। कहां तक ××× यह काम थोड़े ही करना है, उन लोगों को दिखाना है, क्योंकि आयन्दा चुनाव आ रहे हैं, पांच–दस साल पहले के बजट के आंकड़े बता दिये कि हमने इतना इतना कर दिया है। कल अखबारों में निकल जायगा कि १५ सितम्बर से राजस्थान सरकार ने इतना खर्च कर दिया है। वह अखबारों में निकल जायगा तो लोग कहेंगे कि अच्छा कर दिया है। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, उनके पास कैसे जायगा, उनसे तो सिर्फ वोट लेने हैं। मैं निवेदन करना चाहता कि सरकार ने उन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन वहां से दो–दो, तीन–तीन किश्त लगान की एक साथ वसूल कर ली हैं। वहां की हालत यह है कि कुछ मवेशी मर गये हैं,

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री हीराभाई)

कुछ मर रहे हैं और जो बाकी बचे हैं उनको लोग बेच–बेच कर सरकार का खजाना भर रहे हैं।

(३.३० म० प०)

अब सवाल यह है कि जहां रिलीफ के काम खोले गये हैं, सरकार की नीति है कि दस मील के एरिया से कम में रिलीफ काम चालू नहीं होगा। उसका हिसाब मैं जानना चाहूंगा कि विधान सभा से जहां तीन मील दूर मिनिस्टर रहता है, वह वहां से पैदल चल कर नहीं आ सकता। फिर बेकार, गरीब लोगों को कहे कि दस मील पैदल चल कर आओ और पेट भरो। यह सरकार की नीति है, इसके बाद भी सरकार कहती है कि कानून ढंग से चलता है और जो किसानों की बात कहते हैं, उन कहने वालों को बेवकूफ बनना पड़ता है। उन लोगों से आठ घंटे काम लिया जाता है और यहां असेम्बली में पांच–छः घंटे काम लिया जाता हैं। फिर अगर मिनिस्टरों को कहें कि पांच–दस मील चल कर काम करें और मोटरों को छोड़ दें और पैदल चल कर आयें तो वे नहीं कर सकते। जो आदमी गरीब है, वह उस स्थिति में दस मील नहीं चल सकता और मजदूरी करने नहीं जा सकता। दूसरा सवाल यह है कि दस मील दूर जाने के कारण यह होता है कि वे वहां नहीं जाते। इसलिए मिनिस्टर कहते हैं कि बांसवाड़े में बांध बन रहा है, उसमें करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, वहां पर काफी काम है, इसलिए नहीं जाते। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि जो भूखे मजदूर हैं, उनके पास पशु हैं, फेमिली है, उसके पास जीने का साधन केवल कृषि है, उसको छोड़ कर वह कैसे जा सकता है? वह नहीं जा सकता। इसके साथ ही यह भी बात है कि वह किसान है और किसान मजदूरी नहीं कर सकता, वह तो कृषि के धन्धे में पूरी तरह से काम करे, इसके लिए सरकार गाय-बैलों की व्यवस्था कर दे, खेती की व्यवस्था कर दे तो उनको एक दिन की भी फुर्सत नहीं रह सकती है जिसमें वह मजदूरी करने जाये। मैं निवेदन करूंगा कि वहां जो बांध में काम चल रहा है, वहां काम करने नहीं जा रहा है, इसलिए भूखों नहीं मरता है बल्कि इसलिए भूखों मरता है कि वह दस मील दूर काम करने नहीं जा सकता। या तो वह घर बार छोड़ कर जाय, अगर नहीं जा सकता है तो काम नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा कि वह इस स्थिति में दस मील दूर नहीं जा सकता। इसके अलावा जहां तक सवाल मैं घास का, आज मवेशी मर रहे हैं। घास कब मिलेगी? जब घास प्रकृति से पक कर गिरना शुरू हो जायेगी। उनको जो सहायता दी थी, वह तब दी थी जब कि मक्का पक कर फूटना चालू हो गयी थी। फिर सरकार ने क्या किया? जिस दिन उनको जरूरत थी, उस दिन न देकर बाद में दी, सितम्बर और अक्टूबर में दी गई, तो उसका वह क्या करेगा? उस पैसे से वह दारू पीने के सिवाय और क्या करेगा? उस पैसे से वह त्यौहार मनायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि दरअसल यह कानून बन चुका है कि किसी आदमी के पास अपने छोरा, छोरी और वाइफ के पेट भरने की गुंजाइश नहीं है, वह नाकाबिल है, अपंग है और उसमें हिम्मत और बुद्धि नहीं है, तो उसको छोड़ कर उसकी वाइफ तलाक-पत्र ले सकती है, तलाक ले

(श्री हीराभाई)

सकती है और दूसरा घर कर सकती है, वह दूसरे के साथ शादी कर सकती है। तो ऐसे आदमियों की शिकायत सरकार न सुनेगी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा यह काम सम्भालना मुश्किल है, हम आपसे बार बार हाथ जोड़ कर कहते हैं। हम इतने अपंग और गद्दार नहीं है कि सरकार को देवता मान कर चलें। सरकार ने जो किसानों को तकावी दी है, सरकार को जो कर वसूल करना है, उसके लिए हम कह दें कि यह मत दो तो सरकार की गोलियां और पुलिस तैयार है। जो लोग मर रहे हैं, जिनके लिए आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वे दस मील दूर जाकर काम नहीं करेंगे। उनकी आज क्या स्थिति है, वह बराबर बताई जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप आज जनता और विधान सभा से माफी मांग कर त्याग-पत्र दे दें क्योंकि आपसे व्यवस्था होने वाली नहीं है। होने वाली नहीं है, यह अट्ठारह बार मैं कह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यह आपसे होने वाला नहीं है क्योंकि दस-ग्यारह साल से कागज़ घूम गये लेकिन जो गवर्नमेंट का काम था वह नहीं हुआ। ऐसी हालत में आपका जनता में विश्वास कैसे हो? कानून आपने रखा है कि बच्चे ज्यादा हो गये तो दूसरी शादी कर ले, अपंग हो तो वाइफ दूसरी शादी कर ले, लेकिन सरकार कुछ नहीं सोचेगी। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि पूरा मंत्रि–मंडल त्याग–पत्र दे दे....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): फिर चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे ?

श्री हीराभाई : सुनाई नहीं दिया....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जरूरत नहीं है।

श्री हीराभाई : फिर जनता आपका फालतू खर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको हाथ भी नहीं जोड़ेगी।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : मिनिस्टर महोदय।

श्री लादूराम सुलाणिया : दो–तीन मिनिट में भी बोलूंगा।

श्री सभापति : काफी वाद-विवाद हो गया है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मेरी तरफ से नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, अकाल की जो डिमान्ड है, उस पर अलग अलग जगह से आये हुए माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सदन में पेश किये हैं। यह बात ठीक है, राजस्थान का जहां तक सम्बन्ध है, उसका दुर्भाग्य ही कहूँ कि यहां पर हमको साधारणतया वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और यही कारण है कि वर्षा की कमी और बेशी से हमारे यहां तकरीबन पांच साल के अन्दर एक साल अकाल आता है, जिसको हम अकाल की स्थिति कहते हैं और वह स्थिति राजस्थान के अन्दर ज्यादातर इलाके में आ जाती है। तो यह स्थिति आज कोई नई नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है । हमेशा से नहरी इलाके को छोड़ कर जो राजस्थान का इलाका है वह वर्षा पर निर्भर रहता है । अब जहां तक अकाल का प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ, इस अकाल के प्रश्न को सब माननीय सदस्यों द्वारा, चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, केवल यह समझ कर कि यह ह्यूमन प्रोब्लम है, इस दृष्टि से देखना चाहिए । मैं यह आशा नहीं करता कि कोई भी माननीय सदस्य इसको पोलिटिकल इन्स्ट्रूमेंट बनाना चाहे । अकाल के मामले में, सहायता के काम में और सरकार के दूसरे कामों में कोई कमी रही है, तो उसको बतलावें और सरकार का यह कर्तव्य है कि उसको पूरा करने का प्रयत्न करे । परन्तु यह बात जरूर है, यह उम्मीद की जाती है कि माननीय सदस्य, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, दलगत, किसी क्षेत्र, किसी लिहाज से इस पर विचार न करें । मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने उस पर बहुत लाइटली बात की है, खास तौर पर कुछ इस तरह की बातें कही हैं, जैसे कि कहीं पर कोई क्षेत्रीय आधार पर, किसी जगह ज्यादा ताकत के आधार पर, किसी भी एरिया को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया जाता है । मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, जहां तक अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का सवाल है, उसके नियम हैं और वे नियम ऐसे हैं कि यदि उनका पालन हो तो कोई गल्ती होने की सम्भावना नहीं है । केवल पटवारी के ऊपर अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का काम नहीं छोड़ा जाता । पटवारी, यह कहना चाहिए, इनीशियली फसल का मुआयना करता है, जो देखता है, समझता है, वह वैसा लिखता है । उसको अधिकार नहीं है कि फसल को देख कर, उसके नुकसान को देख कर, कितनी पैदावार हुई है, उसको बतावे । मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पटवारी के ऊपर यह सब काम नहीं छोड़ा जाता । हमने पंचायत एक्ट के तहत प्रोवाइड किया है कि गांव पंचायत के पंच और सरपंच पटवारी के साथ गश्त गिरदावरी करके फसल के नुकसान को दर्ज करें । हमने वहीं नहीं छोड़ा है, उसके साथ नम्बरदार भी रहता है । हमने यह भी उसके साथ प्रावधान किया है कि जो गश्त गिरदावरी होकर नुकसान दर्ज होता है, उस नुकसान का पब्लिक नोटिस लगायें, बाई बीट ऑफ ड्रम्स उसके ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जाते हैं और नुकसान इतना है कि उसमें अर्जेन्सी है तो यह प्रावधान है कि समय के अन्दर ऑब्जेक्शन्स आते ही तहसीलदार मौके पर पहुँच कर जांच करे और फैसला करे ।

इसके साथ में एस. डी. ओज़. के ऊपर पाबन्दी लगाई है कि स्केयर्सिटी एरियाज़ में खुद जा कर जांच करें, कलेक्टर के ऊपर पाबन्दी है कि खुद जाकर स्केयर्सिटी एरिया के गांवों में जांच करे । तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अमुक जगह फेमीन इफेक्टेड एरिया घोषित नहीं किया है तो उसके लिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह हमने केवल पटवारी पर नहीं छोड़ा है, कलेक्टर के लेवल तक के लोगों ने वहां जाकर जांच की है और उनकी जांच के नतीजे आने पर स्केयर्सिटी घोषित की है । तो यह कहना कि दलीय आधार पर, क्षेत्रीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आधार पर, ज़ोर और ताकत के आधार पर स्केयर्सिटी घोषित कर दी जाती है, यह बात नहीं है; या उस आधार पर स्केयर्सिटी घोषित नहीं की जाती, यह बात नहीं है, जो प्रोसीजर मैंने बताया इतना इलेबोरेट है, उस सारे प्रोसीजर को फोलो करने के बाद घोषित किया जाता है। यह मैंने इत्मिनान कर लिया है कि इस प्रोसीजर को फोलो किया गया है।

यह कहा गया कि टिनेन्सी के रूल्स में यह प्रोविज़न है कि ६ आने नुकसान होने पर रिलीफ दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन रूल्स को देखें तो पता चलेगा कि किसी एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर से उनको अमेंड नहीं किया गया है। टिनेन्सी में स्पष्ट प्रावधान है कि ६ आने नुकसान पर रेमिशन मिलेगा। स्केयर्सिटी डिक्लेअर करने के लिये तो जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो प्रोसीजर रखा गया है वह सबको फॉलो करना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्केयर्सिटी डिक्लेअर कर दी, पर वहां सिविल कोर्ट्स की डिक्रीज़ हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे स्वयं वकील हैं और होशियार हैं। स्केयर्सिटी जहां डिक्लेअर होती है वहां ऑटोमैटिकली डिक्रीज़, इजराय वसूली सब बन्द हो जाती हैं, इन्हें बन्द कराने की जरूरत नहीं है, उसी कानून के तहत स्केयर्सिटी डिक्लेअर होती है, डिक्री, इजराय वगैरह की सब प्रोसीडिंग्स स्टोप हो जाती हैं, चाहे वह सरकारी बकाया, लगान, तकावी; whatever it is, सब ओटोमैटिकली बन्द हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यह कहना कि सिविल कोर्ट्स को नहीं भेजा; यह कहना ठीक नहीं; हो सकता है, बदकिस्मती है कि उन वकील साहब ने देखा नहीं हो कि स्केयर्सिटी डिक्लेअर होते ही सारी इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाती हैं, वकील की ओर से सिर्फ नोटिस में लाना होता है। इसकी जिम्मेदारी पार्टीज़ पर होती है।

मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक स्केयर्सिटी डिक्लेरेशन करने का प्रश्न है वहां पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। किसी माननीय सदस्य का किसी जगह के लिये कहना कि जहां स्केयर्सिटी डिक्लेअर नहीं की गई, उदयपुर डिवीज़न के लिए कहा गया कि वहां तो हर वक्त स्केयर्सिटी रहती है। आपको शक हो तो मैं आपकी कमेटी बनाने के लिये तैयार हूँ, आप वहां जाकर देख लीजिये। अकाल के मामलों पर हम इस तरह से विचार करने लगें, तो मैं समझता हूँ यह उचित नहीं होगा।

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि १० लाख रुपये का नुकसान कोटपूतली में हुआ है, यह मैंने स्वीकार किया था; पर वहां राहत बिल्कुल नहीं दी गई है। कोटपूतली में कितने नुकसान का मैंने कहा था यह तो मुझे इस समय याद नहीं, पर वहां ओलों के पड़ने से नुकसान हुआ, इसके बाद एस. डी. ओ. और तहसीलदार ने मौकों पर जा–जा कर जांच की है, उन्होंने खेतों पर जा–जा कर जांच की है, उन्होंने खेतों को देखा है और फिर अपनी रिपोर्ट की है। तो स्केयर्सिटी डिक्लेअर करने के लिये केवल यही काफी चीज़ नहीं है कि इतना नुकसान हुआ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३.४५ म. प.)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैंने जो बताया वह सारा प्रोसीजर फोलो किया जाता है, उसके बाद स्केयर्सिटी डिक्लेअर की जाती है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : सदन में आपने स्टेटमेंट दिया था, आंकड़े आ चुके हैं। अब आप छुपाना चाहते हैं तो अलग बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर यह कहना कि जिस क्षेत्र से विरोधी दल से चुन कर आये हैं वहां स्केयर्सिटी डिक्लेअर नहीं की गई, यह गलत है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : १० लाख का नुकसान होने के बाद में एक्चुअल रिलीफ क्या दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी आप अलग सवाल पूछ कर प्राप्त कीजिये, मुझे इस तरह डिस्टर्ब न किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : सत्य यह है कि पैसा एक नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर !........

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि कोटपूतली के मामले को लेकर यह बताना कि चूंकि वहां के एम० एल० ए० विरोधी दल के सदस्य हैं इसलिये वहां राहत नहीं दी गई, यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यही बात है, बिल्कुल यही बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, यह गलत है; मैंने सदन में जवाब दिया है और सदन ने मंजूर किया है। Sir, I don't want to be disturbed like this.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I would request the Hon'ble members please not to interrupt the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरे, इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने खास तौर से यह बताने की कोशिश की है कि घास, चारे और दवाई का मवेशियों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज्यों ही सरकार को सूचना मिली कि फोडर की स्केयर्सिटी है और मवेशियों का मूवमेंट शुरू हुआ है तो इन्तजाम कर दिया गया। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि माइग्रेशन शुरू हो गया, सम्बन्धित अधिकारियों से सरकार को इत्तल्ला नहीं मिल सकी, इसकी वजह से समय पर प्रबन्ध नहीं हो सका। एक कलेक्टर का जिक्र करते हुए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर ने सरकार को मवेशियों के मूवमेंट की इत्तिला नहीं दी, एक जगह इत्तिला नहीं दी, इस कारण उनका दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया, वहां पर भी उन्होंने इत्तिला नहीं दी और कम्प्लेन्ट होने पर सरकार ने उससे पूछा तो उसने गुस्ताखी का जवाब दिया और कहा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि मुझ पर कॉन्फीडेन्स नहीं हो तो ट्रान्सफर कर दो। मैं समझता हूँ कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दी है। वास्तव में न कलेक्टर ने इस प्रकार गुस्ताखी की कोई बात कही है, न इस प्रकार की कोई बात है। यह समझना कि आई० ए० एस० अफसर हैं, वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सीधा ताल्लुक रखते हैं इसलिए राजस्थान सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, यह गलत है। आई० ए० एस० अफसर हो, चाहे आर० ए० एस० अफसर हो, whoever they may be, after all they are Government servants और उन्हें गवर्नमेंट के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और सरकार को इस प्रकार का जवाब दे तो सरकार उसको सजा देती है और देगी।

तो असल में बात यह है कि केटल माइग्रेशन नागौर से हुआ, उस वक्त हुआ जब कि पुष्कर फेअर चल रहा था। पुष्कर फेअर में नागौर वगैरह के मवेशी बराबर जाते रहते हैं, फेमीन स्केयर्सिटी नहीं हो तो भी जाते हैं। फेमिन स्केयर्सिटी हो तो तहसील में सूचना देकर पर्मिट लेकर जाया करते थे, अब कोई केटल के जाने की पाबन्दी नहीं है, इस बात का पर्मिट तहसील का होता है कि केटल लिस्ट करके नहीं लाया है, अकाल की वजह से अपना ही केटल लाया है ताकि वहां की गवर्नमेंट उसे हर प्रकार की इमदाद दे और वहां की पब्लिक उनके साथ हमदर्दी का बर्ताव करे कि ये लोग फेमिन एफेक्टेड हैं।

तो बजाय इसके कि वे पर्मिट लेकर जाते, पुष्कर फेअर पर मूवमेंट शुरू किया और वहां पर सरकारी अफसरान थे उन्होंने समझा कि पुष्कर जा रहे हैं इसलिए कलेक्टर को सूचना नहीं मिली। वे पहले पुष्कर फेअर में गये भी। यह हमने जांच कर ली है कि पुष्कर फेअर में गये हैं और वहां से वे सीधे ही माइग्रेट कर गये। यह इतनी भूल जरूर हुई है कि सरकार को कलेक्टर के नीचे के अधिकारियों को सही इत्तिला नहीं मिल सकी पर कोइन्सिडेन्स पुष्कर फेअर का हुआ; इस वजह से नहीं मिली।

तो मैंने पहले भी सदन में बताया है कि २८ जगह कैटल केम्प्स खोल दिये गये और वहां उनको फ्री घास देने का प्रबन्ध किया गया। उनके जानवरों के लिए वेटरनरी डाक्टरों का इन्तजाम किया गया, मवेशियों के इलाज का इन्तजाम किया गया। मतलब यह कि जहां से मवेशियों का मूवमेंट शुरू हुआ वहां से लेकर बराबर कोटा तक घास और चारे का प्रबन्ध किया गया। ३२ जगह या २८ जगह फोडर डिपोज़ खोले गये। इसलिये ऐसा नहीं है कि फोडर जानवरों को नहीं मिला है। माननीय सदस्य जानते हैं कि कुल २२ फोडर डिपोज खोले गये, I am sorry the figure was not 28 but 22. उसमें बराबर फी मवेशी के हिसाब से ३ सेर घास दिया गया है और सभी मवेशियों को दिया गया। शुरू में जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि शुरू शुरू में जरूर गलती हुई। सरकार ने इसकी काफी छानबीन की है और शुरू शुरू में भी पुष्कर मेले की वजह से यह कोइन्सीडेन्ट हुआ। अब यह सही है कि लोग मालवे गये और मध्यप्रदेश गये; झालावाड़, चित्तौड़ होते हुए मध्यप्रदेश में गये। इस सम्बन्ध में मैंने दो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तीन रोज पहले स्टेटमेंट दिया जिसमें मैंने बताया था कि कलेक्टर झालावाड़ और चित्तौड़ भी अकाल ग्रस्त लोगों के पास गये थे और उन्होंने वहां के अधिकारियों से कोन्टेक्ट किया और जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी उसका प्रबन्ध किया है।

इसके अलावा यहां हमारे चीफ सेक्रेट्री ने भी वहां के चीफ सेक्रेट्री से लिखा—पढ़ी की और टेलीफोन करके उनको सहूलियत देने के लिये प्रबन्ध किया है और इसके लिये चाहे रेवेन्यू, चाहे फोरेस्ट या वेटरनरी या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, जिससे जितनी सहूलियतें उनको उपलब्ध हो सकती हैं देने के लिये, मध्यप्रदेश सरकार ने हिदायत दी है कि अकाल ग्रस्त लोगों को ग्रेजिंग और दूसरे सभी पर्पजेज़ के लिये सहायता दी जावे और उसी तरह से जिस तरह से कि वहां के मवेशियों को दी जाती है।

इसके अलावा भी हमारे यहां से हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उन्होंने और कलेक्टरों ने जहां अकाल ग्रस्त लोग गये हैं उन स्थानों का दौरा किया है। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ये लोग जो यहां से गये हैं भीख मांगते हैं और जो मवेशी गये उनके लिये चारे का प्रबन्ध नहीं होने से वे क्या मिट्टी खाते। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सब मवेशी बम्बई जाते है जो वहां पर बूचड़खाने में जाती है और कटती है। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि यह बूचड़खाने में जाने के नारे हमने बहुत सुने हैं। यह एक नारा था जो किसी समय जोरदार आवाज से बुलन्द किया जा सकता है और इसके सिवाय और कोई असलियत आपके पास नहीं। मैं यह कहूंगा, आप इसको ह्युमेनिटेरियन दृष्टि से देखें, उसे इलेक्शन और पार्टी और पार्टी पॉलिसी की तरफ से नहीं देखें, तो सबसे अच्छी बात होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्य से एक दफे और यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो खबर आपके पास आई है उसको यहां सदन में इस तरह रखना कि मवेशी मर रही है उनके लिये चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है या लोग भूखों-मरते हुए भीख मांग रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। उनके मवेशियों को घास मिली है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने इस सूचना की जांच कराई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ।

मैं जिस सूचना के आधार पर कह रहा हूँ वह एमिग्रेशन ऑफिसर से प्राप्त हुई है। उन्होंने व वेटरनरी सर्जन ने उन डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है और मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ और माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि १०५ गांव हैं मध्यप्रदेश में उनकी फहरिश्त अगर वे चाहें तो मुझसे ले सकते हैं और उसकी जांच करा सकते हैं कि उन्होंने वहां का दौरा किया या नहीं।

शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ५ तहसीलें हैं। डिस्ट्रिक्ट गुना, बाछेरा, भोपाल, राजगढ़, इन्दोर, डिविजन उज्जैन, शाहजहांपुर और दास और धार। इस तरह से उन्होंने तमाम

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है और दो हजार मील जीप का दौरा किया है। उनके साथ सर्जन और इन्सपेक्टर आदि भी थे। जितनी फेमिलीज़ से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया उनका नम्बर भी आपको बता देना चाहता हूँ और वह नम्बर ६०० फेमिलीज़ का है जिनके केटल्स वहां पर गये थे। उनकी जो रिपोर्ट है वह वक्त-वक्त पर उन्होंने दी है। तसल्ली के लिये मैंने खुद ने जानकारी की और उनसे बात-चीत की। मैं यह कहूँगा कि मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने अपने यहां की गवर्नमेंट को आदेश जारी किये कि हर तरह से इन लोगों को सहायता दी जावे। नागोर और जोधपुर के मवेशी ज्यादातर पाला खाते हैं और उनकी आदत पाला खाने की ज्यादा होती है। वहां पर पाला इतना है कि यहां से गये हुए मवेशियों के लिये बहुत है क्योंकि उनके जानवर पाला खाते नहीं हैं और इसलिये वह उनके काम नहीं आता है। इसलिये वे इन जानवरों को वैलकम करते हैं क्योंकि कम से कम इससे उनकी जमीन की सफाई हो जाती है। कुछ लोग वहां पर आबाद हो जाते हैं उनको छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे हैं जयपुर डिविजन के, जैसे दूदू, फुलेरा के लोग, जो यहां से गये हैं उनके मवेशी जंगलों में चरते हैं। वे लोग अपनी फेमिलीज़ को साथ नहीं ले जाते। नागोर के मवेशी पाला ज्यादा चरते हैं इसलिये उनके लिये घास की कमी नहीं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि किसी एक भी मवेशी की मृत्यु इस वजह से नहीं हुई है कि उसको घास नहीं मिला हो और घास की कमी रही हो या पाले की कमी हो। यह जरूरी है कि नेचुरल कोर्स में अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो वह यहां भी हो सकती है।

दूसरी बात आपने कही कि ये लोग देवास में भीख मांगते हैं। यह खबर गलत है। जयपुर के लोग अपनी फेमिली को साथ नहीं ले जाते हैं। वे इतने ही लोग जाते हैं जो अपने जानवरों की देखभाल कर सकें। नागोर के लोग जाते हैं उसमें से कुछ तो वहीं आबाद हो जाते हैं और कुछ मूवमेंट में रहते हैं। उनको लेबर की पूरी सुविधा है। हमारे लोग यहां से चले जाने से वहां पर जो लेबर का डर्थ था वह पूरा हो गया। इसलिये यह कहना कि वे भीख मांगते हैं; गलत है। माननीय सदस्य को किसी ने गलत सूचना दी है, जिसके आधार पर गलत बात कही गई है।

अब यह कहा गया है कि मवेशी मूवमेंट को रोकने के लिये सरकार घास कहीं से मंगावे और मवेशी यहीं पर रहें। मैं यह कहूँगा कि केवल घास की वजह से मवेशी बाहर नहीं जाते। सरकार केवल घास का इन्तजाम कर सकती है। मगर राजस्थान में पीने के पानी की कमी है और यही वजह है कि हमारे कैटल यहां से बाहर जाते हैं। सरकार फोडर का इन्तजाम कर सकती है; मगर उनको बाहर जाने से नहीं रोक सकती; क्योंकि पानी का इन्तजाम सरकार नहीं कर सकती। सरकार बराबर यह प्रयत्न करती है कि पानी निकाला जावे, लेकिन इसके बावजूद भी रेगिस्तान में पानी की कमी है और पानी नहीं निकलता। इसलिये यह बाइंड डिफिकल्टी है। कई जगह पानी नहीं मिलने के कारण यहां पर पोपुलेशन को भी माइग्रेट करना पड़ता है। खासतौर से जैसलमेर, बाड़मेर और नागोर का इलाका है। जिस समय वहां

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वर्षा नहीं होती तो मनुष्यों के लिये भी पीने के पानी की डिफिकल्टी आती है । जब आदमियों को पिलाने के लिये पानी की डिफिकल्टी है तो मवेशियों को पानी कहां से पिलाया जा सकता है । यह दिक्कत है इसको वजह से हम मवेशियों को बाहर जाने से रोक नहीं सकते । फिर प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश में जो गये हैं, मैंने फिगर्स आपको दे दिये हैं और डिस्ट्रिक्ट के नाम दिये हैं और आपको गांवों के नाम और दे दूंगा । हमारे सरकारी ऑफिसर वहां आते-जाते रहे हैं और उनकी संभाल बराबर करते रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वे भी पूरी पूरी उनकी मदद कर रहे हैं। बी० डी० ओ०, वेटरनरी डिपार्टमेंट आदि हैं वे बराबर उनकी मदद कर रहे हैं; आप इसकी जांच करा लें । दूसरी बात यह है कि वहां पर चारे-पानी की दिक्कत नहीं है, लेबर पूरी मिल गई है और हमने पूरी तसल्ली कर ली है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या फेमिन रिलीफ वर्क्स में ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोविजन तो है । लेकिन हवा से कोई ड्रिंकिंग वाटर पैदा नहीं किया जा सकता है । माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि ऐसे इलाके हैं कि जहां पर पानी ऐसा निकलता है जमीन से निकालने पर कि उसके पीने से जानवर मर जाते हैं । वहां पर रेन वाटर को स्टोर करके आदमी और मवेशी पीते हैं । यदि ऐसी जगहों में पानी की दिक्कत हो तो जिस प्रकार से इन्तजाम किया गया है वह काफी है और जिस प्रकार से इन्तजाम किया जा सकता है उसको माननीय सदस्य को अधिक ठीक तरह से समझना चाहिये।

अब रहा सवाल राहत कार्य के लिए। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह कहा कि उनके यहां राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। जहां तक फुलेरा और दूदू का सवाल है मैं निवेदन कर दूं कि वहां स्केयर्सिटी डिक्लेयर होने में देर हुई । उसकी वजह यह थी कि रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी आई थी । पंचायत और पंचायत समितियों और अधिकारियों की रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी थी । इसलिए कलेक्टर खुद गये । दो, तीन दिनों में वहां पर रिलीफ कार्य शुरू हो जावेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ।

इसके साथ ही साथ जहां तक रिलीफ वर्क्स का सवाल है मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले के और अब के रिलीफ वर्क्स को डिफाइन करना पड़ेगा । जहां तक हमारी योजनाओं का सवाल है वे चल रही हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम जाने वाले हैं । सड़कें बनी हैं, बन रही हैं, नहरें निकाली गई हैं, और भी कई प्रकार के विकास के के काम हुए हैं और हो रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम रिलीफ वर्क्स शुरू करें तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि रिलीफ वर्क्स वहां होने चाहिये जहां कि प्लान वर्क्स न हों और जहां प्लान वर्क्स हों वहां पर रिलीफ वर्क्स नहीं होने चाहिये जिससे कि राज्य सरकार को दुगुना खर्चा न करना पड़े और उसका उपयोग हो सके । इसी बात को यहां भी ध्यान में रखा गया है ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अब सवाल यह रहता है कि रिलीफ वर्क्स शुरू नहीं हुए हैं। मैं सूचना के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि करीब करीब सब जगह सिवाय उदयपुर डिविजन के, रिलीफ वर्क्स चालू किये गये हैं। वहां रिलीफ वर्क्स के प्रोपोज़ल्स आने में देर हुई थी और जैसी आज ही टेलीफोनिक मैसेज आई है, वे आ जावेंगे और जल्दी ही रिलीफ कार्य शुरू हो जावेंगे। यह बात गलत है कि ऐसा कहा जाय कि अनएम्प्लॉयमेंट है। प्लान वर्क्स ही इतने चल रहे हैं जितने कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए काफी हैं। एक माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने ऐसी बात कही थी। मैं किसी माननीय सदस्य के लिए यह नहीं कहना चाहता कि उन्होंने झूठ कहा, लेकिन यह कह सकता हूँ कि गलत कहा है और गलत सूचना के ऊपर यहां असेम्बली में कहें कि दो-तीन आदमी भूख से मर गये हैं। मैंने उनको नाम बताने के लिये कहा था। तो उन्होंने जनार्दनरायजी नागर की कॉन्स्टिटुएन्सी का नाम बता दिया। मैंने जनार्दनरायजी से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना नहीं है। मैं उन माननीय सदस्य के लिए नहीं कहना चाहता कि उन्होंने यह जान—बूझकर कहा है, लेकिन जो सूचना आवे उसको नाप—तोल कर ही असेम्बली जैसी जगह में कहना चाहिये। इसलिए उनको जो सूचना मिली है वह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है।

श्री भैरोंसिंह : एक मृत्यु हुई है, सोजत में हुई है; आप जानना चाहते हैं तो आप जानिये कि दूसरी मृत्यु हुई है वह टाडगढ़ में हुई है। माननीय मंत्री जानकारी कराना चाहें तो कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : I refuse to take any notice of such information. मेरी निगाह में नहीं आयी है। आपने मुझे सूचना भी नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपके नोटिस में होगी कि सरकार को वहां की जनता बददुआयें दे रही है। सोजत और टाडगढ़ में दो आदमी भूख से मर गये हैं और यदि नाम-पता चाहें तो मैं आपको दे दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि यह ह्युमन प्रोब्लम है। माननीय सदस्य, जो श्रीमाधोपुर से आये हैं उन्होंने कहा कि सोजत और टाडगढ़ में दो आदमी भूख से मर गये हैं तो वे इसकी सूचना मुझे देते।

श्री भैरोंसिंह : मैंने इसके विषय में इस हाउस में क्वेश्चन पूछा है और होम मिनिस्टर ने उसका उत्तर दिया है। जांच करना चाहें तो आप करायें, नाम-पता मैं आपको दे दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका जवाब यह दिया गया कि यह गलत सूचना है।

श्री भैरोंसिंह : गलत कहना बे-बुनियाद है और असत्य है। भूख से मरे हुए लोगों को आप छिपाते हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या कहा आपने ?

Page No 99

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में लोग भूख से मर रहे हैं, बेकारी से मर रहे हैं और उनको छिपाते हो।

एक माननीय सदस्य : बीमारी से मरे होंगे।

श्री भैरोंसिंह : भूख से मरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : यह सही है और उसको छिपाना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलीफ वर्क्स के लिए फन्ड्स अलॉट कर दिये गये हैं। जगह जगह पर काम चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन कर देना चाहूँगा, मेरे पास लम्बी–चौड़ी लिस्ट है और उसको सदन के सामने पढ़ कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं पाली जिले के लिए अर्ज करना चाहूँगा। माननीय सदस्य जो पाली जिले से आये हैं उन्होंने कहा कि पाली जिले में कहीं काम शुरू नहीं हुए हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि पाली जिले में ५० लेबरर्स काम कर रहे हैं। जितने एरिया में वर्क्स चल रहे हैं उनकी सेन्क्शन है ३५ हजार। पी० डब्ल्यू० डी० के वर्क्स की सेंक्शन है ४० हजार। २५ हजार तो मार्च के आखिर तक खत्म हो जावेंगे। अलॉटमेंट खत्म हो रहा है और बराबर वर्क्स चल रहे हैं। उनकी सूचना यह है कि काम शुरू नहीं हुए हैं। उपाध्यक्षजी, उनको क्या जवाब दूं इसके लिए ? असेम्बली के सामने ही मैं ये फिगर्स दे रहा हूँ। इतना पैसा खर्च हो चुका है पी.-डब्ल्यू. डी. के मार्फत और रेवेन्यू एजेन्सी के मार्फत और बराबर वर्क्स चल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कोई मंत्री महोदय बात कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं कहता हूँ कि कौन से वहां पर पी०-डब्ल्यू० डी० के वर्क्स चल रहे हैं, कौन से वर्क्स शुरू हुए हैं ? हजारों वहां पर बेकार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी प्रकार से जोधपुर डिविजन के लिए है। मैं अर्ज करूं कि वहां भी पी० डब्ल्यू० डी० के वर्क्स चल रहे हैं। फहरिश्त मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपको मालूम नहीं तो जवाब मत दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't want to be disturbed like this. आप नहीं सुनना चाहते हैं तो I may finish.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But you cannot do in the House like this.

श्री उपाध्यक्ष : I expect the Hon'-ble members not to disturb and...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But expect the same from the Minister.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री दामोदरलाल व्यास : पाली जिले के लिए बात दुबारा कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां वर्क्स शुरू

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं हुए हैं। ३५ हजार रेवेन्यू एजेन्सी से खर्च होंगे, ४० हजार पी. डब्ल्यू. डी. से व २५ हजार खर्च हो चुके हैं । वाटर के लिए २॥ हजार खर्च होंगे, कैटल कन्जर्वेशन के लिए ८ हजार, तकावी के लिए १० हजार रुपया रखा गया था जिसमें से ६ हजार का पेमेन्ट हो गया है। यह पाली डिस्ट्रिक्ट का है। इसके अलावा पाली डिस्ट्रिक्ट की इस साल के लिए कोई एडीशनल मांग नहीं है जो पेन्डिंग हो।

जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसा मैंने कहा रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं । हर एजेन्सी के लिए चाहे वाटर फोर ड्रिन्किंग पर्पजेज़ के लिए हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत काम हो रहे हों, वेटरनरी के मार्फत, कैटल कन्ज़र्वेशन के लिए हो, तकावी का हो, चाहें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग फिगर्स दे सकता हूँ। बराबर खर्चा हुआ है। खास नागोर डिस्ट्रिक्ट में ४१ काम हो रहे हैं, १२ मेड़ता में । इस तरह से हर जगह काम शुरू हो रहे हैं । बाडमेर में २० काम चले हैं। इसी तरह से ठीक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का है अलावा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के। जैसा मैंने कहा जालोर में काम शुरू है, चुरू में २० वर्क्स चल रहे हैं। थर्ड फाइव इयर प्लॉन के अन्तर्गत जो काम होने हैं वे हम पी. डब्ल्यू.-डी. के अन्तर्गत ले रहे हैं और चल रहे हैं। इसे हमको सब्सिडाइज़ करना पड़ता है; इसलिए कि फेमीन में काम करने वाले लेबर कम काम करते हैं। रेवेन्यू एजेन्सी के लिए कहूँ कि गांव–गांव में वर्क्स शुरू कराये गये हैं। पैसा बराबर दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि पाली जिले में कितनी जगह कौन कौनसी जगह काम शुरू हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of details and that you can ask him in his chamber.

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, दो बार आप (राजस्व मन्त्री) कह रहे हैं कि पाली जिले में काम हो रहे हैं, तो कहां हो रहे हैं, नाम बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष : No more interruptions I will allow.

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रेचुटस रिलीफ के बारे में भी कुछ बातें कहीं। यह ठीक है कि इसमें सवाल है, जो डिसएबल्ड पर्सन्स हों उनको देने का....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : बांसवाड़ा के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बांसवाड़ा के लिए जो रुपयों का अलॉटमेंट हुआ है वह पचास हजार के करीब है। वहां पर क्या क्या काम हुआ है इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री हीराभाई : इसकी मन्जूरी कब हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक ग्रेचुटस रिलीफ का सवाल है किस किस को यह दिया गया है इसकी फहरिश्त तो मेरे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पास नहीं है, नहीं तो अलॉटमेंट की सूची आपको बता देता । जितनी इत्तला मिल सकी है उसके अनुसार मैं बता देता हूँ । यह रुपया कलेक्टर्स की डिस्पोज़ल पर रखा जाता है और वे ही देते हैं:—

जोधपुर में २,५०० रुपया दिया गया ।

नागौर में १,५०० सौ ।

बाडमेर के अभी फिगर्स प्राप्त नहीं हुए ।

जैसलमेर में १,८२५ रुपये दिये गये ।

जालोर में ५०० ।

बीकानेर में ३,५०० ।

चुरू में २,००० । इस तरह से भिन्न—भिन्न जगहों के लिए ग्रेचुटस रिलीफ दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो केवल १०-११ हजार ही रुपये हुए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने निवेदन किया ग्रेचुटस रिलीफ उन्हीं आदमियों को दिया जाता है, इस को एन्करेज करने का सवाल नहीं । यह जितना दिया गया है वहां की जरूरत के अनुसार दिया गया है । महिलायें जो ऐसी होती हैं जो लेबर करने के लिए नहीं जा सकतीं उनके लिए जिस प्रकार का फेमीन कोड में प्रोविज़न है उस लिहाज़ से उनको अम्बर चर्खा प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए अलग से मन्ज़ूरी दी हुई है । यह चीज़ नहीं जिससे गालिबन यह ख्याल हो कि रिलीफ किसी को नहीं दिया गया । वह बराबर मिला है जो डिज़र्विंग पर्सन्स होते हैं उन्हीं को मिलता है और आप भी इससे सहमत होंगे कि केवल उन्हीं को मिलना चाहिये । इसके लिए आम कायदा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये ।

फेमीन कन्डीशन की सर्वे की बाबत भी कहा गया । खास तौर से जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस पर ज़ोर दिया । बाडमेर, जोधपुर डिवीजन, उदयपुर डिविजन व जयपुर डिविजन के कई हिस्सों में फेमीन है। इसमें भी वही तरीका अख्त्यार किया गया जो दूसरी जगह अख्तयार किया जाता है । सर्वे का जो ओवरऑल तरीका है इससे कोई बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता । फेमीन कहां है और कहां कितनी आवश्यकता है, वह यह है कि पंचायतें और पंचायत समितियों में जो लोग हैं वे खुद इसके लिए जागरूक हों और देखें कि रेकार्ड्स में जो नुकसान दिखाया जाता है वह सही है या नहीं, इस पर उनको ध्यान रखना चाहिये ।

रायपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर में जो २४ तारीख को मीटिंग हुई उसमें उन्होंने फहरिश्त दी कि इन गांवों को स्केयर्सिटी डिक्लेअर एरिया करने के लिए कहा था; किन्तु उस पर गौर नहीं किया गया । मैं उनसे अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लिस्ट उन्होंने दी है उसकी जांच मैंने कर ली है, यह उनको पता नहीं होगा शायद । उसके लिए जो कुछ एस० डी० ओ० ने रिपोर्ट भेजी है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उन्होंने जितने गांव बताये उनमें से एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसको हमारे ऑफिसर्स ने रिकमन्ड किया हो; उसी आधार पर गवर्न-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेंट ने उसको रिजेक्ट किया है । यही नहीं, हमने उस बारे में दुबारा भी जांच करवाई । उस पर जो कुछ हेरफेर उन्होंने बताया उसके अनुसार हमने उसको मन्जूर किया । मगर ऐसी कोई मिसाल सरकार के सामने नहीं आई जिसमें उनके बताये हुए गांवों में अकाल हो ।

नागोर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने एक बार जांच की । उसके बाद हमने दुबारा फिर जांच करवाई; उन्होंने गांव गांव में जाकर जांच की । उसके अनुसार ही एस. डी. ओ. की रिपोर्ट थी और तहसीलदार की रिपोर्ट थी ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या चुरू जिले में भी दुबारा जांच करवाने की शिकायत आई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चुरू जिले के अन्दर खुद कलेक्टर ने जांच की है, उस पर हमें पूरा विश्वास है । जो जांच करके उन्होंने रिपोर्ट दी है वह सही है ।

श्री किशनाराम : कितने अर्से पहले जांच करवाई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा जैसा कि मैंने फेमीन के मामले के अन्दर, अन–एम्प्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है, जो कोई भी स्केयर्सिटी एरिया हैं; कहां उसके लिए राहत के काम शुरू होने चाहिये, कहां इस बात अत्यन्ह की आवश्यकता है; इस बारे में जो भी माननीय सदस्य बतायेंगे मैं उस जगह के लिए इमीजियेटली स्टेप लूंगा ।

दूसरी बात यह भी कही गई कि फेमीन के कारण एक जगह एक आदमी भी मर गया । मैं समझता हूँ, फेमीन का जहां तक सवाल है और उसमें कोई आदमी मर जाय और जिन माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है वह इधर उधर की सूचना के आधार पर कह देना; मैं समझता हूँ उचित नहीं है........

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): माननीय मंत्री महोदय........

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please! Orde!!

माननीय सदस्य इस प्रकार से इधर उधर स्थान न बदलें, अपने ही स्थान पर बैठें ।

Order please! Order !!

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने अर्ज किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the whip to take a serious note of it. He is changing his seat from time to time. It is a very serious affair.

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी) : बिराटियां गांव के बारे में कहा गया कि वहां फौरन ही मौके पर लगान माफी का ऐलान कर दिया गया । श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा, वह दूसरा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गांव था और दूसरे गांव में ऐलान कर दिया। वास्तव में मौके पर जो ऐलान का सवाल था उसके लिए निवेदन कर दूं कि दो साल पहले वहां इतने ओले पड़े थे जिसकी वजह से वहां की फसल बर्बाद हो गई। वहां के लिए एस० डी० ओ० और तहसीलदार ने कहा था कि लगान के प्रोपोज़ल्स भेज चुके हैं, किसी पर फैसला नहीं हुआ। कई गांवों के बारे में कुछ रिकवरी होकर आई थी। किसानों की शिकायत आई कि यह ठीक नहीं है। वहां से फिर रिपोर्ट हो जायगी, उसके बाद रेमीशन की कार्यवाही की जायगी........

श्री भैरोंसिंह : जिस गांव में आपने घोषणा की उस गांव में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या यह बात सही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपका कहना गलत है, वही बिराटियां गांव है जहां के लिए हमने घोषणा की थी।

श्री भैरोंसिंह : वह गांव बिराटियां नहीं, बिराटियांललाई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : विधान सभा में उस क्षेत्र के जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने कहा है, जो हमने घोषणा की है, वह उसी गांव के लिए है जिस गांव में घोषणा की गई।

श्री भैरोंसिंह : वे मन्जूर कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ आपने गलत की है उसको हम तो स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आये हैं वे इस बारे में ज्यादा जान सकते हैं, चूंकि वे वहां के रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस गांव में आपने घोषणा की थी उस गांव से आपको वोट लेने थे। बिराटिया गांव वह दूसरा ही है जहां अकाल की स्थिति है। आपको वहां वोट लेने थे इसलिए आपने घोषणा कर दी। फिर आप अपनी सूचना को दुरूस्त कर लीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूँ, वह सही है। आप अपनी सूचना को दुरूस्त कर लीजिये।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि यहां से कितने पशु बाहर जाते हैं, इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। हमने आंकड़े कलेक्ट करने की कोशिश जरूर की है, दिक्कत उसमें जरूर आई है। यह बात जरूर है कि कुछ लोग पहले परमिट लेकर चले गये, कुछ बाद में परमिट लेकर गये। इसलिए बिल्कुल करेक्ट फीगर्स इसके लिए देना मुमकिन नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इसके फीगर्स हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि फोडर का इन्तजाम नहीं है। परमानेन्टली सरकार द्वारा फोडर का इन्तजाम किया हुआ है। फोडर बैंक कायम है। हमारे जितने भी जंगलात हैं उनमें ऐसे समय के लिए फोडर सुरक्षित रहता है और जिस इलाके में स्केयर्सिटी की कन्डीशन होती है उस जगह वह भेजा जाता है।

आज भी हमारे पास २५१ हजार मन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कलेक्टेड फोडर है। फोरेस्ट विभाग का जो जगह जगह कलेक्टेड है और डिफरेन्ट एरिया में जहां आवश्यकता होती है, भेजा जाता है। जैसलमेर जैसे एरिया में माननीय सदस्य जानते हैं हमने डिपो खोल रखे हैं। रामगढ़ और फतहगढ़ में चीप २) रु० मन के हिसाब से चारा सप्लाई करते हैं और भारत सरकार के ट्यूब वैल से पानी का प्रबन्ध किया है।

इसी तरह कुछ माननीय सदस्यों ने अनाज के बारे में कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्केयर्सिटी एरिया में कहीं से यह शिकायत नहीं आई कि हमने चीप ग्रेन शोप्स खोलने में कमी की है। जितना अनाज हमने भिजवाया उससे भी अन्दाज लगाया जा सकता है कि हमने कितना अनाज भेजा है। जोधपुर में २,३२५ टन, नागोर में ३,३७० टन, बाडमेर में ६६० टन, जैसलमेर में ७७५ टन बीकानेर में १,६३० टन, चुरू में ३४५ टन, पाली में २५० टन व जालोर में १८० टन। और भी मैं निवेदन करूं कि आप मुझे जब कभी भी कोई सूचना दें कि फलां जगह अनाज की कमी है और दिक्कत आ रही है लोगों को, तो हम फौरन इसका इन्तजाम कर देंगे।

तीसरी बात यह है कि फोडर की कमी है। हमारे पास काफी फोडर है। इसके अलावा बीस हजार टन फोडर गुडगांव डिस्ट्रिक्ट से मंगवाने का प्रबन्ध किया है और जहां जहां आवश्यकता है वहां सरकारी तौर से सस्ते दाम पर देने का हम प्रबन्ध करते हैं।

रायपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा, मुश्किल से पांच-सात दिन कहे को हुए होंगे। मैंने इमीजिएटली कलेक्टर को फोन किया और कहा कि मौके पर स्वयं जाकर बतलाओ कि फोडर की कहां कहां जरूरत है। उसकी रिपोर्ट आ गई है। देख नहीं सका हूँ। आज—कल में मैं उसे देख कर आदेश दे दूंगा। तो यह बात नहीं कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कलेक्टर जैसे अफसर को वहां भिजवाया और जांच करके रिपोर्ट मंगवाई है। तो हम बराबर इसका इन्तजाम करेंगे। ऐसा नहीं कि फोडर की वजह से कमी आ जावे। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैंने निवेदन किया।

एक और अर्ज करना चाहता हूँ। अब मवेशी ऐसे हैं जो यहां से कोटा, झालावाड़ में गये वे वापिस लौटने शुरू हो गये। वापसी पर उनको बराबर फोडर मिले, इसका प्रबन्ध हमने किया है और कहा गया कि तीन सेर कम है तो हमने फी मवेशी पांच सेर कर दिया है। इसके अलावा इस बात का और इन्तजाम किया जा रहा है कि उनके बच्चों के लिए (अश्रव्य) मिल्क देने का प्रबन्ध किया है। इसके साथ इसका भी इन्तजाम किया जा रहा है कि ठीक कीमत पर और ठोक सामान उनको खाने-पीने का मुहैया हो जावे। उसी डिपो पर इसका भी इन्तजाम रास्ते भर मौजूद है। पुलिस ट्रैफिक का भी इन्तजाम है ताकि ट्रक वगैरह जावे तो उनसे उनको दिक्कत न हो। ये सारे इन्तजाम कर दिये हैं। जितने डिपोज़ खोले हैं उनकी फहरिश्त मेरे पास मौजूद है। आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। कम्बल भी दिये। पर इसमें यह है कि वे कम्बल लेने को तैयार नहीं। आखिर हमारे देशवासियों को इतना स्वाभिमान है कि वे मुफ्त की चीज को लेना पसन्द नही करते।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हमने जितना प्रबन्ध किया उतने भी कम्बल नहीं लिये। बहरहाल जिसको जरूरत न हो वह लेना पसन्द नहीं करेगा। मुफ्त में रिलीफ आम तौर वैसे भी लेना पसन्द नहीं करते। कम्बल तो उनके लिये हैं जो गरीब हों।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : What about Famine Code and rates of wages ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to this point.

यह ठीक है कि फेमीन कोड प्रिन्ट न हो सका, पर हमने उसे तैयार करके मन्जूर कर लिया है। प्रेस में काम अधिक होने की वजह से प्रिन्ट नहीं हो सका। वह भी शीघ्र ही हो जावेगा। उसी पर हम आज एक्ट भी कर रहे हैं।

रही वेजेज़ की बात, हमने रेटें बढ़ा दी हैं। आप खुद स्वीकार करते हैं। ऑर्डिनरी वर्क में रेस्ट्रिक्शन्स रखते हैं, पर फेमीन में नहीं। इसमें सभी को लेते हैं; बच्चे, औरतें और बूढ़ों को भी। चूंकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो गई है फेमीन की वजह से, तो वर्क सिर्फ उनको लेबर प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। हमने रेटें चौदह आने से एक रुपया, बारह आने से चौदह आने और आठ आने से दस आने कर दी हैं।

श्री भीमसेन : क्वान्टिटी ऑफ वर्क भी आपने १० बाई १० बाई १ कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मिट्टी का काम करना पड़ता है उसके लिए है। इसके लिए तो फिक्स करना ही पड़ता है। यह मतलब नहीं कि बिल्कुल ही काम न कराया जाय, फिर तो रिलीफ नहीं मुफ्त खिलाना रह गया। काम तो वैसे करना ही पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप साढ़े चार बजे समाप्त कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। इसके अलावा जैसा अर्ज किया उन सब का जवाब मैंने आपसे अर्ज किया।

अब सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इस फेमीन की प्रोब्लम को ह्यूमन प्रोब्लम समझकर सहयोग दें, किसी और तरह से न लें। हम स्वयं चाहते हैं कि जो वास्तव में डिज़र्विंग हैं उनको मदद दी जाय।

राजस्थान में इस तरह का फेमीन नहीं है कि जिससे आदमी मर रहे हैं, यह मैं और निवेदन कर दूं। इसका मतलब यह नहीं कि फेमीन नहीं मान रहा। पर इस इन्टेन्सिटी का नहीं है कि जिसमें आदमी मर रहे हों। यह बिल्कुल गलत बात है।

अनएम्प्लॉयमेंट की एक जगह से शिकायत आई है। वहां हम वर्क खोल देंगे। पर यह शिकायत नहीं आने देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है। आप मुझसे स्पष्ट पूछना चाहें तो मैं निवेदन कर दूं कि जहां सरकारी वर्क चल रहे हैं वहां हमें लेबर नहीं मिल रही है, वास्तविक समस्या तो हमारे सामने यह आ रही है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिये।

श्री भीमसेन : What about the

Page No 106

(श्री भीमसेन)

personnel of the Tehsil Advisory Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट, पटवारी की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहती है; लोग ऐसा कहते हैं । बात ऐसी नहीं है । मैंने स्टेटमेंट में कहा कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एडवाइज़री कमेटी बनी हुई है । तहसील में बनी हुई है, नोर्न ऑफिशियल और ऑफिशियल की बनी हुई है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि एम.एल. एज़. को क्यों नहीं उनमें एसोसियेट किया ? मैं कल ही ऑर्डर दे दूंगा कि तहसील एडवाइज़री कमेटियों में भी वे मेम्बर रहें । उनकी सलाह से भी कम से कम कुछ फायदा तो मिलेगा ही ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस मांग को स्वीकार करें और अपने कट मोशन्स वापिस लेने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं गुलेटिन का प्रयोग करता हूँ....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I want to withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष : The question now does not arise.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,४९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

शेष अनुपूरक मांगों पर मुख—बन्ध

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६०—राज्य आबकारी कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों को मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ८—राज्य आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,७२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५९—भू—राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५९, मुख्य शीर्षक ७—भू—राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,१०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

Page No 107

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या
६१—स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ६—स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या
६२—वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक १२—वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या
६३—बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक १२—का—बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या
६४—सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या
६५—न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(अ उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६६—कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक २८—कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६७—पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक २९—पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,११,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६९—शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ६९, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७५,००,००० रु० की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७०—चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७१—जन स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,६०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७२—कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक ४०—कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक को राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई,

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७३—नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य, भवनों—सड़कों (संयुक्त) स्थापना औजार तथा संयंत्र पर व्यय ५०—का—राजस्व से अर्थ प्रबन्धित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७४—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से संम्बन्धित अन्य राजस्व—व्यय

प्रश्न यह हैकि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७४ का, मुख्य शीर्षक ५१—खा—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धित अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७६—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ५४—का—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००० रु० तक राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७७—अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक ५५—अधिवार्षिक भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशन) ५५—का—साधारण राजस्व में से अर्थ प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशिदान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,०३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७८—विविध

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ५७—विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७९—असाधारण व्यय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ७९, मुख्य शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,०५,००० रु० तक की राशि और प्रदत्त की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८०—सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८०, मुख्य शीर्षक ६३—ख—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३०,७२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८१—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८१, मुख्य शीर्षक ७०—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,११,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८२, मुख्य शीर्षक ७२—औद्यो-

(श्री उपाध्यक्ष)

गिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,७८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८३—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८३, मुख्य शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,९८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८४—सड़कों तथा जल-परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे से बाहर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८४, मुख्य शीर्षक ८३—ख—सड़कों तथा जलपरिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे के बाहर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,७४,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८५—निवृत्ति वेतनों के संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८५, मुख्य शीर्षक ८३—निवृत्ति वेतनों के संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८६—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ८५—का—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८७–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की की मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक ता--राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय २,१३,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६१

(पुरः स्थापन, विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा-प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बोलना चाहते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The motion is for consideration.

श्री उपाध्यक्ष : That stage has passed. I have put it to the vote.

श्री पी० के० चौधरी : No. It has been taken for consideration.

श्री उपाध्यक्ष : पारित किया जावे। The motion is about passing the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir. There is no motion. As soon as he moved his motion for consideration the members stood up.

श्री उपाध्यक्ष : He stood up only after the motion was disposed of.

श्री पी० के० चौधरी : When 'पुरःस्थापन' was there, the members stood up, the Hon'ble Minister also stood up and again made proposal.

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में पारित करने के स्टेज पर बोल लीजिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : After the motion for consideratfon of the Bill is passed we take the Bill clause by clause.

श्री उपाध्यक्ष : In the absence of any amendment, the question does not arise now. Yes, Mr. Satish Chandra.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल, १६६१ जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह २२ करोड, १७ लाख १० हजार की धन–राशि के सम्बन्ध में है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रियेशन बिल में जो धन–राशि रखी गई है उसमें एक विचित्र बात इस बार इस बिल में देखने को मिलती है, जो पिछले चार सालों में जितने एप्रोप्रियेशन बिल आये हैं उनमें देखने को नहीं मिली और वह नई बात यह है कि इस बिल में लगभग हर एक भाग के अन्तर्गत एक आइटम इनवेरिएबली मिलता है और वह है सिविल कोर्ट्स द्वारा दी गई डिक्रीज़ के बारे में। लगभग २५ विभागों में ६ लाख के लगभग की डिक्रीज़ है और ऐसा लगता है कि पिछले सालों में राजस्थान के सभी विभाग इस मुकदमेबाजी में व्यस्त रहे हैं और अन्ततोगत्वा राज्य सरकार पर डिक्रीज़ हो रही हैं। यह तो उस धन–राशि का हाल है जो डिक्रीज़ में है और राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त लिटिगेशन में, एडवोकेट जनरल और एडवोकेट्स और क्लर्क्स वगैरह पर कितना खर्चा हुआ होगा, उसका अन्दाज नहीं है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार को नीति के आधार पर तय करना होगा ऐसे मामलों के बारे में जो ५०–५१ के हैं। राज्य सरकार कई बार लिमिटेशन की प्ली लेती है, मयाद बाहर है और कई मामलों में राज्य

(४. ४५ म. प.)

सरकार की नीति होती है कि मयाद के अन्दर है जब कि वास्तव में मयाद के बाहर होते हैं। राज्य सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिये कि जितने व्यक्ति राज्य सरकार पर दावा करते है, वे लिमिटेशन के बाहर हों तो लिमिटेशन के अन्दर नहीं मानना चाहिये। राज्य सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिये कि मयाद के बाहर होंगे उनमें राज्य सरकार प्लीड नहीं करेगी। कई बार ऐसा प्रश्न पैदा होता है कि जो सरकार की तरफ से वकील नियुक्त होते हैं वे लिमिटेशन की प्ली को रेज़ करते हैं और मकदमें खारिज होते हैं और दूसरी ओर उसी तरह के मुकदमें में और उसी कोर्ट में प्ली ऑफ लिमिटेशन नहीं होतो और राज्य सरकार पर डिक्री होती है। इस तरह की चीज़ को दूर करना चाहिये।

इसके अलावा इस बिल में दूसरा जो खास चिन्ता का विषय है वह है, हमने जो इसमें १ करोड़ ४६ लाख के लगभग इन्ट्रेस्ट के पेमेन्ट का प्रोविज़न किया है, डेढ–डेढ़ करोड़ रुपये ब्याज का पेमेन्ट करना पड़ेगा तो मैं नहीं समझता कि हम कितना कर्जा लेंगे और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कितना चुकायेंगे। जितनी विकास की योजनाएं हैं चाहे चंबल प्रोजेक्ट हो, भाखरा प्रोजेक्ट हो, राजस्थान केनाल या और कोई योजना हो, जितनी योजनाएं हैं उनमें मैं समझता हूँ सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में १ करोड़ ४६ लाख रुपयों का प्रोविज़न किया है वह देना होगा। इसके अलावा और भी प्रोविज़न पहले किया होगा। यह चिन्ता का विषय है। इन सारी बातों को मैं यदि समयाभाव के कारण छोड़ भी दूं तो तो वित्त मंत्रीजी ख्याल नहीं करेंगे। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूँगा कि वे वित्त मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ साहित्यिक भी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सारे मंत्रि-मंडल में गांधीवादी विचारधारा और गांधियन फिलोसोफी को मानने वाला किसी को कहा जा सकता है तो हमारे वित्त मंत्रीजी को ही कहा जा सकता है........

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव !

कार्यवाही में बाधा नहीं डालिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : बातें नहीं करेंगे। बैठिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक बात विशेष रूप से मुझे सदन में इस समय कहनी है वह यह कि वित्त मंत्रीजी ने एप्रोप्रियेशन बिल यहां पर प्रस्तुत किया है उसमें राज्य के आबकारी कर, स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी में उन्होंने ६ लाख की रकम इसलिये मांगी है कि हमको अधिक शराब खरीदनी है। गांधियन फिलोसोफी को मानने वाले वित्त मन्त्रीजी को राजस्थान में ६ लाख रुपये शराब खरीदने के लिये चाहिये। वे अच्छे काम के लिये रुपये मांगते तो कोई हर्ज नहीं था। हनुमानजी को प्रसाद चढ़ाने के लिये मांगते तो सेक्युलर स्टेट में भी सदन एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन वे ६ लाख रुपये की राशि शराब खरीदने के लिये मांगते हैं, शराब चाहिये आपको। इस शराब से वे क्या लाभ उठायेंगे, मैं नहीं समझ पाया? यदि आप चाहे सुबूत के तौर पर तो गांधीजी की दो-तीन किताबें यहां रखी हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस गर्वनमेन्ट आयेगी तो; इसमें कहा है :—

"A large part of the workers are interested in temperance for the sake of temperance. If we had a National Government, we would abolish drinks in the least possible time. It would be the first cut in our income."

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज तक १०—११ साल हो गये, फर्स्ट कट तो क्या लास्ट कट भी वित्त मन्त्रीजी नहीं कर सकते। यह भयंकर पाप तो उनके हाथ से नहीं होना चाहिये, दूसरा कोई भले ही करना चाहे तो करे।

दूसरी किताब में लिखा है, "नशीली चीजों की बिक्री से होने वाली आमदनी को राष्ट्र के बच्चों की शिक्षा में या जनता को फायदा पहुँचने वाले दूसरे कार्यों में खर्च करना बड़ा पाप है।" आप यह मत समझिये कि करोड़ों रुपयों की आमदनी शराब से करके मेडिकल फेसिलिटीज़ और बच्चों की शिक्षा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में लगायेंगे । गांधीजी ने कहा है कि बुरे सोर्स से आमदनी करते हैं वह पाप की कमाई है, जो बच्चों की पढ़ाई–लिखाई में और लोगों की चिकित्सा कार्यों में खर्च नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह पाप की कमाई है । मैं समझता हूँ गांधीजी के विचारों और सिद्धान्तों की हत्या करने का ठेका तो नहीं ले लिया है ? इससे पाप लग रहा हो तो वित्त मन्त्रीजी को अपने पर उसे नहीं लेना चाहिये, यह भयंकर पाप है ।

इतना ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्युशन के आर्टिकल ४७ में लिखा है कि हम नशाबंदी की नीति को लागू करेंगे । कांग्रेस ने इस सिद्धान्त को स्वीकार तो किया है, लेकिन कार्यान्वित नहीं किया है । उसका नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय, इतना भयंकर हो रहा है कि आज शराब के नशे में इस प्रकार के काम हो रहे हैं, इस प्रकार की घटनायें घट रही हैं । माननीय वित्त मन्त्रीजी को पता होगा उस घटना का, मैं उस घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आज शराब पीकर लोग सड़कों पर क्या करते हैं, किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, यह सब जानते हैं ।

हमारे सरकारी अधिकारी एक गांव में गये थे । वहां लोगों ने शराब पीकर उनको मारा–पीटा, लाठियों से पीटा, जूतों से पीटा । वे अधिकारी कोई साधारण अधिकारी नहीं हैं; हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री के साले हैं, उनको पीटा । जब उनकी यह हालत हो सकती है, तो बाकी के लोगों की क्या हो सकता है ? कैसी कैसी घटनायें हो सकती हैं ! यह घटना हमारे पास तक आई है, ऐसी ही घटनाओं को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और शराब खरीदने के लिए पैसा लेना चाहते हैं । शराब की खरीद के लिए पैसा लें, इसकी जगह चाहिए तो यह था कि कितना ही नुकसान क्यों न हो, शराब के लिए ऐसी मांग नहीं रखनी चाहिए थी । मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मन्त्रीजी इस सदन में खड़े होकर यह कह दें कि ये रुपये हमें मत दीजिये; तो मैं समझता हूँ कि एप्रोप्रियेशन बिल को पास करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : There is no time now.

श्री पी. के. चौधरी : There is time, Sir, five minutes are still there.

श्री उपाध्यक्ष : But the Minister has also to reply.

श्री पी. के. चौधरी : I want to say one or two things about budgeting.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सप्लीमेन्टरी बजट जो है, २२ करोड़ का सप्लीमेन्टरी बजट है और जो ओरिजिनल बजट था वह ७३ करोड़ रेवेन्यू बजट और २२ करोड़ केपिटल बजट था । आज सप्लीमेन्टरी बजट २२ करोड़ का और मांगा है । इस प्रकार हमारा जो बजटिंग सिस्टम है, उसमें इस प्रकार के डिफेक्ट्स हैं कि ३० पर्सेन्ट वेरियेशन्स होते हैं, इसका ख्याल नहीं रहता है ।

इसके साथ साथ एक चीज़ की तरफ

(श्री पी. के. चौधरी)

खास तौर से अटेन्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो इन्ट्रेस्ट ओन डेट (debt) है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कर्जा लिया है, उसका इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है इसलिए उसका प्रावधान करना चाहिए। ओरीजिनल बजट में पहले २ करोड़ का प्रावधान किया, और डेढ़ करोड़ और देने हैं, उसके लिए १ करोड़ ४६ लाख रुपया और मांगा है। इसका प्रावधान पहले कर सकते थे। फ्लोटिंग डेट्स (debts) की साढ़े बारह करोड़ की इसमें डिमान्ड है। साढ़े बारह करोड़ के फ्लोटिंग लोन्स पे करने के लिए देने हैं, री–पे करने हैं। ओरीजिनल बजट देखते हैं तो फ्लोटिंग लोन्स री-पे करने के लिए १९५८-५९ में एक्चुअल लोन था ५९ करोड़, १९५९–६० में हमने बजट प्रोविज़न किया था ५० करोड़ का, रिवाइज्ड बजट ६० करोड़ का था, ओरीजिनल बजट किया १९६०–६१ का उसमें ३७ करोड़ बता दिये और अब जाकर १२ करोड़ और मांग लिए। It is going to be 50 crores. अब इतने फ्लोटिंग लोन का और रीपेमेंट करते हैं। सिर्फ बजट सरप्लस बताने के लिए इतना बजटिंग किया जाता है जान बूझ कर। The budget was made a surplus budget when it ought to have been a deficit budget of 20 crores. यह जो तरीका है, यह ठीक नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि जो बजटिंग अधिकारी हैं, उनको कम से कम, जो इन्ट्रेस्ट लोन का बढ़ता जाता है उसका प्रावधान करना चाहिए। फ्लोटिंग लोन्स के जो हमारे तीन साल के फिगर्स हैं उनसे मालूम हो जाना चाहिए कि कितना देना है। इस तरह जो गलत बजटिंग करते हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि कल जो बजट पेश करेंगे उसके अन्दर अन्डर स्टेटमेंट नहीं हों, ताकि हमारे सामने कम्प्लीट पिक्चर आवे। बस; इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव सदन के सामने रखे हैं। उन्होंने जिस भावना से रखे हैं उसकी तो मैं कद्र करता हूँ। इसमें जो डिक्रियों की रकम के बारे में कहा गया, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान इस बात की तरफ इससे पहले जा चुका है और उसके लिए जो कुछ आवश्यक कार्यवाही लिटिगेशन के सम्बन्ध में हो सकती है, उसके लिए सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है।

इन्ट्रेस्ट की बात है, वह यह है कि जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं, आप जानते हैं उनके सिलसिले में दिया जाता है, वह देना वाजिब है। इसमें परेशानी या घबराने की बात नहीं है....

श्री पी० के० चौधरी : किसी का रुपया लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब बजट पेश होगा उस समय इस सम्बन्ध में रोशनी डालने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ।

आबकारी वाली जो बात कही है वह बड़ी मजेदार बात कही है। मैं समझता हूं

Page No 117

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो यह चाहता हो कि आबकारी प्रथा को खत्म करने में एक दिन की भी देरी हो लेकिन इसमें एक व्यक्ति के विचार का प्रश्न नहीं है, एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। यह सारे राष्ट्र की नीति और सारे राष्ट्र की परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाली चीज़ है। मुझसे अगर पूछा जाय तो मैं एक पेन की रगड़ में खत्म कर दूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप कर दें, फिर देखा जायगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या आप सरकार की तरफ से कह रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह छः लाख की रकम है, यह या तो खत्म हो चुकी है या ३१ मार्च तक खत्म हो जायगी....

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू—सु०): आप बता दें किसके वश की बात है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पिछले साल ३१ लाख की शराब खरीदी गई। मुझे जानकारी मिली है, इस साल २४ लाख बजट में रखे हैं, यानी ७ लाख कमी की है....

श्री भैरोंसिह : अगली साल के लिए कह रहे हैं ? On a point of privilege, Sir, e his leaking the budget, as to what he is going to put in the budget tomorrow.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : How far it is proper for the Hon'ble Minister ?

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege, Sir...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा मतलब है....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, please. State your point of privilege.

श्री भैरोंसिंह : आज अभी माननीय वित्त मंत्री ने....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं संशोधन कर दूं पहले....

श्री भैरोंसिंह : संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप सावधानी से बोला करें, जिससे संशोधन की आवश्यकता न पड़े। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामूली मसला नहीं है जिसमें संशोधन किया जा सके। माननीय वित्त मंत्रीजी ने केटेगोरिकली कहा है कि पिछली साल का ३१ लाख का बजट था, इस वर्ष के बजट के २४ लाख के फिगर्स बताये हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २४ लाख के फिगर्स के लिए कहा है वह....

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं अगले बजट भाषण के पहले बजट लीक होता है,

(श्री भैरोंसिंह)

बजट सदन में प्रस्तुत किये जाने से पहले लीक होता है....

श्री उपाध्यक्ष : He was continuing the sentence. वाक्य सम्पूर्ण नहीं हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह : वे प्रोसीडिंग्स देखी जायं । इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है और संशोधन करना चाहते हैं । अगर लीक नहीं होता है तो संशोधन नहीं करना चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : Let the sentence be completed. He wants to finish the sentence.

श्री भैरोंसिंह : वे बता दें कि २४ लाख का किस साल का प्रावधान रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How can he comment ? If he comments he is disclosing the next year's budget.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २४ लाख का प्रावधान है, वह चालू वर्ष में है, जो ३१ मार्च, १९६१ को खतम हो रहा है, ३१ लाख के आंकड़े हैं वे पहले साल के हैं....

श्री भैरोंसिंह : अगले वर्ष का तो नहीं है ?

श्री श्रीभानसिंह : आप देख लीजिये, कल कोइन्साइड न हो जाय ?

श्री भैरोंसिंह : अगले वर्ष का तो नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगले वर्ष का कल मालूम हो जायगा....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय समाप्त कर रहे हैं भाषण ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य ने कहा था, साढे बाईस करोड़ के आंकड़े हैं, ये बड़े नजर आते हैं। मैं निवेदन करूं कि इसमें १५ करोड़ की रकम है। वह केवल एडजस्टमेंट की रकम है, वह सरकार के खजाने से दी जाने वाली रकम नहीं है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सरकार के खजाने से नहीं दी जायगी तो कहां से दी जायगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एडजस्टमेंट की रकम है, खजाने से नहीं दी जायगी....

श्री उपाध्यक्ष : खजाने का एडजस्टमेंट है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसका फर्क समझते होंगे....

श्री उपाध्यक्ष : वे समझ रहे हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो डिमान्ड की शक्ल में मंजूर होगी वह ३ करोड़ ७ लाख की रकम है, जिसको डिमान्ड कह सकते हैं, बाकी का एडजस्टमेंट है....

Page No 119

श्री पी० के० चौधरी : पांच करोड़।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): I move closure, Sir, the question be put.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० १) बिल, १९६१ पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

We now adjourn to meet tomorrow at 10 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही पांच बजे म० प० दिनांक ९ मार्च, १९६१ के म० पू० १० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ८ मार्च, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

नगरपालिकाओं को ट्रेक्टर खरीदने हेतु दिया गया ऋण। ९८२

राज्य कर्मचारियों व म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के अन्तर को मिटाना।

कोटरी बांध का निर्माण कार्य।

संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा नियुक्त अस्थाई वेटेरिनेरी असिस्टेन्ट सर्जन्स।

पंचायत समितियों को कुंओं के निर्माण हेतु दिये जाने वाले लोन का तरीका।

उनियारा कस्बे से गलवा बांध तक सड़क निर्माण।

पंचायत समिति रोहट द्वारा वितरित तकावी।

तहसील उनियारा में किसानों को राहत कार्य।

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली में वेज बोर्ड के फैसले की क्रियान्विति।

सहकारी संस्थाओं के प्रान्तीय स्तर पर निर्मित संघ।

जयपुर शहर में समुचित प्रसूति गृहों का अभाव।

पाली तहसील की बाणियावास और एन्दला लघु सिंचाई योजनायें।

स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत समिति बैराठ—साईंवाड़।

चित्तौड़ा वृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति, लि० चित्तौड़ा।

प्रान्त में प्रस्तावित कृषि विश्व-विद्यालय।

जयपुर व अलवर जिले की डिस्पेन्सरीज़ व हॉस्पिटल्स में समुचित स्टाफ का अभाव।

जयपुर नगर के सरकारी औषधालय।

पाली शहर में ढंड के पास रहने

स्कम्भ

वाले भांभी जाति के लोगों को पट्टे दिलवाना।

सीकर नगरपालिका द्वारा ट्रेक्टर व ट्रॉली की खरीद।

निर्विरोध चुनाव वाली पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें।

पाली जिले के डेरी फार्म।

कोटपूतली में उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षित अस्पताल।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति १०२८

श्री आनन्दसिंह कच्छवाहा, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक २४ फरवरी, १९६१ से ६ मार्च, १९६१ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे, १९६०–६१ (द्वितीय खंड) के विवरण का उपस्थापन १०२८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगे, १९६०–६१ (द्वितीय खंड) के विवरण का उपस्थापन किया।

स्कम्भ

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक १०३०

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(३) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६१।

उपरोक्त विधेयकों के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखा गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६०–६१ (द्वितीय खंड) पर मतदान। १०३१

(१) मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक-३६ वैज्ञानिक विभाग।

उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ

उपाध्याय, वित्त मंत्री, द्वारा प्रस्तुत की गई। इस मांग पर ५ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो वाद-विवाद के पश्चात् अस्वीकृत हुए।

मांग सदन द्वारा स्वीकार भी की गई।

(२) मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष। १०६१

उपरोक्त मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत की गई। इस मांग पर ६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

निम्नांकित अवशेष मांगों पर मुख बन्ध (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर उन्हें भी सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

क्र.सं.	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	६०	८ राज्य आबकारी कर
२	५६	७ भू राजस्व।
३	६१	६ स्टाम्प्स।
४	६२	१२ वाहनों पर कर।
५	६३	१२ का-बिक्री कर।
६	६४	२५ सामान्य प्रशासन।
७	६५	२७ न्याय प्रशासन।
८	६६	२८ कारागार।
९	६७	२९ पुलिस।
१०	६९	३७ शिक्षा।
११	७०	३८ चिकित्सा।
१२	७१	३९ जन–स्वास्थ्य।
१३	७२	४० कृषि।
१४	७३	५० नागरिक निर्माण कार्य; भवनों, सड़कों (संयुक्त) स्थापना औजार तथा संयंत्र पर व्यय।
		५० का-राजस्व से अर्थ प्रबंधित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत।
१५	७४	५१ खा-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से

स्कम्भ

१	२	३
		सम्बन्धित अन्य राजस्व व्यय।
१६	७६	५४ का-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन।
१७	७७	५५ अधिवार्षिक भत्ते और निवृत्ति वेतन (पैंशन)।
		५५ का-साधारण राजस्व में से अर्थ प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशिदान।
१८	७८	५७ विविध।
१९	७९	६३ असाधारण व्यय।
२०	८०	६३ खा-सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य।
२१	८१	७० जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।

स्कम्भ

१	२	३
२२	८२	७२ औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।
२३	८३	८१ राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा।
२४	८४	८२ खा-सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे के बाहर पूंजी की लागत।
२५	८५	८३ निवृत्ति वेतनों के संराशियों का भुगतान।
२६	८६	८५ का-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत।
२७	८७	ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६१ १२०४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के

पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित किया ।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर उसे पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार दिनांक ९ मार्च, १९६१ को प्रातः १० बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुरुवार, दिनांक ९ मार्च, १९६१
की कार्य–सूची

(१) कार्य–सलाहकार समिति के २० वें प्रतिवेदन पर सहमति ।

(२) राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६१ (विचारार्थ एवं पारित) ।

(३) राजस्थान म्युनिसिपल कर(वैधकरण) विधेयक, १९६१ (विचारार्थ एवं पारित) ।

(४) राजस्थान भू–धारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारार्थ एवं पारित) ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४३ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति रोहट द्वारा २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक वितरित की गई तकावी की सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसको तकावी दी गई		नाम कार्य जिसके लिए तकावी दी गई	रकम तकावी
१	२		३	४
१	श्री शिवनाथसिंह	पुत्र देवीसिंह	कुवों के निर्माण के लिये	५००)
२	श्री हनुमानदास	पुत्र बस्तीराम	,,	३००)
३	श्री तेजसिंह	पुत्र हेमसिंह	,,	५००)
४	श्री देवीसिंह	पुत्र तखतसिंह	,,	४००)
५	श्री देवा	पुत्र गुमानिय	,,	३००)
६	श्री पूनाराम	पुत्र दाना	,,	६००)
७	श्री गफूरखां	पुत्र तेजूखां	,,	७००)
८	श्री बेलखां	पुत्र तेजूखां	,,	७००)
९	श्री जोगा	पुत्र अन्ना	,,	४००)
१०	श्री ब्रह्मदान	पुत्र गोकुलदान	,,	५००)
११	श्री अचलाराम	पुत्र गोमा	,,	१०००)
१२	श्री राना	पुत्र देवा	,,	५००)
१३	श्री सुजानसिंह	पुत्र सावंतसिंह	,,	५००)
१४	श्री रामसिंह	पुत्र बख्तावरसिंह	,,	१०००)
१५	श्री मेगाराम	पुत्र दूदाराम	,,	५००)

Page No 126

१	२		३	४
१६	श्री रतनसिंह	पुत्र रावतसिंह	कुओं के निर्माण के हेतु	६००)
१७	श्री रामा	पुत्र धूला	,,	६००)
१८	श्री रामा	पुत्र भूरा	,,	६००)
१९	श्री सुलतानसिंह	पुत्र शेरसिंह	,,	५००)
२०	श्री हरिसिंह	पुत्र करणसिंह	,,	५००)
२१	श्री जीवा	पुत्र सुन्दर	,,	४००)
२२	श्री मोहब्बतसिंह	पुत्र भरतसिंह	,,	४००)
२३	श्री चौलाराम	पुत्र मगा	,,	५००)
२४	श्री राधाकिशन	पुत्र जसाराम	,,	५००)
२५	श्री रावतगिरी	पुत्र वनगिरी	,,	५००)
२६	श्री पुखराज	पुत्र सालगराम	,,	६००)
२७	श्री प्रभू	पुत्र जयरूप	,,	५००)
२८	श्री धूलाराम	पुत्र नारायण	,,	५००)
२९	श्री गोमा	पुत्र मुकका	,,	४००)
३०	श्री रिखबाराम	पुत्र वेणा	,,	५००)
३१	श्री देवीसिंह	पुत्र रामा	,,	११००)
३२	श्री लोसन विलाल	पुत्र हीरालाल	,,	६००)
३३	श्री भीकसिंह	पुत्र मनसिंह	,,	७००)
३४	श्री सेसाराम	पुत्र सालगजी	,,	७००)
३५	श्री तुलसीराम	पुत्र खेतोराम	,,	७००)
३६	श्री सावंत	पुत्र फूवा	,,	८००)
३७	श्री हन्जारिया	पुत्र सेना	,,	५००)

१	२		३	४
३८	श्री जसाराम	पुत्र मूलदास	कुओं के निर्माण के हेतु	७००)
३९	श्री सोहनदास	पुत्र मूलदास	,,	७००)
४०	श्री पूना	पुत्र मोडा	,,	८००)
४१	श्री हजारीराम	पुत्र सेतानदास	,,	१०००
४२	श्री तुलसा	पुत्र देवा	,,	१२००)
४३	श्री जगतसिंह	पुत्र साधुसिंह	,,	२६००)
४४	श्री मोतीसिंह	पुत्र सुलतानसिंह	,,	१०००)
४५	श्री रूपाराम	पुत्र मग्गाराम	,,	१०००)
४६	श्री लच्छा	पुत्र बेना	,,	७००)
४७	श्री मालाराम	पुत्र रामनारायण	,,	८००)
४८	श्री बालूसिंह	पुत्र सुलतानसिंह	,,	७००)
४९	श्री सुलतानसिंह	पुत्र लखसिंह	,,	७००)
५०	श्री मूलाराम	पुत्र माला	,,	१०००)
५१	श्री हरीसिंह	पुत्र हिम्मतसिंह	,,	१२००)
५२	श्री सांवलिया	पुत्र रुघनाथ	,,	७००)
५३	श्री नेना	पुत्र वेना	,,	७००)
५४	श्री रामसिंह	पुत्र भूरसिंह	,,	६००)
५५	श्री केरा	पुत्र पदा	,,	५००)
५६	श्री दाना	पुत्र जसा	,,	५००)
५७	श्री खेमसिंह	पुत्र गुमानसिंह	,,	८००)
५८	श्री चिरन्जीलाल	पुत्र मुकनलाल	,,	१२००)
५९	श्री मूला	पुत्र गुलाब	,,	१०००)

१	२		३	४
६०	श्री मोहडाराम	पुत्र खीमाजी	कुंओं के निर्माण हेतु	५००)
६१	श्री नैनाराम	पुत्र मोडाराम	,,	१०००)
६२	श्री गैना	पुत्र जवान	,,	५००)
६३	श्री थिंटू	सहकारी समिति	,,	२०००)
६४	श्री नारसिंह	पुत्र सुखदेव	,,	८००)
६५	श्री जेठाराम	पुत्र सालगराम	,,	१०००)
६६	श्री देवा	पुत्र भीका	,,	६००)
६७	श्री अन्ना	पुत्र भगवान	,,	६००)
६८	श्री गवरू	पुत्र अब्दुल	,,	६००)
६९	श्री मुकनाराम	पुत्र दाना	,,	६००)
७०	श्री कान दान	पुत्र गिवारदान	,,	६००)
७१	श्री लादूसिंह	पुत्र चिमनसिंह	,,	१२००)
७२	श्री मांगीलाल	पुत्र उन्कारसिंह	,,	४००)
७३	श्री मांगिया	पुत्र थाना	,,	७००)
७४	श्री हेमा	पुत्र सादा	,,	४००)
७५	श्री तारू	पुत्र थाना	,,	५००)
७६	श्री फतसिंह	पुत्र तेजसिंह	,,	२०००)
७७	श्री सेना	पुत्र देवा	,,	६००)
७८	श्री पन्नाराम	पुत्र गुमनाराम	,,	१०००)
७९	श्री रुखिया	पुत्र भीका	,,	१०००)
८०	श्री रामा	पुत्र अमरा	,,	१०००)
८१	श्री बस्तीराम	पुत्र अर्जनसिंह	,,	१०००)

१	२		३	४
८२	श्री प्रभूजी	पुत्र सूजाराम	कुंओं के निर्माण हेतु	१०००)
८३	श्री पुखिया	पुत्र जिवाजी	,,	१०००)
८४	श्री सुखा	पुत्र किसना	,,	१०००)
८५	श्री जोगराज	पुत्र बीन्जराज	,,	६००)
१	श्री तुलसाराम	पुत्र देवाराम	फल विकास हेतु	३००)
२	श्री भटिया	पुत्र दाना		३००)
३	श्रीमती जमना	पत्नि मानाजी		३००)
१	श्री ग्राम पंचायत गडवाड़ा		स्थानीय खाद्य बनाने हेतु	३०००)
१	श्री मोडिया	पुत्र जवानजी	बैलों को खरीदने के लिए	२५०)
२	श्री प्रेमभारती	पुत्र किसनारामजी		२५०)
३	श्री गोमला	पुत्र रावत		२५०)
४	श्री तख्तसिंह	पुत्र लालसिंह		२५०)
५	श्री लस्का	पुत्र वीन्जा		२५०)
६	श्री खीमला	पुत्र काला		३००)
७	श्री लूणसिंह	पुत्र भूरसिंह		२५०)
८	श्री लिखमा	पुत्र भेरा		२५०)
९	श्री लादाराम	पुत्र छोताराम		२५०)
१०	श्री बन्सीदास	पुत्र नारायणदास		२५०)
११	श्री हकिया	पुत्र दुर्गा		२५०)

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE VACANCIES OF STAFF IN JAIPUR & ALWAR DISTRICTS.

Name of the Institution.	Posts vacant.	Date from which vacant.
1	2	3
ALWAR DISTRICT.		
1. P. H. C. Tijara.	1 CAS Class II.	28. 3. 1960
2. P. H. C. Rampur.	1 CAS Class I	Date of establishment.
	1 CAS Class II.	25-10-60
	1 Midwife.	Date of establishment.
3. T. B. Clinic, Alwar.	1 CAS Class II	Date of establishment.
4. P. H. C. Kotkasim.	1 CAS Class I	Date of establishment.
	4 Midwives.	
5. P. H. C. Narainpur	1 CAS Class II	-do-
	4 Midwives.	
6. P. H. C. Baskirpalnagar.	1 CAS Class II	-do-
7. P. H. C. Rajgarh (Tehla)	1 CAS Class II	
	3 Midwives.	-do-
8. Rajgarh Hospital.	1 CAS Class II	6. 2. 61
9. Kherli Dispensary.	1 CAS Class II	1. 8. 60
10. Barodameo Dispensary.	1 CAS Class II	25. 11. 60
11. KishengarhBas Dispensary	1 CAS Class II	
	1 Midwife.	Date of establishment.
	3 Dais.	

1	2	3
12. Alexandra Hospital,Alwar	1 CAS Class I 2 CAS Class II	18. 11. 60
13. Zenana Hospital, Alwar.	1 CAS Class II	
14. Family Planning Centre Zenana Hospital, Alwar.	1 CAS Class II	
JAIPUR DISTRICT.		
1. Amber Dispensary.	1 CAS Class II	Doctor has been appointed but not yet joined.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६३ का उत्तर देखिये)

INSPECTION REPORT

1. Name of institution	V. J. Hospital Kotputali.
2. Date & hour of inspection	18-12-1959 ·74 P.M.
3. Date of last inspection	7-11-1958.
A. Whether located in Government building.	Yes.
(i) if so, condition of the dispensary building, store, kitchen, quarters of the staff, latrines and compound wall etc.	The Hospital building is fairly good, but situated inside the town. There is no compound, but only a court yard. Latrines are of the old type in bad condition. The drain does not work as the levelling is defective. [An estimate has already been sent by the P. W. D. for Rs. 20.,000-]
(ii) Whether annual repairs carried out regularly ?	Yes.
(iii) Whether accommodation adequate ?	No.
(iv) Whether any additions & alterations in the existing building necessary ?	Yes.
B. If located in rented building-whether accommodation sufficient as per requirements of the institution ?	Does not arise.

(i)	Rate of monthly rent paid.	Does not arise.
(ii)	Whether payment of the rent of the building made regularly to the owner. If not, reasons of non-payment ?	-Do-
C.	Whether residential accommodation for the Medical Officer and staff sufficient ?	There is no Govt.quarter provided for the medical officer. There are not quarters for the class IV servants.
(i)	If not, what are requirements regarding buildings ?	As described above.
D.	Whether electricity supply available?	No.
(i)	Is the building electrified ?	No.
(ii)	If not, whether steps to get it electrified and estimates submitted for sanction ?	No.
(iii)	Whether adequate No. of fans and table lamps etc. are available?	No.
(iv)	If not, whether requisition for the required No. of fans etc. made ?	No.
E.	Water supply : How it is managed ?	There is no water supply arrangement.
(i)	Whether through Water works	No.
(ii)	or Well water	Yes.
(ii)	Is there a water carrier of the strength of the institution.	Yes.

4. Garden :

(i)	Is a garden maintained in the compound ?	No.

(ii) How it is managed ?	
(a) Whether necessary grants and staff available on the sanctioned budget ?	Does not arise.
(b) If so, whether it is adequate ?	-do-
(c) If not, whether steps taken to get funds and staff increased ?	-do-
5. Furniture :	
(i) Is it sufficient and of good condition?	Yes. But more furniture is necessary looking to the standard requirement.
(ii) If not, whether requisitions for the necessary requirements made ?	An indent should be sent to my office.
6. Beddings and Clothings :	
(i) Is there proper supply and is it in good condition ?	Yes. Bed sheets, pillow covers are required.
(ii) Whether surplus stock properly stored ?	Yes.
7. Drugs and Dressings :	
(i) Is the supply received adequately and regularly	Yes. Some items are short & more supplies to be arranged as soon as received in the Distt .store.
(ii) Date of 1st indent received.	16-10-1959
(iii) If supply not adequate, whether emergent indent sent ?	

(iv) Whether poisons kept separately under lock and key ? — Yes.

8. Surgical instruments :

(i) Are they sufficient clean and in good order? — Yes. But less than the standard requirment.

9. Cooking utensils :

(i) Are they sufficient and in order ? — Yes.

(ii) Is their silvering carried out regularly ? — Yes.

10. Hospital sundries :

(i) Whether supply adequate and regular ? — Yes.

11. Hospital equipment and appliances :

A. Is there a laboratory and fully equipped. If not steps, taken to equip it as per requirement ? — No.

B. Is there aa X-Ray plant ?

(i) If so, whether all electro-medical apparatuses are functioning properly ? — No.

(ii) Is the supply of films and other requirements adequate and regular ? — Does not arise

C. Are indoor wards fully equipped with necessary equipment including beds and mattresses ? — -Do-

(i) If not, whether steps taken to obtain necessary requirements? — Yes. old equipment modern beds and patients

Page No 136

	lockers required. These should be supplied during this financial year.
D. Out-door :	
(i) Whether necessary equipment as per requirement available ?	Yes.
(ii) Whether proper arrangements for a consulting room exists ?	No. Good counslting room available out door held in a virandah.
(iii) Whether separate dressing and dispensing room exists and they are fully equipped with necessary requirements ?	Yes. Dressing room rather small.
(iv) If not, whether steps taken to obtain necessary requirements to equip these fully now ?	The dressing and Dispy. rooms are equiped& satisfactorily through most of the equipment is old.
12. Office :	
(a) Are the office records upto-date and properly maintained ?	Yes.
(b) Have the local checks of cash and accounts exercised regularly ? If so, when last checked ?	Yes. No cash is kept here.
(c) Whether annual returns of patients treated and other statistical informations regularly kept and submitted?	
13 Stores	
(a) Has the annual physical verification of stores and stocks conducted and reports submitted to the controlling	Yes. Stores have been checked by the medical officer but no report sent

officer? If so, under what No. and date ?	to my office.
(b) Whether unserviceable articles being regularly condemned every year ?	Yes.
(c) What is the staff provided on the strength of stores ?	No separate staff for stores.
(d) What is the duration of staff posted in stores ? Specify names with the dates from which each one is working there.	Does not arise.

14. Staff :

(a) C. A. S. Class I	Dr. Ramji Lal Gupta M. B. B. S.
(b) C. A. S. Class II	Dr. R. R. Pal.
(c) Matron	Nil.
(d) Sisters, Sister Tutors, Nurses (Staff Nurses, Midwives and Nurse Dais)	Trained Dai Kamla Devi sharma
(e) Compounders (Gr. I,II & III)	Gr. II Nil. 1. Shri Rawat Singh. Gr. III. 2. Shri Sawai Singh working against the post of grade II.
(f) Chowkidars	One-Maula.[1]
(g) Cooks	One-Rameshwar.
(h) Waterman	Two-Hanuman and Sardara.

(i) Washerman.	One-Bansi
(j) Attendants & Water servants etc.	Two. 1. Shri Nathu Ram 2. Jai Narain
(k) Harijans.	One Lilia
(l) Others	Nil
(m) Have the uniforms been surpplied to the staff regularly. If not, reasons for not supplying the uniform.	Yes.
(n) Do they get their pay and allowances regularly. If not, reasons for non-payment.	Yes.

15. Diet :

(a) What is the budget allotment for diet ? What was the grant least year under Head Diet ?	400/- 400/-
(b) Average expenditure per head per day	0.67
(c) Total expenditure on diet in the last month	19.44

16. Contingencies :	Nil.
(a) Amount of permanent advance	25/-
(b) Average monthly expenditure	—
(c) Are the contingent accounts maintained properly ?	Yes.

17. Charity :

(a) Are the proper accounts maintained

and money received, kept in Bank or Post office ?	Nil.
(b) What is the balance in hand on the day of inspection ?	Nil.
(c) Amount received during last year.	Nil.
(d) Amount received during the current year.	Nil.

18. T. B. Seals Account[1]:

(a) Whether proper accounts maintained ?	800 for Rs. 80/-received to day.
(b) How many T. B. Seals received from the Head Office ?	Nil.
(c) How many sold during the current year ?	--
(d) What is the balance in hand ?	800
(e) Whether upto-date accounts rendered ? If so, under what No. and date. If not, reasons for not rendering up-to-date accounts.	yes, of the last T. B. Seals Sale Campaign.

19. Indoor patients :

(a) Sanctioned bed strength	16
(b) No. treated last year	472
(c) Total treated during the year	521
(d) Corresponding total previous year.	468
(e) No. of patients on the day of inspection.	18

Page No 140

(f) No. of deaths, discharges as cure or otherwise.	Death Discharged other during 10 35 1959
(g) Daily average of indoor patients	11. 60

20. Out door patients :

(a) Total No. of patients (new & old) treated during the last year.	61488 64538
(b) Total treated during the year.	
(c) Corresponding total previous year.	59408
(d) No. seen during visit.	185
(e) Daily average of out-patients in the institution.	183. 9

21. Surgical operations (Major & Minor) :

(a) Total performed last year (Major and Minor seperately)	1053 Minor
(b) Total performed during the year	1032
(c) Corresponding total of previous year.	1

22. Whether all the registers regarding Hospital data viz. Daily abstract, Classification of diseases etc. have been maintained properly and uptodate ?	yes.
23. What is the quantity in stock,	Cnchona tab. 7 Lbs.
(a) Quinine	Sulph Q. Bihydr 1 lb. 11 lb. 4 oz.

(b) Paludrine.	1 Gr. 500.0.3gr. 3200
(c) Pot. Permagnate.	18 Lbs. 12oz.
(d) Bleaching powder.	105 Lbs.
(e) D. D. T.	70 Lbs. 31 Lbs. Powder.
(f) Cobra Venun	2 Tubes.
(g) Vaccine & Sera (prophylactic as well as curative).	A. T.S. 1500 unused 3 Tubes. 10.000 units and 4 tulbes.
24. Are you satisfied with the working of the institution.	Yes.
25. Post Mortems.	One
(a) No. performed during last year	
(b) Whether records of post mortem and injury reports maintained properly.	Yes.
26. Remarks.	

The Hospital is clean and everything is neat and clean and well arranged. Mr R. L. Gupta is taking interest for the improvemeut of the Hospital and doing good work.

Date 18-12-59.

Sd. Madangopal,
District Medical and Health Officer,
Jaipur District.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३८ का उत्तर देखिये)

S. No. 1	Name of the Officer. 2	Office order vide which appointment was made. 3		
1.	Shri Simbhu Lal Bohra.	F. V. (2) Estt/58/13396	dt.	30.5.58
2.	,, Amrit Lal Chowdhari.	F. V. (2) Estt/58/13197	,,	29.6.58
3.	,, Satya Deo Sharma.	F. V. (2) Estt/58/13203	,,	29.5.58
4.	,, Surendra Mohan Saxena.	F. V. (2) Estt/58/13185	,,	29.5.58
5.	,, Kanti Chandra Purohit	F. V. (2) Estt/58/13179	,,	29.5.58
6.	,, Kanti Chandra Kaushik.	F. V. (2) Estt/58/13173	,,	29.5.58
7.	,, Bhagwan Swaroop Gaur.	F. V. (2) Estt/58/13221	,,	29.5.58
8.	,, Rajveir Singh Sisodia.	F. V. (2) Estt/58/13288	,,	29.5.58
9.	,, Satish Chandra Jain.	F. V. (2) Estt/58/12233	,,	29.5.58
10.	,, Iswar Dayal Mathur.	F. V. (2) Estt/58/13248	,,	29.5.58
11.	,, Jugal Lal Mathur.	F. V. (2) Estt/58/13383	,,	30.5.58
12.	,, Ram Sahai Karwachara,	F. V. (2) Estt/58/13481	,,	30.5.58
13.	,, Amar Lal Vyas.	F. V. (2) Estt/58/13390	,,	30.5.58
14.	,, Anand Prakash.	F. V. (2) Estt/58/13505	,,	30-5.58
15.	,, Virdha Ram Chowdhari	F. V. (2) Estt/58/13227	,,	29.5.58
16.	,, Ganpat Lal	F. V. (2) Estt/58/13377	,,	30.5.58
17.	,, Prem Singh Punia.	F. V. (2) Estt/58/13209	,,	29.5.58
18.	,, Vishan R. Ambhwani.	F. V. (2) Estt/58/13637	,,	2. 6. 58
19.	,, Anant Prakash Gupta.	F. V. (2) Estt/58/13181	,,	29.5.58

1	2	3
20.	Shri Bhanwar Singh Tanwar	F. V. (2) Estt/58/13215 dt. 29.5.58
21.	„ Pratap Singh Mandawat.	F. V. (2) Estt/58/13239 „ 29.5.58
22.	„ Gopal Krishan Rastogi	F. V. (2) Estt/58/13269 „ 29.5.58
23.	„ Shailash Ranjan.	F. V. (2) Estt/58/13276 „ 29.5.58
24.	„ Vijay Prakash Bhargav.	F. V. (2) Estt/58/13282 „ 29.5.58
25.	„ Krishan Kumar Joshi.	F. V. (2) Estt/58/15021 „ 24.6.58
26.	„ Suhal Krishna Saxena.	F. V. (2) Estt/58/13321 „ 30.6.58
27.	„ J. C. Choh	F. V. (2) Estt/58/23161 „ 4.9.58
28.	„ J. N. Jai.	F. V. (2) Estt/58/23150 „ 4.11.58
29.	„ Jagdeo Kumar.	
30.	„ B. K. Tak.	
31.	„ Jai Bhusan Lal.	
32.	„ P. N. Mathur.	
33.	„ Deo Krishan Sharma.	
34.	„ Triloki Nath Sharma.	

Page No 144

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, ८ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
९८२	४	श्री निरंजनाथ	श्री निरंजननाथ
,,	७	सहकरी	सहकारी
९८६	११-१२	बाद तखमीना स्वीकृित के लिये भेजा और जावेगा और	बाद तखमीना स्वीकृति के लिये भेजा जावेगा और
९९१	२५	श्री उपाध्याय	श्री उपाध्यन्न
,,	अन्तिम से३	को रहात	को राहत
९९३	७	श्री नूलचन्द	श्री मूलचन्द
,,	१४	(श्री बद्री प्रसादगुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
९९५	३	निमित संघ	निर्मित संघ
,,	१६	उद्योम मंत्री	उद्योग मन्त्री
९९९	अन्तिम से४	करती हैं।	करनी हैं।
१००१	अन्तिम पंक्ति	शर्त्तें हैं ?	शर्तें हैं।
१००३	अन्तिम से३	वृहक कृषि ऋणदात्री	वृहत् कृषि ऋणदात्री
१०१७	७	क्लाँस २	क्लास २
,,	२०	कीलम ३	कॉलम ३
१०२१	५व१२	पर्मानेन्ट पोस्क्ट्स नहीं थी, टेम्पोरेरी पोस्क्ट्स थी	पर्मानेन्ट पोस्ट्स नहीं थीं, टेम्पोरेरी पोस्ट्स थीं
१०२७	अन्तिम से३-४	श्री मोतीबाबा चौधरी श्री भीमसेन	श्री मोतीबाबा चौधरी (अनुपस्थित) श्री भीमसेन
१०२९	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपूरक अनुदानों की मांगें
१०३१	१०	Gulletin	Guillotine
१०३१	१५-१६	संख्या ६८-वैज्ञानिक विभाग	संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग
१०३८	२५	पैसा की खर्च	पैसा भी खर्च
१०३९	२२	टेक्निशिन्यस	टैक्निशियन्स
१०४१	७	कमी कभी	कभी कभी
१०४५	शीर्षक	वैज्ञानि विभाग	वैज्ञानिक विभाग
,,	अन्तिम से २	में रहा ले हूँ।	में ले रहा हूँ।
१०४८	अन्तिम पंक्ति	महंहोने	महंगे होने
१०५१	१३	उद्यौग	उद्योग

१	२	३	४
१०५३	१६	त्रिछले	पिछले
१०५५	१५	नहां किया	नहीं किया
१०५७	२८	रानकर	मानकर
,,	अन्तिम से २	उहे	उन्हें
१०५८	११	युरातत्व	पुरातत्व
१०६३	शीर्षक	विभाग	विभाग
१०६५	१	भात्र	भाव
१०६६	शीर्षक	शीर्षग ३६	शीर्षक ३६
१०७०-७१	,,	मुख्या शीर्षक	मुख्य शीर्षक
१०७५	,,	शीर्पक ३६	शीर्षक ३६
१०७६-७७	,,	नुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञनिक विभात्र	मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग
१०७६	शीर्ष	(श्री रात्रतमलख पारी)	(श्री रावतमल पारीख)
१०८० व			
१०८८	शीर्षक	नुख्य	मुख्य
१०८३	१६	लिगलाइट	लिगनाइट
१०८५	शीर्षक	शीर्षक-३६	शीर्षक-३६
१०६४	२४	कटोती	कटौती
१०६६	शीर्षक	मुख्ग	मुख्य
१०६६	,,	दुर्भिथ	दुर्भिक्ष
,,	१४	बन हुई है।	बनी हुई हैं।
,,	२६	प्रोपेगेगड	प्रोपेगेण्डा।
११०५	अन्तिम से ३	इस तरस	इस तरह
१११७	१७	तथाकथिक	तथाकथित
१११८	शीर्षक	८ माच	८ मार्च
११२५	५	कार्यकत्ताओं	कार्यकर्त्ताओं
,,	७	झालालाड़	झालावाड़
,,	१८	तहसीलार, नायव तहसीदार	तहसीलदार, नायब तहसीलदार
११२६	२६	बुद्धी मां	बुड्ढी मां
११२६	शीर्षक	शीर्षक ५भ	शीर्षक ५४
११३३	२	नाननीय	माननीय
११४०	१५	परिस्थति	परिस्थिति
,,	२३	जव	जब

१	२	३	४
११४५	१६–१७	certtain	certain
११४६	अन्तिम से ४	ज्यदा	ज्यादा
११४८	२५	चीघोड़	चीघोड़ी
११५४	११	वहीं पर इसका इन्तजान	वहीं पर इसका इन्तज़ाम
,,	१५	१ करीड़	१ करोड़
११५५	५	नमूमा	नमूना
,,	३०	गई की रकम	की गई रकम
११५६	२२	गदेड़ा जाय	गधेड़ा जाय
,,	२६	डौड़ाने से	दौड़ाने से
११५७	१	पुर्सत	फ़ुर्सत
११५६	१८–१६	मैं घास का, अज	है घास का, आज
११६८	१३	डिसिलिन	डिसिप्लिन
११७२	२०	क्यैंकि	क्योंकि
११७४	शीर्षक	माग संख्या	मांग संख्या
११८०	२५	लॉन	प्लान
११८४–८५	शीर्षक	मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ७६–दुर्भिक्ष	मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५४–दुर्भिक्ष
११८४	अन्तिम से २	इस बात अत्यन्ह की आवश्यकता है	इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है
११८५	१४	Ordc !!	Order !
११८७	२२	इकटेठे	इकट्ठे
११६०	३	पसन नहीं	पसन्द नहीं
,,	५	कन्बल	कम्बल
११६६	शीर्ष	(श्र उपाध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
११६७	शीर्षक	मुख–न्ध	मुख–बन्ध
१२०५	अन्तिमसे२-१	made proposal	made a proposal
१२०६	४	consideratfon	consideration
१२०६	१६	arinks	drinks
१२१०	११	कॉन्स्टिट्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
१२१५	१	e. his	he is
१२१६–१७	शीर्षक	८ मार्च, ५१	८ मार्च, ६१
१२१७	१८	श्री हरिभाऊ उपाध्याक्ष	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
,,	अन्तिम से ४	श्री हरिभाऊ उपाध्यय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय

१	२	३	४
१२३०	कॉलम २, पंक्ति ५	पुत्रगुमानिय	पुत्र गुमानिया
१२३३	कॉलम २, पंक्ति १७	श्री फनसिंह	श्री धनसिंह
१२३४	कॉलम ३, पंक्ति १	कुँओं	कुओं
१२४०	१७	Is there aa	Is there an
१२४१	५	Counslting	consulting
,,	१२	through	though
१२४५	अन्तिम से ३	Cnchona tab	Cinchona tab
१२४६	५	Venun	Venum
,,	७	tulbes	tubes

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ठ	८	भू-धारणा /	भू-धारणा
,,	१०	संख्या ६८-, मुख्य	संख्या ६८, मुख्य
,,	१२	अनपूरक	अनुपूरक
६६४	१६	कितते	कितने
१०८६	शीर्षक	संख्या	संख्या
११३२-५६	शीर्षक	मांग संख्या ७६	मांग संख्या ७५
११६१	शीर्षक	दुर्भक्ष	दुर्भिक्ष
१२१०-११	शीर्षक	माच	मार्च